



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222695  
CG-DL-E-23102020-222695

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3346] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2020/कार्तिक 1, 1942  
No. 3346] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/ KARTIKA 1, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

का. आ. 3774(अ). – केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लद्दाख पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश 2020 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वचन के लिए वैसे ही लागू होगा, जैसे यह भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के लिए निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. तत्काल प्रभाव से इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, उक्त अनुसूची द्वारा निदेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे या यदि इस प्रकार निदेशित किया गया है, तो निरसित हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे या कतिपय शब्दों का लोप किया जाएगा वहां, यथास्थिति, ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहीं निर्दिष्ट शब्द उस धारा या उसके भाग में आते हैं, किया जाएगा ।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि के अनूकूलन करते हैं, या उसका उपांतरण करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्टूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फेरफार या अकृत किया जा सकेगा मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो ।

6. इस आदेश की अनूसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि का निरसन या संशोधन –

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को;

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित न किया गया हो ।

(2) उप पैरा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी विधि के अधीन की गई कोई बात या किसी कार्रवाई को (जिसके अंतर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित प्ररूप, उपविधि या स्कीम, अभिप्राप्त प्रमाणपत्र, दिया गया परमिट या अनुज्ञाति या किया गया रजिस्ट्रीकरण या निष्पादित करार भी है) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को अब विस्तारित और लागू केंद्रीय विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक अब लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पर विस्तारित केंद्रीय विधि के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

\*\*\*\*\*

**अनुसूची**  
**(पैरा 3 देखें)**  
**केंद्रीय विधियां**

**1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961**  
**(1961 का 25)**

धारा 2.— उपधारा (2) में “जम्मू-कश्मीर राज्य में या”, “वह राज्य या” शब्दों का लोप करें।

धारा 58कच -- लोप करें।

\*\*\*\*\*

**2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958**  
**(1958 का 24)**

धारा 2क का लोप करें।

\*\*\*\*\*

**3. माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996**  
**(1996 का 26)**

धारा 1.—उपधारा (1) में परंतुक और स्पष्टीकरण का लोप करें।

धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

**विवाद को मध्यक्ता या सुलह के लिए निर्दिष्ट करने के लिए धारा 9 या धारा 11 के अधीन याचिका के अभिग्रहण की न्यायालय की शक्ति**

**8क.(1) यदि धारा 9 या धारा 11 के अधीन याचिका के लंबित रहने के दौरान न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौता के ऐसे तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो न्यायालय पक्षकारों की सहमति से—**

(क) मध्यक्ता ; या

(ख) सुलह

के लिए उनके विवादों के समाधान के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट कर सकेगा।

**(2) मध्यक्ता के लिए विवाद के निर्देश के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :--**

(क) जहां किसी विवाद को मध्यक्ता के अवलंबन द्वारा समाधान के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन विरचित प्रक्रिया लागू होगी ;

(ख) विवाद के सफल समाधान की दशा में, मध्यक तुरंत मध्यस्था किए गए समझौते को निर्दिष्ट न्यायालय को अग्रेषित करेगा ;

(ग) मध्यस्था किए गए समझौते की प्राप्ति पर निर्दिष्ट न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपना न्यायिक मस्तिष्क उपयोग करेगा और यह समाधान अभिलिखित करेगा कि मध्यस्था किया गया समझौता वास्तविक, विधिपूर्ण, स्वैच्छिक, दवाब के बिना, अनुचित प्रभाव के बिना, कपट के बिना या मिथ्या व्यपदेशन के बिना किया गया है तथा उसे स्वीकार करने में कोई अन्य विधिक बाधा नहीं है ;

(घ) न्यायालय शपथ पर पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के कथन अभिपुष्टि करते हुए अभिलिखित करेगा कि मध्यस्था किए गए समझौता के साथ-साथ समझौते के निबंधनों के पालन हेतु पक्षकारों द्वारा स्पष्ट प्रतिज्ञान किया गया है ;

(ङ) यदि समाधान होने पर न्यायालय समझौते के निबंधनानुसार आदेश पारित करेगा ;

(च) यदि मुख्य याचिका, जिसमें किया गया निर्देश लंबित है तो उसके निबंधनानुसार निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाएगा ;

(छ) यदि मुख्य याचिका का, जिसमें निर्देश किया गया था, निपटारा कर दिया जाता है तो मध्यस्था किया गया समझौता और वह विषय निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अनुसार आदेशों को पारित करेगा ;

(ज) ऐसे मध्यस्था किए गए समझौते की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा, जो एक माध्यस्थम् पंचाट की होती है और इसे धारा 36 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

(3) सुलह के लिए विवाद के निर्देश के संबंध में इस अधिनियम के भाग 2 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे मानो सुलह कार्यवाहियां पक्षकारों द्वारा इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन आरंभ की गई हों ।

**विवाद को मध्यक्ता या सुलह के लिए निर्दिष्ट करने के लिए धारा 34 या धारा 37 के अधीन विषयों के अभिग्रहण की न्यायालय की शक्ति**

8ख.(1) यदि धारा 34 के अधीन याचिका या धारा 37 के अधीन अपील के लंबित रहने के दौरान न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौता के ऐसे तत्व विद्यमान है, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो न्यायालय पक्षकारों की सहमति से—

(क) मध्यक्ता ; या

(ख) सुलह

के लिए उनके विवादों के समाधान के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) मध्यक्ता के लिए विवाद के निर्देश के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(क) जहां किसी विवाद को अवलंबन द्वारा मध्यक्ता को समाधान के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहां इस अधिनियम के अधीन विरचित प्रक्रिया लागू होगी ;

(ख) विवाद के सफल समाधान की दशा में मध्यक तुरंत मध्यक समझौते को निर्दिष्ट न्यायालय को अग्रेषित करेगा ;

(ग) मध्यस्था समझौते की प्राप्ति पर निर्दिष्ट न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपना न्यायिक मस्तिष्क उपयोग करेगा और यह समाधान अभिलिखित करेगा कि मध्यस्था किया गया समझौता वास्तविक, विधिपूर्ण, स्वैच्छिक, दवाब के बिना, अनुचित प्रभाव के बिना, कपट के बिना या मिथ्या व्यपदेशन के बिना किया गया है तथा उसे स्वीकार करने में कोई अन्य विधिक बाधा नहीं है ;

(घ) न्यायालय शपथ पर पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों का कथन यह अभिपुष्टि करते हुए अभिलिखित करेगा कि मध्यस्था किए गए समझौता के साथ-साथ समझौते के निबंधनों के कथन के पालन हेतु पक्षकारों द्वारा स्पष्ट प्रतिज्ञान किया गया है ;

(ङ) यदि समाधान होने पर न्यायालय समझौते के निबंधनानुसार आदेश पारित करेगा ;

(च) यदि मुख्य याचिका, जिसमें किया गया निर्देश लंबित है तो उसे उसके निबंधनानुसार निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाएगा ;

(छ) यदि मुख्य याचिका का, जिसमें निर्देश किया गया था, निपटारा कर दिया जाता है तो मध्यस्था किया गया समझौता और वह विषय निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अनुसार आदेशों को पारित करेगा ;

(ज) ऐसे मध्यस्था किए गए समझौते की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा, जो एक माध्यस्थम् पंचाट की होती है और इसे धारा 36 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

(3) सुलह के लिए विवाद के निर्देश के संबंध में इस अधिनियम के भाग 3 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे मानो सुलह कार्यवाहियां पक्षकारों द्वारा इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन आरंभ की गई हों ।

#### धारा 29क.—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा--

“(1) पंचाट उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण निर्देश लेता है, बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए माध्यस्थम् अधिकरण को उस तारीख को निर्देश लिया हुआ समझा जाएगा, जिसको, यथास्थिति, मध्यस्थ या सभी मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के संबंध में लिखित में नोटिस प्राप्त कर चुके हों ।”;

(ख) उपधारा (4) में दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

#### धारा 34.—

(i) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें--

“(2क) कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय यह पाता है कि पंचाट, पंचाट के मुख पृष्ठ पर दी गई सुस्पष्ट अवैधानिकता द्वारा दूषित है :

परंतु पंचाट को केवल विधि के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग या साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन के आधार पर अपास्त नहीं किया जाएगा ।”;

(ii) उपधारा (3) में--

(क) “तीन मास” के स्थान पर “छह मास” रखें ;

(ख) परंतुक में “तीन मास” और “तीस दिन” के स्थान पर क्रमशः “छह मास” और “साठ दिन” रखें ।

\*\*\*\*\*

**4. भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996**

(1996 का अधिनियम सं. 27)

धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-

“49क. अपराधों का प्रशमन –धारा 47, धारा 48 और धारा 49 के अधीन दंडनीय अपराध, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपए से अनधिक प्रशमन की रकम के संदाय के लिए प्रशमित कर दिया जाएगा :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”

\*\*\*\*\*

**5. जनगणना अधिनियम, 1948**

(1948 का 37)

धारा 2क.—लोप करें ।

\*\*\*\*\*

**6. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908**

(1908 का 5)

धारा 35.—धारा 35 की उपधारा (1) में “वाणिज्यिक” शब्द का लोप करें ।

धारा 35क.—धारा 35क में उपधारा (2) का लोप करें ।

**पहली अनुसूची**

(क) आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम (1) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखें :--

“परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो उसे ऐसे अन्य दिवस पर लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो न्यायालय द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और ऐसे खर्चों के संदाय पर, जो न्यायालय ठीक समझे, विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन तामील किए जाने के तारीख से एक सौ बीस दिन के पश्चात् नहीं होगा और समन तामील किए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन के अवसान पर, प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने के अधिकार का प्रतिसंहरण करेगा तथा न्यायालय लिखित कथन को लेखबद्ध किए जाने को अनुज्ञात नहीं करेगा ।”;

(ख) आदेश 7 में नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

“(2क) जहां वाद में हित चाहा गया है—(1) जहां वादी व्याज चाहता है तो वाद में उपनियम (2) और (3) के अधीन वर्णित व्यौरों के साथ उस प्रभाव का कथन अंतर्विष्ट होगा ।

(2) जहां वादी व्याज चाहता है वहां वाद में यह कथन किया जाएगा कि क्या वादी धारा 34 के अर्थात् वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में व्याज चाहता है और इसके अतिरिक्त यदि वादी ऐसा किसी संविदा के निवंधनों के अधीन या किसी अधिनियम के अधीन कर रहा है, जिस दशा में वाद-पत्र में अधिनियम को विनिर्दिष्ट किया जाना है या किसी अन्य आधार पर और उसके आधार का कथन करेगा ।

(3) अभिवचनों में निम्नलिखित भी कथन किया जाएगा—

- (क) वह दर, जिस पर व्याज का दावा किया जाता है ;
- (ख) वह तारीख, जिससे इसका दावा किया जाता है ;
- (ग) वह तारीख, जिस तक इसकी गणना की जाती है ;
- (घ) संगणना की तारीख तक दावा किए गए व्याज की कुल रकम ; और
- (ङ) वह दैनिक दर, जिस पर उस तारीख के पश्चात् व्याज उद्भूत होता है ।

(ग) आदेश 8 में,—

(i) नियम 1 में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

“परंतु जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो उसे ऐसे अन्य दिवस पर लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो न्यायालय द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और ऐसे खर्चों के संदाय पर, जो न्यायालय ठीक समझे, विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन तामील किए जाने के तारीख से एक सौ बीस दिन के पश्चात् नहीं होगा और समन तामील किए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन के अवसान पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने के अधिकार का प्रतिसंहरण करेगा तथा न्यायालय लिखित कथन को लेखबद्ध किए जाने को अनुज्ञात नहीं करेगा ।”

(ii) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

3क. वादों के प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान—(1) प्रत्याख्यान उपनियम (2), (3) (4) और (5) में उपबंधित रीति में किया जाएगा ।

(2) प्रतिवादी अपने लिखित कथन में यह कथन करेगा कि वह वाद-पत्र की विशिष्टियों में किन अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है, किन अभिकथनों को वह स्वीकार या अस्वीकार करने में असमर्थ है, किंतु जो वह वादी से प्रमाणित करने की अपेक्षा करता है और किन अभिकथनों को वह स्वीकार करता है ।

(3) जहां कोई प्रतिवादी किसी वाद-पत्र में तथ्य के अभिकथन से प्रत्याख्यान करता है तो उसे ऐसा करने के कारण बताने चाहिए और यदि वह वादी द्वारा दिए गए घटनाओं के वृत्तांत से अलग वृत्तांत अग्रेषित करना चाहता है तो उसे अपने वृत्तांत का कथन करना चाहिए ।

(4) यदि प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता को विवादित मानता है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना चाहिए और यदि वह समर्थ है तो उसे इस बारे में स्वयं अपना कथन कि कौन सा न्यायालय अधिकारिता वाला होना चाहिए, करना चाहिए ।

(5) यदि प्रतिवादी वाद के वादी मूल्यांकन को विवादित मानता है तो उसे ऐसा करने के अपने कारणों का कथन करना चाहिए और यदि वह समर्थ है तो उसे वाद के मूल्य के संबंध में स्वयं कथन करना चाहिए ।

(iii) नियम 5 के उपनियम (1) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

"परंतु यह और कि वाद-पत्र में तथ्य का प्रत्येक अभिकथन यदि नियम 3क के अधीन उपबंधित रीति में प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है तो उसे निर्योग्य व्यक्ति के विरुद्ध के सिवाय स्वीकार किया जाएगा।"

(iv) नियम 10 में निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

"परंतु कोई भी न्यायालय लिखित कथन फाइल करने के लिए नियम 1 के अधीन उपबंधित समय को बढ़ाने के लिए आदेश नहीं करेगा।";

(घ) आदेश 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,--

### "आदेश 11

#### दस्तावेजों का प्रकटन, खोज और निरीक्षण

1. दस्तावेजों का प्रकटन और खोज—(1) वादी, वाद-पत्र के साथ वाद के संबंध में उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में रखे सभी दस्तावेजों की सूची और सभी दस्तावेजों की छाया प्रतियां फाइल करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

- (क) वादी द्वारा वाद-पत्र में निर्दिष्ट और भरोसा किए गए दस्तावेज ;
- (ख) वाद-पत्र फाइल करने की तारीख को वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में की गई कार्रवाईयों में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित दस्तावेज, इस बात को ध्यान में लाए बिना कि वे वादी के मामले के समर्थन में हों या उसके प्रतिकूल ; और
- (ग) इस नियम की कोई बात वादियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को लागू नहीं होगी और केवल निम्नलिखित के लिए सुसंगत होगी—
  - (i) प्रतिवादी के साक्षियों की प्रति परीक्षा के लिए, या
  - (ii) वाद-पत्र के फाइल किए जाने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा संस्थित किए गए किसी मामले के उत्तर में, या
  - (iii) साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए।

(2) वाद-पत्र के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट होगा कि क्या वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में दस्तावेज वास्तविक हैं, कार्यालय प्रतियां हैं या छाया प्रतियां हैं तथा सूची में संक्षेप में प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के ब्यौरे, ढंग या निष्पादन, निर्गमन या प्राप्ति तथा प्रत्येक दस्तावेज की अभिरक्षा का तरीका भी उपर्युक्त होगा।

(3) वाद-पत्र में शपथ पर वादी की ओर से यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज, जो उसके द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं, प्रकट किए गए हैं और वाद-पत्र के साथ उनकी प्रतियां उपावद्ध की गई हैं तथा वादी की अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के अधीन शपथ पर परिशिष्ट 1 में यथा उपर्युक्त सत्य के कथन में एक घोषणा अंतर्विष्ट की जाएगी।

(4) आवश्यक फाइल किए जाने के मामले में, वादी शपथ-पत्र को ऊपर की गई घोषणा के भाग के रूप में और न्यायालय द्वारा प्रदान की गई ऐसी इजाजत के अधीन रहते हुए वादी न्यायालय में अतिरिक्त दस्तावेजों को शपथ पर इस घोषणा के साथ वाद फाइल करने के तीस दिन के अंदर फाइल करेगा कि वादी ने उसके द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों

से संबंधित उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा वाले सभी दस्तावेज पेश कर दिए हैं और वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

(5) न्यायालय की इजाजत से ही अन्यथा नहीं, वादी को उन दस्तावेजों पर विश्वास करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जिन्हें वाद पत्र के साथ या ऊपर उपवर्णित की गई विस्तारित अवधि के भीतर प्रकट नहीं किया गया था और ऐसी इजाजत वादी द्वारा वाद-पत्र के साथ प्रकट न किए जाने के युक्तियुक्त कारण को सिद्ध करने पर ही प्रदान की जाएगी।

(6) वाद-पत्र में उन दस्तावेजों के ब्यौरे उपवर्णित होंगे, जिन्हें वादी, प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में होने का विश्वास करता है तथा जिन पर वादी, विश्वास करना चाहता है तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा उनको पेश करने के लिए इजाजत चाहता है।

(7) प्रतिवादी, लिखित कथन के साथ या उसके प्रति दावे, यदि कोई हो, के साथ उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में रखे सभी दस्तावेजों की सूची और सभी दस्तावेजों की छाया प्रतियां फाइल करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

- (क) प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में निर्दिष्ट और भरोसा किए गए दस्तावेज ;
- (ख) प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में की गई कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित दस्तावेज, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या प्रतिवादी के मामले के समर्थन में हैं या उसके प्रतिकूल है ; और
- (ग) इस नियम की कोई बात प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को लागू नहीं होगी और केवल निम्नलिखित के लिए सुसंगत होगी—
  - (i) वादी के साक्षियों की प्रति परीक्षा के लिए, या
  - (ii) वाद पत्र के फाइल किए जाने के पश्चात् वादी द्वारा संस्थित किए गए किसी मामले के उत्तर में, या
  - (iii) साक्षी को केवल उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए दिए गए।

(8) लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट होगा कि क्या प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में दस्तावेज वास्तविक हैं, कार्यालय प्रतियां हैं या छाया प्रतियां हैं तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सूची में संक्षेप में प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के ब्यौरे, ढंग या निष्पादन, निर्गमन या प्राप्ति तथा प्रत्येक दस्तावेज की अभिरक्षा का तरीका भी उपवर्णित होगा।

(9) लिखित कथन या प्रतिदावे में शपथ पर अभिसाक्षी द्वारा की गई यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज, उपनियम (7) के खंड (ग) के उपखंड (iii)में उपवर्णित के सिवाय, जो वादी द्वारा आरंभ या प्रतिदावे में की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं, प्रकट किए गए हैं और लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ उनकी प्रतियां उपाबद्ध हैं तथा प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण और अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

(10) उपनियम (7) के सिवाय, न्यायालय की इजाजत से ही अन्यथा नहीं वादी को उन दस्तावेजों पर विश्वास करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में होने का विश्वास करता है तथा जिन्हें प्रतिवादी वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में होने का विश्वास करना चाहता है तथा उक्त वादी द्वारा उनको प्रस्तुत करने के लिए इजाजत चाहता है।

(11) लिखित कथन या प्रतिदावे में उन दस्तावेजों के ब्यौरे उपवर्णित होंगे, जिन्हें प्रतिवादी, वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में होने का विश्वास करता है तथा जिन्हें प्रतिवादी विश्वास करना चाहता है तथा उक्त वादी द्वारा उनको प्रस्तुत करने के लिए इजाजत चाहता है।

(12) उन दस्तावेजों के प्रकटन का कर्तव्य, जो पक्षकार के नोटिस में आ चुके हैं, वाद के निपटारे तक बना रहेगा।

**2. परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण—**(1) किसी भी वाद में वादी या प्रतिवादी, न्यायालय की इजाजत से विरोधी पक्षकारों या ऐसे पक्षकारों में से किसी एक या अधिक की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न परिदृत कर सकेगा और परिदृत किए जाते समय ऐसे परिप्रश्नों में एक पाद टिप्पण होगा कि ऐसे व्यक्तियों में से हर एक ऐसे परिप्रश्नों में से किनका उत्तर देने के लिए अपेक्षित है : परंतु कोई भी पक्षकार उस प्रयोजन के लिए आदेश के बिना एक ही पक्षकार को परिप्रश्नों के एक संवर्ग से अधिक उस प्रयोजन के लिए परिदान नहीं करेगा :

परंतु यह और भी कि वे परिप्रश्न, जो वाद में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित नहीं है, इस बात के होते हुए भी कि विसंगत समझे जाएंगे कि वे साक्षी की मौखिक प्रति परीक्षा करने में ग्राह्य हैं ।

(2) परिप्रश्नों के परिदान के लिए इजाजत के लिए आवेदन पर वे विशिष्ट परिप्रश्न, जिनका परिदान किए जाने की प्रस्थापना है, न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे और वह न्यायालय उक्त आवेदन के फाइल किए जाने के दिन से सात दिन के भीतर विनिश्चित करेगा, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने में न्यायालय किसी ऐसी प्रस्थापना पर विचार करेगा, जो उस पक्षकार ने जिससे परिप्रश्न किया जाना है, प्रश्नगत बातों या उनमें से किसी से संबंधित विशिष्टियों को परिदृत करने या स्वीकृतियां करने या दस्तावेजें पेश करने के लिए हों और उसके समक्ष रखें गए परिप्रश्नों में से केवल ऐसे परिप्रश्नों के संबंध में इजाजत दी जाएगी, जिन्हें न्यायालय या तो वाद के क्रृजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत करने के लिए आवश्यक समझे ।

(3) वाद के खर्चों का समायोजन करने में ऐसे परिप्रश्नों के प्रदर्शन के औचित्य के लिए जांच किसी पक्षकार की प्रेरणा पर की जाएगी और यदि विनिधारक अधिकारी या न्यायालय की राय जांच के लिए आवेदन पर या उसके बिना यह है कि ऐसे परिप्रश्न अयुक्तियुक्त, तंग करने के लिए या अनुचित विस्तार के साथ प्रदर्शित किए गए हैं तो उक्त परिप्रश्नों और उनके उत्तरों के कारण हुए खर्चे हर हालत में उस पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसने यह कसूर किया है ।

(4) परिप्रश्न परिशिष्ट ग के प्ररूप सं. 2 में ऐसे फेरफार के साथ, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों, उपबंधित किए जाएंगे ।

(5) जहां वाद का कोई पक्षकार निगम या व्यक्तियों का निकाय है चाहे वह निगमित हो या नहीं, अपने स्वयं के नाम से या किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के नाम से विधि द्वारा वाद करने या उस पर वाद लाने के लिए सक्षम है तो कोई विरोधी पक्षकार ऐसे निगम या निकाय के किसी सदस्य या अधिकारी को परिप्रश्न अनुदत्त करना अनुज्ञात करते हुए किसी आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और तदनुसार आदेश किया जा सकेगा ।

(6) किसी भी परिप्रश्न का उत्तर देने की बाबत इस आधार पर कि वह परिप्रश्न कलंकात्मक या विसंगत है या वाद के प्रयोजन के लिए सदभावपूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है या वे विषय, जिनके बारे में पूछताछ की गई है, उस प्रक्रम में पर्याप्त रूप से तात्त्विक नहीं हैं या विशेषाधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई भी आक्षेप उत्तर में दिए गए शपथपत्र में किया जा सकेगा ।

(7) कोई भी परिप्रश्न इस आधार पर अपास्त किए जा सकेंगे कि वे अयुक्तियुक्तः या तंग करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं या इस आधार पर काट दिए जा सकेंगे कि वे अतिविस्तृत, पीड़ा पहुंचाने वाले, अनावश्यक या कलंकात्मक हैं और इस प्रयोजन के लिए कोई भी आवेदन परिप्रश्नों की तामील के पश्चात् सात दिन के भीतर किया जा सकेगा ।

(8) परिप्रश्नों का उत्तर शपथपत्र द्वारा दिया जाएगा, जो दस दिन के भीतर या ऐसे अन्य समय के भीतर, जो न्यायालय अनुज्ञात करे, फाइल किया जाएगा ।

(9) परिप्रश्नों के उत्तर में दिया गया शपथपत्र परिशिष्ट ग के प्रष्ठ संख्यांक 3 में ऐसे फेरफार के साथ होगा, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो ।

(10) उत्तर में दिए गए किसी शपथपत्र पर कोई भी आक्षेप नहीं किए जाएंगे । किंतु किसी शपथपत्र के अपर्याप्त होने का आक्षेप किए जाने पर उसका अपर्याप्त होना या न होना न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(11) जहां कोई व्यक्ति परिप्रश्न किया गया है, उत्तर देने का लोप करता है या अपर्याप्त उत्तर देता है वहां परिप्रश्न करने वाला पक्षकार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि उस पक्षकार से यह अपेक्षा की जाए कि वह, यथास्थिति, उत्तर

दे या अतिरिक्त उत्तर दे और उससे यह अपेक्ष करने वाला आदेश लिया जा सकेगा कि वह, न्यायालय द्वारा जैसा भी निदेश दिया जाए, या तो शपथपत्र द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे ।

**3. निरीक्षण**—(1) सभी पक्षकार लिखित कथन या प्रतिदावे के प्रति लिखित कथन, जो भी पश्चातवर्ती हो, को फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रकटित सभी दस्तावेजों का परीक्षण पूरा करेंगे, न्यायालय अपने विवेकानुसार आवेदन किए जाने पर इस समय-सीमा को बढ़ा सकेगा किंतु वह किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक नहीं होगी ।

(2) कार्यवाही का कोई भी पक्षकार, अन्य पक्षकार द्वारा ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण या प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय से निदेश प्राप्त करने का अनुरोध कर सकेगा जिनका निरीक्षण ऐसे पक्षकार द्वारा अस्वीकृत किया गया है या प्रस्तुत करने के नोटिस को जारी करने के बावजूद भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

(3) ऐसे आवेदन में आदेश ऐसा आवेदन फाइल करने के तीस दिन के भीतर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उत्तर और प्रत्युत्तर (यदि न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया जाए) फाइल करना और सुनवाई भी है ।

(4) यदि उपरोक्त आवेदन को अनुज्ञात किया जाता है तो निरीक्षण और उसकी प्रतियां ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर इसकी मांग करने वाले पक्षकार को प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) न्यायालय की इजाजत से ही अन्यथा नहीं, किसी पक्षकार को ऐसे दस्तावेज पर विश्वास करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसे वह प्रकट करने में असफल रहा था या जिसका निरीक्षण नहीं किया गया है ।

(6) न्यायालय व्यतिक्रमी पक्षकार के विरुद्ध निर्दर्शनात्मक खर्च अधिरोपित कर सकेगा, जो वाद से संबंधित या उसमें विनिश्चय के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को जानबूझकर या अवहेलना करके प्रकट करने में असफल रहा है और जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं या जहां न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियों का निरीक्षण प्रतियां सदोषपूर्ण या अयुक्तियुक्त रूप से रोका गया है या इंकार किया गया है ।

**4. दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृत करना**—(1) प्रत्येक पक्षकार प्रकट किए गए उन सभी दस्तावेजों की स्वीकृति या अस्वीकृति के कथन को, जिनका निरीक्षण पूर्ण हो गया है, उन्हें निरीक्षण पूर्ण होने के पन्द्रह दिन के भीतर या न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुसार किसी पश्चातवर्ती तारीख तक प्रस्तुत करेगा ।

(2) स्वीकृति और अस्वीकृति के कथन में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित उपर्याप्त होगा कि क्या ऐसा पक्षकार स्वीकार कर रहा है या अस्वीकार कर रहा है—

- (क) दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सही होना ;
- (ख) दस्तावेज का विद्यमान होना ;
- (ग) दस्तावेज का निष्पादन ;
- (घ) दस्तावेज का जारी किया जाना या उसकी प्राप्ति ;
- (ङ) दस्तावेज की अभिरक्षा ।

**स्पष्टीकरण**—खंड (ख) के अनुसार किसी दस्तावेज के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले कथन में किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना सम्मिलित होगा ।

(3) प्रत्येक पक्षकार ऊपर दिए गए किन्हीं आधारों के अधीन किसी दस्तावेज को अस्वीकार करने के कारण बताएगा तथा असमर्थित अस्वीकृतियां दस्तावेज की अस्वीकृतियां नहीं समझी जाएंगी तथा ऐसे दस्तावेजों का सबूत न्यायालय के निदेश के अनुसार अभिमुक्त किया जा सकेगा ।

(4) तथापि कोई भी पक्षकार तृतीय पक्षकार के दस्तावेजों के लिए स्पष्ट इंकार प्रस्तुत कर सकेगा, जिनका अस्वीकार करने वाला पक्षकार कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं रखता तथा जिनका अस्वीकार करने वाला पक्षकार किसी भी रीति में पक्षकार नहीं है ।

(5) स्वीकृति और अस्वीकृति के कथन के समर्थन में एक शपथ-पत्र कथन की अंतर्वस्तुओं की सत्यता की पुष्टि करते हुए फाइल किया जाएगा ।

(6) उस दशा में, जब न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किसी पक्षकार ने ऊपर वर्णित मापदंडों में से किसी मानदंड के अधीन कोई दस्तावेज स्वीकार करने से असम्यक रूप से इंकार कर दिया है तो किसी दस्तावेज की स्वीकार्यता के विनिश्चय के लिए खर्च (निर्दर्शनात्मक खर्चों सहित) ऐसे पक्षकार पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा ।

(7) न्यायालय स्वीकार किए गए दस्तावेजों के संबंध में आदेश पारित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत उन पर और सबूत का अधित्यजन या किसी दस्तावेज को अस्वीकार करना भी है ।

**5. दस्तावेज पेश करना**—(1) किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार या न्यायालय आदेश द्वारा किसी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय किसी पक्षकार या व्यक्ति द्वारा ऐसे पक्षकार या व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश कर सकेगा, जो ऐसे वाद में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित हैं ।

(2) ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस परिशिष्ट ग में प्ररूप सं. 7 में उपबंधित प्ररूप में जारी किया जाएगा ।

(3) कोई पक्षकार या व्यक्ति, जिसे दस्तावेज पेश करने के लिए ऐसा नोटिस जारी किया गया है, उसे सात दिन से अन्यून और पन्द्रह दिन से अनाधिक समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थता का उत्तर देने के लिए दिया जाएगा ।

(4) न्यायालय दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस को जारी करने के पश्चात ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने से इंकार करने वाले पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाएगा और जहां ऐसे दस्तावेज को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं, वहां खर्च का आदेश देगा ।

**6. इलैक्ट्रानिक अभिलेख**—(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथा परिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के प्रकटन और निरीक्षण के मामले में प्रिंट आउट प्रस्तुत करना उक्त उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा ।

(2) पक्षकारों के विवेकानुसार या जहां अपेक्षित हो (उस समय जब पक्षकार आडियो या वीडियो अंतर्वस्तु पर विश्वास करने की इच्छा करते हैं) इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की प्रतियां या तो उनके अतिरिक्त या प्रिंट आउट के बदले में इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सकेंगी ।

(3) जहां इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रकट किए गए दस्तावेजों के भाग हैं, वहां पक्षकार द्वारा फाइल घोषणा या शपथ में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा—

(क) ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख के पक्षकार ;

(ख) वह रीति, जिसमें ऐसा इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया था और उसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ;

(ग) ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रानिक अभिलेख को तैयार करने या उसके भंडारण या उसे जारी करने अथवा उसे प्राप्त करने की तारीखें और समय ;

(घ) ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख का स्रोत और वह तारीख तथा वह समय जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख का मुद्रण किया गया था ;

(ङ) ई-मेल पते के मामले में स्वामित्व, अभिरक्षा तथा ऐसे ई-मेल पते तक पहुंच के ब्यौरे ;

(च) कंप्यूटर या कंप्यूटर स्रोत में भंडारित दस्तावेजों के मामले में (बाह्य सर्वर या क्लाउड सहित) उसके स्वामित्व, अभिरक्षा तथा कंप्यूटर या कंप्यूटर स्रोत के ऐसे डाटा तक पहुंच के ब्यौरे ;

(छ) अभिसाक्षी का अंतर्वस्तु का ज्ञान तथा अंतर्वस्तु की सत्यता ;

(ज) क्या ऐसे दस्तावेज या डाटा तैयार करने या प्राप्त करने या भंडारण करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर या कंप्यूटर स्रोत उचित ढंग से कार्य कर रहा था या त्रुटिपूर्ण कार्यकरण करने की दशा में ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्यकरण ने भंडारित दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं को प्रभावित नहीं किया है ;

(झ) प्रस्तुत प्रिंट आउट या प्रति मूल कंप्यूटर या कंप्यूटर स्रोत से ली गई थी ।

(4) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के प्रिंट आउट या इलैक्ट्रानिक प्रति पर विश्वास करने वाले पक्षकारों से इलैक्ट्रानिक अभिलेख के निरीक्षण की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि ऐसे पक्षकार द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऐसी प्रत्येक प्रति, जिसे प्रस्तुत किया गया है, उसे मूल इलैक्ट्रानिक अभिलेखों से बनाया गया है ।

(5) न्यायालय इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की स्वीकार्यता के लिए कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर निदेश दे सकेगा ।

(6) कोई भी पक्षकार न्यायालय से यह निदेश ले सकेगा और न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के अतिरिक्त सबूत को प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे इलैक्ट्रानिक अभिलेख को स्वीकार करने के पूर्व मेटा डाटा या लॉग भी हैं ।";

(ङ) आदेश 15 के पश्चात् अंतःस्थापित करें—

### “आदेश 15क

#### मामला प्रबंधन सुनवाई

1. प्रथम मामले की प्रबंधन सुनवाई—न्यायालय प्रथम मामले की प्रकरण प्रबंधन सुनवाई वाद के सभी पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने के शपथ-पत्र को फाइल करने की तारीख से चार सप्ताह के अपश्चात् आयोजित करेगा ।

2. मामले की प्रबंधन सुनवाई में पारित किए जाने वाले आदेश—मामले की प्रबंधन सुनवाई में पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और जब यह पाया जाता है कि तथ्य और विधि के ऐसे मुद्दे हैं, जिनका विचारण किया जाना अपेक्षित है तो वहां न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगा—

(क) अभिवचनों, दस्तावेजों और उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात् तथा आदेश 10 के नियम 2 के अधीन न्यायालय द्वारा परीक्षण करने पर, यदि अपेक्षित हो, तो आदेश 14 के अनुसार पक्षकारों के बीच मुद्दे विरचित करना ;

(ख) पक्षकारों द्वारा परीक्षण करने के लिए साक्षियों को सूचीबद्ध करना ;

(ग) वह तारीख नियत करना, जिस तक पक्षकारों द्वारा साक्ष्य का शपथ-पत्र फाइल किया जाना है ;

(घ) वह तारीख नियत करना, जिसको पक्षकारों के साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए जाने हैं ;

(ङ) वह तारीख नियत करना, जिस तक पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखित तर्क फाइल किए जाने हैं ;

(च) वह तारीख नियत करना, जिसको न्यायालय द्वारा मौखिक तर्क सुने जाने हैं ;

(छ) मौखिक तर्कों का संबोधन करने के लिए पक्षकारों तथा उनके अधिवक्ताओं के लिए समय-सीमा निर्धारित करना ।

3. विचारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा—नियम 2 के प्रयोजनों के लिए तारीख नियत करने या समय-सीमा निर्धारित करने में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख से छह मास के अपश्चात् तर्क समाप्त हो जाएं ।

**4. दिन प्रतिदिन आधार पर मौखिक साक्ष्य को लेखबद्ध करना—न्यायालय, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य को अभिलिखित करना प्रतिदिन आधार पर तब तक किया जाएगा, जब तक सभी साक्षियों की प्रति परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती।**

**5. विचारण के दौरान मामला प्रबंधन सुनवाईयां—न्यायालय, यदि आवश्यक हो समुचित आदेश जारी करने के लिए विचारण के दौरान किसी भी समय मामला प्रबंधन सुनवाईयां आयोजित करेगा, जिससे नियम 2 के अधीन नियत तारीखों का पक्षकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और वाद के त्वरित निपटारे को सुकर बनाया जा सके।**

**6. मामला प्रबंधन सुनवाई में न्यायालय की शक्तियां—इस आदेश के अधीन किसी मामला प्रबंधन सुनवाई में न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी—**

- (क) मुद्रों को विरचित करने के पूर्व, आदेश 13के अधीन पक्षकारों द्वारा फाइल किसी लंबित आवेदन पर सुनवाई और उसे विनिश्चित करना ;
- (ख) मुद्रे विरचित करने के लिए सुसंगत और आवश्यक दस्तावेजों तथा अभिवचनों के संकलन को फाइल करने के लिए पक्षकारों को निदेश देना ;
- (ग) किसी पद्धति, निदेश या न्यायालय आदेश के अनुपालन के लिए समय को बढ़ाना या कम करना, यदि वह ऐसा करने का पर्याप्त कारण पाता है ;
- (घ) किसी सुनवाई को स्थगित करना या पहले करना, यदि वह ऐसा करने का पर्याप्त कारण पाता है ;
- (ङ) आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी पक्षकार को न्यायालय में उपसंजात होने के लिए निदेश देना ;
- (च) कार्यवाहियों को समेकित करना ;
- (छ) किसी साक्षी के नाम या साक्ष्य को हटाना, जो वह विरचित मुद्रों के लिए असंगत समझता है ;
- (ज) किसी मुद्रे के पृथक् विचारण के लिए निदेश देना ;
- (झ) वह आदेश विनिश्चित करना, जिसमें मुद्रों का विचारण किया जाना है ;
- (अ) किसी मुद्रे को विचार किए जाने से अपवर्जित करना ;
- (ट) किसी प्राथमिक मुद्रे पर विनिश्चय के पश्चात् किसी दावे को खारिज करना या उस पर निर्णय देना ;
- (ठ) यह निदेश देना कि साक्ष्य आयोग द्वारा वहां अभिलिखित किया जाए, जहां वह आदेश 26 के अनुसार आवश्यक है ;
- (ड) पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए साक्ष्य के किसी शपथ-पत्र को असंगत, अग्राह्य या तर्क संगत सामग्री अंतर्विष्ट करने के लिए खारिज करना ;
- (ढ) पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए साक्ष्य के शपथ-पत्र के किसी भाग को हटाना, जिसमें असंगत, अस्वीकार्य या तर्क संगत सामग्री अंतर्विष्ट है ;
- (ण) साक्ष्य के अभिलेख को इस प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करना ;
- (त) आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य को लेखबद्ध करने की मानीटरी से संबंधित कोई आदेश पारित करना ;
- (थ) किसी पक्षकार को भूमि आदान-प्रदान खर्च बजट फाइल करने के लिए आदेश करना ;

(द) मामले के प्रबंधन के तथा वाद के दक्ष निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के अध्यारोहण को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए निदेश जारी करना या कोई आदेश पारित करना ।

(2) जब इस आदेश के अधीन न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता है तो वह—

(क) इसे इन शर्तों के अधीन कर सकेगा, जिसके अंतर्गत न्यायालय में धनराशि के संदाय करने की शर्त भी है ; और

(ख) आदेश या शर्त के अनुपालन में असफलता के परिणाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) मामला प्रबंधन सुनवाई के लिए तारीख नियत करते समय न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे मामला प्रबंधन सुनवाई के लिए पक्षकार भी उपस्थित रहें, यदि उसका यह मत है कि पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना है ।

**7. मामला प्रबंधन सुनवाई का स्थगन—**(1) न्यायालय केवल इस कारण से कि पक्षकार की ओर से उपस्थित होने वाला अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, मामला प्रबंधन सुनवाई को स्थगित नहीं करेगा :

परंतु आवेदन प्रस्तुत करके अग्रिम सुनवाई के स्थगन में, न्यायालय ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने पक्षकार द्वारा ऐसे खर्च के संदाय पर, जो न्यायालय ठीक समझे, सुनवाई को अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा ।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति का न्यायोचित कारण है तो वह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, सुनवाई को अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा ।

**8. आदेशों के अननुपालन के परिणाम—**जहां कोई पक्षकार मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित न्यायालय के आदेश के अनुपालन में असफल रहता है, वहां न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

(क) न्यायालय को खर्च के संदाय द्वारा ऐसे अननुपालन को माफ करना ;

(ख) अननुपालन करने वाले पक्षकार के, यथास्थिति, शपथ-पत्र फाइल करने, साक्षियों की प्रति परीक्षा का संचालन करने, लिखित आवेदन फाइल करने, मौखिक तर्क संबोधन या विचारण में और तर्क देने के अधिकार का पुरोबंध करना ; या

(ग) वादी को वाद अनुज्ञात करने से अस्वीकार करना, जहां ऐसा अननुपालन जानबूझकर और बारबार किया गया हो तथा खर्च अधिरोपित करना, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।”;

(च) आदेश 18 में--

(क) नियम 2 के उपनियम (3) में निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

“(3क) पक्षकार मौखिक तर्क आरंभ होने के चार सप्ताह पहले न्यायालय को अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त और सुस्पष्ट शीर्षकों के अधीन लिखित तर्क प्रस्तुत करेगा और ऐसे लिखित तर्क अभिलेख का भाग होंगे ।

(3ख) लिखित तर्कों में तर्कों के समर्थन में विधि के उपबंधों को उद्धृत करना स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा तथा पक्षकार द्वारा निर्णयों के दृष्टांतों पर विश्वास किया जाएगा और इसके अंतर्गत पक्षकार द्वारा वर्णित निर्णयों की प्रतियां भी सम्मिलित होंगी ।

(3ग) ऐसे लिखित तर्कों की एक प्रति साथ ही साथ विरोधी पक्षकार को भी दी जाएगी ।

(3घ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, तर्कों के समाप्त होने के पश्चात् तर्कों के समाप्त होने की तारीख के पश्चात् एक सप्ताह से अनधिक की अवधि के भीतर पुनरीक्षित लिखित तर्क फाइल करने के लिए पक्षकारों को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3ङ) लिखित तर्कों को फाइल करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन अनुदत्त नहीं किया जाएगा, यदि न्यायालय लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा स्थगन अनुदत्त करना आवश्यक समझता है ।

(3च) विषय की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इसके लिए स्वतंत्र होगा कि मौखिक निवेदन के लिए समय सीमित करे ।

(ब) नियम 4 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

“(1क) सभी साक्षियों के साक्ष्यों के शपथ-पत्र, जिनके साक्ष्य का पक्षकार द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना प्रस्तावित है, प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई में निदेशित समय पर उस पक्षकार द्वारा साथ-साथ फाइल किए जाएंगे ।

(1ख) पक्षकार किसी साक्षी के शपथ-पत्र द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लगाएगा (जिसके अंतर्गत वह साक्षी भी है, जिसने पहले ही शपथ-पत्र फाइल कर दिया है) जब तक कि उस प्रयोजन के लिए आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिया जाता और न्यायालय द्वारा कारण देते हुए और ऐसा अतिरिक्त शपथ-पत्र अनुज्ञात करते हुए आदेश पारित नहीं किया जाता ।

(1ग) तथापि, किसी पक्षकार को ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय इस प्रकार फाइल किए गए किन्हीं शपथ-पत्रों को ऐसे वापस लिए जाने के आधार पर कोई प्रतिकूल अनुमान लगाए बिना उन्हें वापस लेने का अधिकार होगा :

परंतु कोई अन्य पक्षकार ऐसे वापस लिए गए शपथ-पत्र में की गई स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का हकदार होगा ।”।

(छ) आदेश 19 में, नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,--

“4. न्यायालय साक्ष्य को नियंत्रित कर सकेगा—(1) न्यायालय, निदेशों द्वारा उन मुद्दों पर, जिनमें साक्ष्य अपेक्षित है तथा वह रीति, जिसमें ऐसे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखा जा सकेगा, साक्ष्य विनियमित करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(2) न्यायालय अपने विवेकानुसार और लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस साक्ष्य का अपवर्जन कर सकेगा, जिसे पक्षकारों द्वारा अन्यथा प्रस्तुत किया गया होता ।

5. साक्ष्य को संपादित करना या अस्वीकृत करना—न्यायालय, अपने विवेकानुसार लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से—

(i) मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्र के ऐसे भागों को संपादित कर सकेगा या संपादित करने का आदेश दे सकेगा, जो उसके दृष्टिकोण में, साक्ष्य गठित नहीं करता ; या

(ii) मुख्य परीक्षा के शपथ-पत्र को वापस या अस्वीकृत कर सकेगा, जो स्वीकार्य साक्ष्य का गठन नहीं करता ।

6. साक्ष्य के शपथ-पत्र का प्रारूप और मार्गदर्शी सिद्धांत—कोई शपथ-पत्र नीचे दिए गए प्ररूप और अपेक्षाओं के अनुसार होना चाहिए :—

(क) ऐसा शपथ-पत्र, उन तारीखों और घटनाओं के कालानुक्रम तक सीमित और उनका अनुसरण करने वाला होना चाहिए, जो किसी तथ्य या मामले से संबंधित किसी विषय को सिद्ध करने के लिए सुसंगत हों ;

(ख) जहां न्यायलाय का यह मत है कि कोई शपथ-पत्र मात्र अभिवचनों की प्रस्तुति है या इसमें किसी पक्षकार के मामले के विधिक आधार अंतर्विष्ट हैं तो न्यायालय आदेश द्वारा शपथ-पत्र या शपथ-पत्र के ऐसे भागों को हटा सकेगा, जो वह ठीक और उचित समझे ;

(ग) किसी शपथ-पत्र का प्रत्येक पैरा, जहां तक संभव हो, विषय के स्पष्ट भाग तक सीमित हो ;

(घ) शपथ-पत्र में निम्नलिखित का कथन होगा—

(i) ऐसे कौन से कथन, जो इसमें अभिसाक्षी के स्वयं के ज्ञान से किए गए हैं और जो सूचना या विश्वास के विषय हों ; और

(ii) सूचना या विश्वास के किसी विषय के लिए स्रोत ।

(ङ) शपथ-पत्र में निम्नलिखित होना चाहिए,--

- (i) इसके पृष्ठ क्रमवर्ती रूप से पृथक् दस्तावेज के रूप में संख्यांकित होने चाहिए (या एक फाइल में अंतर्विष्ट कई दस्तावेजों में से एक होना चाहिए) ;
- (ii) इसे संख्यांकित पैरा में विभाजित होना चाहिए ;
- (iii) इसमें सभी संख्याएं होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अंकों में दर्शित तारीखें भी हैं ; और
- (iv) यदि शपथ-पत्र के मुख्य भाग में निर्दिष्ट दस्तावेज किसी अन्य अभिवचन में शपथ-पत्र से उपाबद्ध हैं तो ऐसे दस्तावेजों के उपाबंधों और पृष्ठों को दें, जिन पर विश्वास किया गया है”;

(ज) परिशिष्ट ज के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

### “परिशिष्ट-ज्ञ

#### सत्य का कथन

**[पहली अनुसूची, आदेश 11, नियम 1, उपनियम (3) के अधीन]**

मैं, ..... अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि—

1. मैं, उपरोक्त वाद में पक्षकार हूं और यह शपथ-पत्र करने के लिए सक्षम हूं।
2. मैं, मामले के तथ्यों से पर्याप्त रूप से परिचित हूं और मैंने उसके संबंध में सभी सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है।
3. मैं यह कथन करता हूं कि ..... पैरा में किए गए कथन मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं और ..... पैरा में किए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं, जिन्हें मैं सही होने का विश्वास करता हूं तथा ..... पैरा में किए गए कथन विधिक सलाह पर आधारित हैं।
4. मैं यह कथन करता हूं कि मिथ्या कथन या किसी तात्त्विक तथ्यों, दस्तावेजों या अभिलेखों को छिपाया नहीं गया है और मैंने मेरे अनुसार वर्तमान वाद के लिए सुसंगत जानकारी सम्मिलित कर दी है।
5. मैं यह कथन करता हूं कि मेरे द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज प्रकट कर दिए गए हैं तथा वाद पत्र के साथ उनकी प्रतियां उपाबद्ध हैं और मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।
6. मैं यह कथन करता हूं कि ऊपर वर्णित अभिवचन ..... कुल पृष्ठों से मिलकर बने हैं, जिनमें से प्रत्येक मेरे द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है।
7. मैं यह कथन करता हूं कि इसके उपाबंध मेरे द्वारा निर्दिष्ट और विश्वास किए गए दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं।
8. मैं यह कथन करता हूं कि मैं इस बात से अवगत हूं कि कोई भी मिथ्या कथन या छुपाने से मैं स्वयं के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी हो जाऊंगा।

स्थान :

तारीख :

अभिसाक्षी

## सत्यापन

मैं, ..... यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर किए गए सभी कथन मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं।  
 ..... पर ..... को सत्यापित ।

अभिसाधी”

\*\*\*\*\*

**7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973**

**(1974 का 2)**

**धारा 24.- उपधारा (6) के पश्चात् अंतःस्थापित करें -**

“(6क). उपधारा (1) और उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किसी ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायालयों के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगा जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए अभियोजन काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से उच्च न्यायालय के परामर्श से उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक और जिला न्यायालय के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।”

**धारा 25क.(i) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर रखें -**

“(1) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगा, जिसका प्रधान ऐसा अधिकारी होगा जिसे उक्त प्रशासन द्वारा पदाभिहित किया जाए और उसमें उतने अन्य अधिकारी होंगे जितने लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विरचित नियमों में उपबंधित हों ।

(2) अभियोजन काडर गठित करने वाले उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों के पद लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विरचित नियमों के अनुसार भरे जाएंगे ।”;

(ii) उपधारा (3) में “अभियोजन निदेशक होगा” के स्थान पर “ऐसा अधिकारी होगा जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विरचित नियमों में विहित किया जाए” रखें ;

(iii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

“(4) अभियोजन निदेशालय का प्रत्येक अधिकारी निदेशालय के प्रधान अधिकारी के अधीनस्थ होगा ।”

(iv) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

“(5) उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए धारा 24 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (8) के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजन, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजनक, अभियोजन निदेशालय के प्रधान अधिकारी के अधीनस्थ होगा ।”;

(v) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

“(7) अभियोजन निदेशालय के प्रधान अधिकारी और अभियोजन काउर के अन्य अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो लद्धाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विरचित नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।”;

(vi) उपधारा (8) का लोप करें।

पहली अनुसूची.- धारा 354घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें –

1	2	3	4	5	6
“354ङ्”	लैंगिक उद्धापन (सेक्सटार्शन)	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास किंतु जो पांच वर्ष का हो सकेगा	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।”।

\*\*\*\*\*

#### 8. सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008

(2009 का 07)

धारा 1.- उपधारा (2) के परंतुक का लोप करें

\*\*\*\*\*

#### 9. जांच आयोग अधिनियम, 1952

(1952 का 60)

धारा 2.- खंड (क) के उपखंड (ii) के परंतुक का लोप करें।

धारा 2.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

#### 10. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

(1970 का अधिनियम संख्यांक 37)

धारा 1.—उपधारा (4) के खंड (क) में “बीस” के स्थान पर “चालीस” रखें।

धारा 25 के पश्चात्निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित करें, अर्थात् :-

अपराधों का प्रशमन

“25क.(1) धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 24के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात्, अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नीचे की सारणी के यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रकम के लिए प्रशमन किया जा सकेगा :

## सारणी

क्रम संख्या	धारा	प्रशमन की गई रकम	
1	2	3	
1	22(1), 22(2) और 24	उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से अधिक नहीं होगी
		1 से 50	5000/- रुपये
		51 से 100	8,000/- रुपये
		101 से 500	12,000/- रुपये
		500 से अधिक	16,000/- रुपये

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन मुख्य नियोजक या ठेकेदार के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम का पचहत्तर प्रतिशत संबंधित कर्मचारी को संदत्त किया जाएगा या कर्मचारियों में बराबर रकम का संदाय किया जाएगा और यदि कोई कर्मचारी पहचानने योग्य नहीं हैं तो अतिशेष रकम, समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रीति में जमा कर दी जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”

\*\*\*\*\*

## 11. दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948

(1948 का 16)

धारा 2क.- लोप करें ।

धारा 33.- उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के खंड (ग) का लोप करें ।

\*\*\*\*\*

## 12. कारखाना अधिनियम, 1948

(1948 का अधिनियम संख्यांक 63)

धारा 2—खंड (ड) में,

- (i) उपखंड (i) में “दस या उससे अधिक कर्मकारों” शब्दों के स्थान पर “बीस या उससे अधिक कर्मकारों” शब्द रखें;
- (ii) उपखंड (i) में “बीस या उससे अधिक कर्मकारों” शब्दों के स्थान पर “चालीस या उससे अधिक कर्मकारों” शब्द रखें;

धारा 66.—उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) स्त्रियां सभी स्थापनाओं में सभी प्रकार केसंकर्मों के लिए नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें, उनकी सहमति से सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए या नियोजक द्वारा अनुपालन की जाने वाली किसी अन्य ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रातः 6 बजे से पहले और सायं 7 बजे के पश्चात भी नियोजित किया जा सकेगा ;”।

\*\*\*\*\*

## 13. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006

(2006 का 38)

धारा 33.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 14. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्ती) अधिनियम, 1954

(1954 का 28)

धारा 23ग.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 15. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973

(1973 का 59)

धारा 2.- उपधारा (2) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 16. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

(1956 का 104)

धारा 2क.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 17. आय-कर अधिनियम, 1961

(1961 का 43)

धारा 269ध.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 18. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970

(1970 का 48)

धारा 2.- उपधारा (2) कालोप करें।

\*\*\*\*\*

## 19. भारतीय दंड संहिता

(1860 का 45)

धारा 354ध के पश्चात् अंतःस्थापित करें -

लैंगिक उद्वापन “354ङ्- (1) जो कोई,  
(सेक्सटार्शन ) (क) प्राधिकार की किसी स्थिति में ; या  
(ख) किसी वैश्वासिक संबंध में ; या  
(ग) कोई लोक सेवक,

होने के कारण किसी स्त्री से, ऐसे किन्हीं फायदों या अन्य अनुग्रहों के बदले, जिन्हें अनुदत्त करने या विधारित करने के लिए ऐसा व्यक्ति सशक्त है, लैंगिक अनुग्रह के उद्वापन या मांग हेतु शारीरिक या अशारीरिक प्रकार के प्रपीड़न करने के लिए ऐसे प्राधिकार या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा या अपनी पदीय हैसियत का कुप्रयोग करेगा, वह लैंगिक उद्वापन के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए “लैंगिक अनुग्रह” से लैंगिक साकेतिक आचरण, लैंगिक सुव्यक्त क्रियाकलाप, जैसे छूना, मैथुन के लिए शरीर के गुप्त अंगों का अभिदर्शन, जिसके अंतर्गत संचार के इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा अभिदर्शन भी है, जैसा किसी प्रकार का अवांछित लैंगिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है और सम्मिलित होगा।

कोई व्यक्ति (2), जो लैंगिक उद्वापन का अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।”।

\*\*\*\*\*

## 20. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

## (1947 का अधिनियम संख्यांक 14)

धारा 2क.—उपधारा (3)में “तीन वर्ष” के स्थान पर “एक वर्ष” शब्द रखें ।

धारा 25च.—खंड (ख) में “पंद्रह दिन” के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखें ।

धारा 25ट.—उपधारा (1) में “एक सौ” शब्द के स्थान पर “तीन सौ” शब्द रखें ।

धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित करें :-

## अपराधों का प्रशमन

“31क. (1)धारा 25थ, धारा 25द, धारा 25प, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30कऔरधारा 31 कीउपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात्का, अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नीचे की सारणी के यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रकम के लिए प्रशमन किया जा सकेगा :-

## सारणी

क्रम सं.	धारा	प्रशमन की रकम	
1	2	3	
1	25थ	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 25 दिन की मजदूरी	
2	25द	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 60 दिन की मजदूरी	
3	25प	(i) प्रत्येक कर्मकार द्वारा 150/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर 3000/-रु. से अधिक नहीं होगी ; (ii) नियोजक द्वारा 300/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर नीचे दर्शित रकम से अधिक नहीं होगी ;	
		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से रकम अधिक नहीं होगी
		1 से 50	5000/-रु.
		51 से 100	8000/-रु.
		101 से 500	12000/-रु.
		500 से अधिक	16000/-रु.
4	26	(i) अवैध हड्डताल की दशा में प्रत्येक कर्मकार द्वारा 150/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर 3000/-रु.से अधिक नहीं होगी (ii) अवैध तालाबंदी की दशा में किसी नियोजक द्वारा 300/-रु. प्रतिदिन किंतु कुल मिलाकर नीचे दर्शित रकम से अधिक नहीं होगी :	

		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	से रकम अधिक नहीं होगी					
		1 से 50	5000/-रु.					
		51 से 100	8000/-रु.					
		101 से 500	12000/-रु.					
		500 से अधिक	16000/-रु.					
5	27 और 28	उपरोक्त धारा 26 के अनुसार अवैध हड्डताल और तालाबंदी के लिए।						
6	29	प्रत्येक कर्मकार के संबंध में 200/-रु. प्रतिदिन।						
7	30क	प्रत्येक कर्मकार द्वारा ली गई अंतिम 25 दिन की मजदूरी।						
8	31(1)	उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	पहला अवसर	दूसरा अवसर	तीसरा अवसर			
		1 से 50	5000/-रु.	10,000/-रु.	15,000/-रु.			
		51 से 100	8000/-रु.	16,000/-रु.	24,000/-रु.			
		101 से 500	12000/-रु.	24,000/-रु.	36,000/-रु.			
		500 से अधिक	16000/-रु.	32,000/-रु.	48,000/-रु.			
9	31(2)	(i) प्रत्येक कर्मकार के लिए पहले अपराध के लिए 1,000/-रु., दूसरे अपराध के लिए 2,000/-रु. और तीसरे अपराध के लिए 3,000/-रु.						
		(ii) नियोजक के लिए :						
		उद्योग में नियोजित कर्मकारों की संख्या	पहला अवसर	दूसरा अवसर	तीसरा अवसर			
		1 से 50	1500/-रु.	3,000/-रु.	6,000/-रु.			
		51 से 100	3000/-रु.	6,000/-रु.	10,000/-रु.			
		101 से 500	4000/-रु.	8,000/-रु.	15,000/-रु.			
		500 से अधिक	5000/-रु.	10,000/-रु.	20,000/-रु.			

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधान प्रदरूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा:

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन नियोजक के आवेदन पर किया जाता है तो उससे प्राप्त प्रशमन की रकम संबद्ध कर्मचारी को संदत्त की जाएगी या कर्मकारों में बराबर-बराबर संदत्त की जाएगी और यदि कोई कर्मकार पहचानने योग्य नहीं हैं तो अतिशेष रकम समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रीति में जमा कर दी जाएगी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित/उन्मोचित कर दिया जाएगा।”

\*\*\*\*\*

## 21. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

(1946 का अधिनियम संख्यांक 20)

धारा 13ख के पश्चात् अंतःस्थापित करें--

### अपराधों का प्रशमन

“13ग.(1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर, पचास हजार रुपए की रकम के लिए, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपए से अधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा :

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधान प्रदरूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा:

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा।”।

\*\*\*\*\*

## 22. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

(2016 का 31)

धारा 1.- उपधारा (2) में परंतुक का लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 23. परिसीमा अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम संख्यांक 36)

धारा 30 के पश्चात् अंतःस्थापित करें,-

ऐसे वादों आदि के लिए उपबंध जिनके लिए परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित अवधि से कम विहित अवधि है।

“30क.- इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) कोई वाद, जिसके लिए परिसीमा की अवधि परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित परिसीमा की अवधि से कम है, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के प्रारंभ के पश्चात् अगले एक वर्ष के भीतर या परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा ऐसे वाद के लिए विहित अवधि के भीतर, इनमें से जो अवधि पहले समाप्त हो, संस्थित किया जा सकेगा :

परंतु यदि ऐसे किसी वाद के संबंध में एक वर्ष की उक्त अवधि परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 (अब निरसित) के अधीन उसके लिए विहित परिसीमा की अवधि से पहले समाप्त हो गई है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे वाद के संबंध में परिसीमा की उतनी अवधि के साथ एक वर्ष की उक्त अवधि, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के प्रारंभ के पूर्व से पहले ही समाप्त हो गई है, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अधीन ऐसे वाद के लिए विहित अवधि के कम है तब वाद को परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन उसके लिए विहित परिसीमा की अवधि के भीतर संस्थित किया जा सकेगा ;

(ख) कोई ऐसी अपील या आवेदन, जिसके लिए परिसीमा अवधि, परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा विहित परिसीमा की अवधि के कम है, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के प्रारंभ के पश्चात् अगले नब्बे दिन की अवधि के भीतर या परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995 द्वारा ऐसी अपील या आवेदन के लिए विहित अवधि के भीतर, इनमें से जो अवधि पहले समाप्त हो, किया जा सकेगा ।”

\*\*\*\*\*

### 24. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 27)

धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित करें, अर्थात्:-

अपराधों का प्रशमन 34क. (1) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1), धारा 31 और धारा 32 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्वया उसके पश्चात् अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पांच हजाररुपये से अधिक की प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमनकिया जा सकेगा ;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा ।

परंतु यह भी कि जब अपराध का प्रशमन नियोजक के आवेदन पर किया जाता है तो उससे ग्राप्त प्रशमन की रकम का पचहत्तर प्रतिशत संबंधित कर्मकार को, जहां कहीं साध्य हो संदत्त किया जाएगा या कर्मकारों में बराबर बराबरबांट दिया जाएगा और यदि कोईकर्मकार पहचान योग्य नहीं हैं तो अतिशेष रकम समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित रीति में जमा कर दी जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध आगे और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा ।”

\*\*\*\*\*

## 25. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962

(1962 का 26)

धारा 2क.- लोप करें ।

\*\*\*\*\*

## 26. राजभाषा अधिनियम, 1963

(1963 का 19)

धारा 9.- लोप करें ।

\*\*\*\*\*

## 27. भेषजी अधिनियम, 1948

(1948 का अधिनियम संख्यांक 8)

धारा 32 के पश्चात् अंतःस्थापित करें :-

जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत् 2011 (1955 ए.डी)के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध

“32ग.- धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 (1955 ए.डी) के अधीन अनुरक्षित भेषजज्ञों के रजिस्टर में अंतर्विष्ट किया गया है और जो उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता रखता है, 1 जनवरी, 2020 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त किए गए आवेदन के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर जो लद्वाख संघ

राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की जाए, इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किया गया और अनुरक्षित भेषजज्ञों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया समझा जाएगा।।

\*\*\*\*\*

**28. प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978**

(1978 का 37)

धारा 3.- “या जम्मू-कश्मीर” का लोप करें।

\*\*\*\*\*

**29. लोक ऋण अधिनियम, 1944**

(1944 का 18)

धारा 31.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

**30. रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966**

(1966 का 29)

धारा 15.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

**31. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976**

(1976 का अधिनियम संख्यांक 11)

धारा 9क के पश्चात्

अंतःस्थापित करें

अपराधों का प्रशमन

“9क.- (1)इस अधिनियम की धारा 4, धारा 5 और धारा 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या उसके पश्चात्, अभिकथित अपराधी के आवेदन पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पचास हजार रुपये से अनधिक प्रशमन की रकम के संदाय द्वारा प्रशमन किया जा सकेगा;

परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट प्रशमन की रकम को संशोधित कर सकेगी :

परंतु यह और कि एक ही अपराधी द्वारा तीन से अधिक अवसरों पर किए गए समान प्रकृति के अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे :

परंतु यह भी ऐसे अपराधों का प्रशमन केवल अभिकथित अपराधी द्वारा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के ऐसे समाधानप्रद रूप में कार्य करने के पश्चात् ही किया जाएगा कि ऐसा अपराध आगे और जारी नहीं रहेगा।

(2) जहांउपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है वहां ऐसे अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध और कार्यवाहियां नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में है, को निर्मोचित या उन्मोचित कर दिया जाएगा।”।

\*\*\*\*\*

### 32. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्याकं 07)

धारा 1 :- उपधारा (2) में “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” का लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 33. टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963

(1963 का 41)

धारा 2क.- लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 34. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

(1926 का 16)

धारा 9 – “रजिस्ट्रीकृत कर लेने पर” के पश्चात्

“अधिनियम के अन्य उपबंधों को पूरा करने के अधीन रहते हुए तीस दिन से अवधि की अवधि के भीतर” अंतःस्थापित करें।

\*\*\*\*\*

### 35. अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951

(1951 का 61)

धारा 3.—

उप-धारा (1) में “जम्मू और कश्मीर राज्य सहित” का लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 36. केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का 12)

धारा 2.—

(i) खंड (114) की, उप-धारा (ड.) में “और” का लोप करें तथा उप-खंड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

“(ड.क) लद्दाख; और”; और

(ii) खंड (121) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 37. कुदम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984

(1984 का 66)

धारा 1— उप-धारा (2) में “जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय” का लोप करें।

धारा 19.— उप-धारा (6) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 38. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

(1870 का 7)

धारा 26.— धारा 26 को इसकी उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित की गई उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करें—

“(2) उप-धारा (1) और धारा 25 के प्रयोजनों के लिए “स्टाम्प” से कोई चिन्ह, मुद्रा अथवा समुचित सरकार द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत कोई अभिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य न्यायालय शुल्क के प्रयोजनों के लिए कोई आसंजक अथवा छापित स्टाम्प भी है।

स्पष्टीकरण 1.—“छापित स्टाम्प” के अंतर्गत किसी फ्रेंकिंग मशीन अथवा किसी अन्य मशीन द्वारा छाप अथवा ई-स्टाम्पिंग अथवा इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न की गई कोई विशिष्ट संख्या भी है” जो समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण 2.—“ई-स्टाम्पिंग” से विशिष्ट संख्या अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से कोड अथवा किसी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का उपयोग करके स्टाम्प लगाना अभिप्रेत है।

\*\*\*\*\*

### 39. भारतीय वन अधिनियम, 1927

(1927 का 16)

धारा 2.—

(i) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखें—

“(1) प्राधिकृत अधिकारी” से धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(1क) “पशुओं” के अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंस, घोड़े, घोड़ी, बधिया घोड़ा, टटू, बछड़ा, बछेड़ी, खच्चर, गधे, सूअर, मेड़ा, भेड़ी, भेड़, मेमना, बकरी और मेमने भी हैं;

(1ख) "वन आधारित उद्योग" से कोई ऐसा उद्योग अथवा यूनिट अभिप्रेत है जिसमें किसी वन उत्पाद को कच्ची सामग्री के रूप में अथवा ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता हो;";

(ii) खंड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें –

(4) "वन उत्पाद" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) काष्ठ, काठ कोयला, रबड़, कत्था, काष्ठ तेल, राल, प्राकृतिक रोगन, छाल, लाख, कथ, हरहड़, डाइसकोरिया, ईंधन की लकड़ी, ह्यूमस, रिसोन्ट, मॉरेल्स, (मोरचेला एसपीपी), एकोनिटम एसपीपी, पोडोफाइलम एसपीपी, पिक्रोरहिजा एसपीपी, ट्रिलियम एसपीपी, नार्डोस्टैची एसपीपी, टैक्सस एसपीपी, वैलेरियन एसपीपी, ह्यूम एसपीपी, वन्य जीव, खाल, हाथी दांत, सींग, हड्डियां तथा वन्य जीवों के अन्य सभी अंग या उत्पाद चाहे वे किसी वन में पाए गए हों अथवा वन से लाए गए हैं अथवा नहीं; और

(ख) निम्नलिखित जब वन में पाए जाएं अथवा वन से लाए गए हों, अर्थात्—

(i) पेड़ तथा पत्तियां, पुष्प और फल, जड़ तथा खंड (क) में विनिर्दिष्ट न किए गए वृक्षों के अन्य सभी भाग अथवा उत्पाद;

(ii) पौधे, जो वृक्ष न हो (जिनमें घास, बांस, लताएं, सरकंडे तथा काई और सेवाक भी हैं) तथा इस प्रकार के पौधों के सभी भाग अथवा उत्पाद;

(iii) रेशम, कृमि कोष, शहद, गोंद; और

(iv) सड़ी-गली घास, मृदा, चट्टान तथा खनिज (जिनमें चूना, लेटेराइट, खनिज तेल तथा खान अथवा खदानों के सभी उत्पाद भी हैं);

(iii) खंड (5) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

(5क) "आरा मिल" से कोई संयंत्र और उसकी मशीनरी अभिप्रेत है जिसके साथ उसके परिसर (जिनमें उनके उप-क्षेत्र भी हैं) जिसमें या जिसके किसी भाग में विद्युत अथवा यांत्रिक शक्ति की सहायता से लकड़ी की चिराई की जाती हो;";

(iv) खंड (6) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

(6क) "परिवाहक" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, निजी अभिकरण, लद्धाख संघ राज्य क्षेत्र विभाग, निगम अथवा स्वप्रेरणा से या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से वन उत्पाद के परिवहन में लगी अन्य कोई एजेंसी शामिल है;";

(v) खंड (7) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

(8) "वन्य जीव" का वही अर्थ होगा जो इसका वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दिया गया है".

धारा 20 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

"20क.

सीमांकित वनों को

(1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते

आरक्षित वन समझा  
जाना।—

हुए, किसी ऐसी भूमि, जिसे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के अधीन अधिसूचित किए गए नियत दिवस से पूर्व जम्मू-कश्मीर सरकार की तारीख 29 सितम्बर के आदेश सं. 1962 के 69 के अनुसार राजस्व उद्यान (लद्दाख) के रूप में अभिलिखित किया गया था तथा जिसे वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था, को इस अधिनियम के अधीन आरक्षित वन के रूप में माना जाएगा।

(2) ऐसे वन की संरचना के संबंध में सभी विनिश्चित प्रश्नों, जारी किए गए आदेशों और तैयार किए गए अभिलेखों को इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित, जारी और तैयार किया गया माना जाएगा तथा आरक्षित वनों से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध उस वन के संबंध में लागू होंगे जिसको उप-धारा (1) के उपबंध लागू हैं।

धारा 26.—उप-धारा (1) में,—

- (i) खंड (ड.) में “खींचना” के स्थान पर “खींचना अथवा हटाना” रखें;
- (ii) खंड (च) में “उसी” के स्थान पर “उसी अथवा कोई भी वन उत्पाद” रखें;
- (iii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रखें —

“(ज) किसी आरक्षित वन में खेती करने अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भूमि की सफाई करता है अथवा उसे अलग करता है अथवा बाड़, आहाता अथवा कोई ढांचा खड़ा करता है अथवा खेती करने का प्रयास करता है”;

- (iv) दीर्घपक्ति में “छह मास अथवा ऐसे जुमनि से जो पांच सौ रु. तक हो सकेगा” के स्थान पर “दो वर्ष अथवा ऐसे जुमनि से जो पच्चीस हजार रु. तक हो सकेगा”, रखें।

धारा 28:-

- (i) उप-धारा (1) में “आरक्षित वन” के स्थान पर “आरक्षित वन अथवा घोषित कोई संरक्षित वन अथवा ऐसी भूमि जिसे बंदोबस्त अभिलेखों में खालसा भूमि के रूप में प्रविष्ट किया गया है” रखें।
- (ii) उप-धारा (3) में “आरक्षित वन” के पश्चात “अथवा यथास्थिति संरक्षित वन, अन्तस्थापित करें।

धारा 29 के पश्चात निम्नलिखित अन्तस्थापित करें:-

संरक्षित वन समझे जाने वाले गैर-सीमांकित वन

“29क (1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के अंतर्गत अधिसूचित नियत दिन से पूर्व कोई भी गैर-सीमांकित वन (जिससे यह अभिप्रेत है और इसमें सीमांकित वन से भिन्न सभी प्रकार की ऐसी वन भूमि शामिल है जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की संपत्ति है और जिसे किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए विनियोजित नहीं किया गया है और जिसमें जम्मू-कश्मीर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 की धारा 48 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन वन विभाग में गैर-सीमांकित और बेरन लाइन वन के रूप में अंतर्विष्ट की गई भूमि शामिल है), को इस अधिनियम के अधीन संरक्षित वन समझा जाएगा।

(2) गैर-सीमांकित वन के रूप में ऐसे वन की संरचना के संबंध में सभी विनिश्चित मामले, जारी आदेश और तैयार किए गए अभिलेखों को इस अधिनियम के अधीन विनिश्चित, जारी और तैयार किया गया माना जाएगा और संरक्षित वन क्षेत्र से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध उन वन को भी लागू होंगे जिनको उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हैं।

धारा 33- 39 धारा (1) में-

- (i) खंड (ग) में “अथवा स्पष्ट करता है” के पश्चात “अथवा व्यौरा तैयार करने का प्रयास करता अथवा स्पष्ट करता है” अन्तः स्थापित करें।
- (ii) खंड (च) में “खींचकर ले जाता है” के पश्चात “अथवा हटा देता है” अन्तः स्थापित करें।
- (iii) दीर्घ पंक्ति में “छह मास अथवा ऐसे जुर्माने जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा” के स्थान पर “दो वर्ष अथवा ऐसा जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा” रखें।

धारा 42- उप-धारा (1) में “छह मास” और पांच सौ रुपए “ के स्थान पर क्रमशः “दो वर्ष” और पच्चीस हजार रखें।

धारा – 51- उप-धारा (2) में “छह मास अथवा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रु. तक का हो सकेगा” के स्थान पर “दो वर्ष अथवा ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा” रखें।

धारा 52 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें:-

अधिहरण जाने वाली संपत्ति का अभिग्रहण और उसकी प्रक्रिया

“52(1) जब यह विश्वास करने का कारण है कि किसी आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन अथवा वन उत्पाद के संबंध में कोई वन संबंधी अपराध किया गया है, तो किसी ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त सभी औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपस्कर, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा किसी अन्य वस्तु के साथ वन उत्पाद को वन अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन किसी संपत्ति को अभिग्रहीत करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी संपत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला एक चिन्ह लगाएगा कि उसे इस प्रकार अभिग्रहीत किया गया है और यथाशीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को प्रस्तुत करेंगा जिसका रैंक संभागीय वन अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात “प्राधिकृत अधिकारी” कहा गया है) के रैंक से नीचे का न हो।

परन्तु यह कि जब वन उत्पाद जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया हुआ माना जाता है, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की संपत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तो यह पर्याप्त होगा यदि वह अधिकारी यथाशीघ्र इस परिस्थिति की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को दे देता है।

(3) उप-धारा (5) के अधीन, जहां प्राधिकृत अधिकारी का अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके संबंध में वन अपराध किया गया है तो वह लिखित में आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करके इस प्रकार अभिग्रहीत किए गए वन उत्पाद को सभी औजारों, शस्त्रों, नावों, छकड़ा, उपकरण, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा ऐसे अपराध को करने में प्रयोग किए गए किसी अन्य वस्तु के साथ अभिग्रहीत कर सकेगा और अभिहरण आदेश की एक प्रति कोई अनुचित विलम्ब किए बिना उस व्यक्ति को अग्रेषित करेगा जिससे संपत्ति अभिग्रहीत की गई है और वन मंडल के संरक्षक को अग्रेषित करेगा जिसमें वन उत्पाद, औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपकरण, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा अन्य कोई वस्तु, जैसा भी मामला हो, अभिग्रहीत किया गया है।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी संपत्ति का अभिहरण करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्राधिकृत अधिकारी, -

(क) संपत्ति के अभिहरण संबंधी कार्यवाही को आरंभ करने के बारे में उस अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को लिखित में सूचना नहीं भेज देता है, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है;

(ख) उस व्यक्ति को लिखित में नोटिस जारी करता है जिससे संपत्ति अभिग्रहीत की जाती है और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी करता है जिसका प्राधिकृत अधिकारी की राय में ऐसी संपत्ति में कोई हित हो;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित अभिहरण के विरुद्ध नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करता है; और

(घ) अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को जिन्हें खंड (ख) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, को इस प्रयोजनार्थ निश्चित की गई तारीख को सुनवाई का अवसर देगा;

(5) किसी औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपस्कर, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा कोई अन्य वस्तु (अभिग्रहीत की गई लकड़ी अथवा वन उत्पाद से भिन्न) के अभिहरण का कोई भी आदेश उप-धारा (3) के अधीन नहीं किया जाएगा, यदि उप-धारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के समाधान के लिए यह सिद्ध कर देता है कि ऐसा कोई औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपस्कर, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा कोई अन्य वस्तु उसकी जानकारी अथवा मौनानुकूलता के बिना अथवा जैसा भी मामला हो, अथवा उसके नौकर अथवा अभिकर्ता की जानकारी अथवा मौनानुकूलता के बिना प्रयोग किया गया था और यह कि वन अपराध के करने के संबंध में उपर्युक्त वस्तुओं के प्रति सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्व सावधानियां बरती गई हैं।

(6) जहां वन अपराध को करने में पशु अन्तर्वलित होते हैं तो उसे किसी अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत करने के पश्चात् किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस बचनबद्धता के साथ समुचित रसीद देने के बाद सौंपा जाएगा कि उसे मामले में जब अपेक्षित हो, प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे अपराध स्थल से पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई पशु अवरोधशाला नहीं पाई जाएगी:

परन्तु यह कि धारा 57 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दावा न किए गए पशु के मामले में, वन अधिकारी जिसका रैंक रेज अधिकारी से नीचे हो, अपराध स्थल के पास-पड़ोस में ऐसे प्रचार-प्रसार करने की तारीख से सात दिनों के भीतर दावा करने के लिए आगे आने वाले स्वामी के संबंध में पर्याप्त रूप से प्रचार-प्रसार करने के पश्चात किसी सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनका निपटान कर सकता है।

(7) पशु अतिचार अधिनियम 1871 (1971 का 1) के उपबंध, पशु के रख-रखाव और फीस के लिए लगाए गए प्रभारों के संबंध में लागू होंगे।

**अभिहरण के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण**  
“52क (1) अभिहरण के आदेश द्वारा पीड़ित कोई पक्षकार धारा 52 के अधीन आदेश किए जाने के तीस दिनों के भीतर अथवा यदि व्यक्ति के तथ्य उसे संसूचित नहीं किए गए हैं तो ऐसे आदेश के उसकी जानकारी में आने के तीस दिनों के भीतर सत्र न्यायालय के उस डिवीजन के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकता है जहां प्राधिकृत अधिकारी का मुख्यालय स्थित है।

**स्पष्टीकरण-1** - इस उप-धारा के अधीन तीस दिनों की अवधि की गणना करने में, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण-2** - इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ संघ राज्य क्षेत्र में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में ऐसे आदेश के प्रकाशित हो जाने पर पक्षकार को धारा 52 के अधीन ऐसे अभिहरण के आदेश की जानकारी रखना माना जाएगा।

(2) सत्र न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित अभिहरण के किसी अंतिम आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे उलट सकता अथवा उपांतरित कर सकता है।

(3) पुनरीक्षण में पारित किए गए आदेश की प्रति प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालना हेतु अथवा ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित ऐसा कोई और आदेश पारित करने अथवा ऐसा अगला आदेश देने अथवा आगे ऐसी अगली कोई कार्यवाही करने के लिए भेजी जाएगी।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने, उस पर सुनवाई करने और विनिश्चित करने के लिए, सत्र न्यायालय यथासंभव उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन्हीं प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उस पर सुनवाई करने और विनिश्चय करते समय प्रयोग करता है।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित सत्र न्यायालय का आदेश अंतिम होगा और किसी न्यायालय के समक्ष उसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

**कतिपय परिस्थितियों में न्यायालयों आदि के क्षेत्राधिकार पर वर्जन**

**52ख-** (1) ऐसे अपराध जिसके कारण संपत्ति का अभिग्रहण जो अधिहरण की विषयवस्तु है, को अभिहरण किया गया है, का विचारण करने के लिए धारा 52 की उप-धारा 4 के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति के अभिहरण संबंधी कार्यवाहियों की सूचना के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकारी (धारा 52 और 52क में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी और सत्र न्यायालय से भिन्न) को, इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति के कब्जे, परिदान, निपटान अथवा वितरण का क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिसके संबंध में धारा 52 के अधीन अभिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

**स्पष्टीकरण-** जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वन अपराधों के विचारण का क्षेत्राधिकार दो अथवा अधिक न्यायालयों के पास है तो न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय द्वारा धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर सभी ऐसे अन्य न्यायालयों को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना वर्जित होगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात इस अधिनियम की धारा 61 के अधीन शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी

**तलाशी अभिग्रहण शक्ति**

**और की** **52ग (1)** किसी भी वन अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी यान का प्रयोग उस वन उत्पाद के परिवहन के लिए किया गया है अथवा किया जा रहा है, जिसके संबंध में यह विश्वास करने का कारण है कि वन अपराध किया गया है अथवा किया जा रहा है, ऐसे यान के चालक अथवा उसके प्रभारी अन्य व्यक्ति को यान को रोकने और उसे वही उतने समय तक रुके रहने के लिए कहना जब तक यान में रखे सामान की जांच के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ले जाए जा रहे उस माल से संबंधित सभी अभिलेखों की जांच किया जाना अपेक्षित है जो ऐसे चालक अथवा यान के प्रभारी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है

(2) कोई भी वन अधिकारी जो रेंज अधिकारी के रैंक से कम का नहीं है, के पास यदि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वन उत्पाद इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनस्वरूप है, किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो वह वन उत्पाद की तलाशी करने और उसका अभिग्रहण करने के उद्देश्य से ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है

परंतु यह कि ऐसी तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी अन्यथा नहीं।

**अभिग्रहण की कार्यवाही का बलपूर्वक विरोध करने के लिए दंड**

**52घ-** जो कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहीत किए जाने वाले किसी वन उत्पाद, औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपस्कर, रससी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा किसी अन्य वस्तु के अभिग्रहण का विरोध करता है अथवा अभिग्रहण के पश्चात बलपूर्वक वापस ले लेता है तो वह ऐसी

अवधि के कारावास जो दो वर्ष तक हो सकेगा अथवा ऐसे जुमनि से जो पच्चीस सौ रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा

धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

**धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत की गई संपत्ति को निर्मोचित करने की शक्ति**

“53- कोई भी वन अधिकारी जिसका रैंक, रेंज अधिकारी के रैंक से कम का न हो, जिसने अथवा जिसके अधीनस्थ ने वन उत्पाद सहित किसी वन अपराध को करने में प्रयुक्त किसी औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपस्कर, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा किसी अन्य वस्तु को धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत किया है, वह संपत्ति के लिए उस संपत्ति के स्वामी द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति, ऐसी धनराशि जो ऐसे अधिकारी द्वारा यथा अनुमानित ऐसी संपत्ति के मूल्य से कम न हो, निष्पादन करने पर उसे समय तक निर्मोचित कर सकता है, जब अपराध का विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा धारा 52 की उप-धारा (2), जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, के अधीन सशक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो:

परंतु यह कि जब किसी वन उत्पाद का अभिग्रहण किसी ऐसे सदूर अवस्थान पर किया गया है जहां से उसे तत्काल ले आना संभव नहीं है तो वह अधिकारी जो अथवा जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन अभिग्रहण किया गया है, उसे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार सौंपी गई संपत्ति को प्रस्तुत करने के संबंध में बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे सौंप सकता है जब अपराध के विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा धारा 52 की उप-धारा (2), जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, के अधीन अधिकार प्राप्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो।”

धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

**मजिस्ट्रेट द्वारा अभिग्रहण की रिपोर्ट की प्राप्ति और तत्संबंधी प्रक्रिया**

“54- धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट विधि के अनुसार अपराधी की गिरफ्तारी और विचारण तथा संपत्ति के निपटान के लिए सब सुविधापूर्ण शीघ्रता से ऐसे आवश्यक उपाय करेगा:

परंतु यह कि संपत्ति के निपटान के लिए कोई आदेश जारी करने से पहले, मजिस्ट्रेट समाधान करेगा कि धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन उसके न्यायालय द्वारा अथवा अपराध जिसके कारण संपत्ति का अभिग्रहण किया गया है, के विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी अन्य न्यायालय द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई है।”

धारा 55-

उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

“(1) सभी प्रकार की लकड़ी अथवा वन उत्पाद जो किसी भी मामले में संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन की सम्पत्ति नहीं है और जिसके संबंध में वन अपराध किया गया है तथा किसी वन अपराध को करने में प्रयोग किए गए प्रत्येक मामले में प्रयुक्त सभी औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपस्कर, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा कोई अन्य वस्तु ऐसे अपराध के अपराधी की दोषसिद्धि होने पर धारा 52, 52क और 52ख के उपबंधों के अध्यधीन, अभिहरण की गई समझी जाएगी।

#### धारा 56

“जब..... का विचारण” के स्थान पर “52 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना जब..... का विचारण” रखें।

धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित रखें।

“57.... जब अपराधकर्ता अज्ञात है अथवा उसका पता नहीं लगाया जा सकता तो मजिस्ट्रेट, यदि उसे यह लगता है कि अपराध किया गया है तो वह धारा 52ख के अध्यधीन, उस सम्पत्ति, जिसके संबंध में अपराध किया गया है, को अपराध करने में प्रयोग किए गए औजार, शस्त्र, नाव, छकड़ा, उपस्कर, रस्सी, जंजीर, मशीन, यान, पशु अथवा किसी अन्य वस्तु का अभिहरण करने अथवा उसका समपहरण करने का आदेश दे सकता है और वन अधिकारी द्वारा लिए गए प्रभार अथवा उस व्यक्ति को इसका प्रभारी होने के लिए कह सकता है जिसे मजिस्ट्रेट इसके लिए उपयुक्त समझे:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश ऐसी सम्पत्ति को अभिग्रहीत करने की तारीख से एक मास व्यतीत होने तक अथवा ऐसे व्यक्ति जो उस पर दावा कर रहा है, और ऐसा कोई साक्ष्य जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करें, को सुने बिना नहीं दिया जाएगा।”

धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित रखें।

#### धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत की गई विनश्वर सम्पत्ति संबंधी प्रक्रिया

“58-धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट, इससे पूर्व किसी बात के होते हुए भी, धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत किसी सम्पत्ति की विक्री का निदेश दे सकता है और त्वरित एवं प्राकृतिक क्षय के अधीन रहते हुए उन आगमों का निपटान कर सकेगा मानों उसने तब निपटाया होता यदि वह बेची न गई होती।”

#### धारा 60

उसकी उप-धारा (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित के रूप में उप-धारा (2) के पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित करें “(1) धारा 52 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिहरण के लिए आदिष्ट सम्पत्ति को धारा 52क के अधीन सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के परिणाम के अध्यधीन, पुनरीक्षण की कार्यवाही का परिणाम आने पर सभी विल्लगमों से मुक्त होकर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में निहित हो जाएगी :

परंतु यह कि यदि धारा 52 के अधीन कोई पुनरीक्षण याचिका नहीं दी जाती है तो ऐसा निहितीकरण धारा 52क के अधीन पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति होने पर प्रभावी होगा।”

#### धारा 63

“अथवा जुमाने से” के स्थान पर ”अथवा ऐसे जुमाने से जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है” रखें।

धारा 64 के पश्चात के निम्नलिखित अंतः स्थापित करें।

**गैर जमानती अपराध** “64क इस अधिनियम अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 68 के अधीन शमनीय अपराधों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध गैर-जमानती होंगे।”

धारा 65 के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित करें।

**पुलिस सहायता की अध्यपेक्षा** “65क.... कोई भी वन अधिकारी धारा 52, धारा 63 और धारा 64 में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए उसकी सहायता करने हेतु किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकता है और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करें।

**प्राधिकृत अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की बाध्यता** 65ख.... इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन किसी सम्पत्ति को अभिग्रहीत करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति लेने के लिए बाध्य होगा।“

**धारा 67** “जो छह मास से अधिक का न हो अथवा ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से अधिक का न हो” के स्थान पर “जो दो वर्ष से अधिक का न हो अथवा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से अधिक का न हो” रखें।

धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

**अपराधों के शमन की शक्ति** 68 (1) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी वन अधिकारी जो सहायक वन पर्यवेक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, को निम्नलिखित के लिए सशक्त करता है-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह है, कि उसने धारा 62 अथवा धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई ऐसा वन अपराध किया है जिसमें पचास हजार रुपये से अनधिक का नुकसान अंतर्विष्ट है, तो उस अपराध जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति पर उसे करने का संदेह है, से प्रतिकर के रूप में धनराशि प्राप्त करना: परंतु यह कि प्रतिकर के रूप में प्राप्त धनराशि किसी मामले में ऐसे अपराध द्वारा हुई हानि में अंतर्वलित धनराशि के दुगने से कम न होगी; और

(ख) जब कोई सम्पत्ति अभिग्रहण के रूप में अभिग्रहीत की गई है तो उसे ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित इस उपधारा खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त, उसके मूल्य का संदाय करने पर निर्मुक्त करना।

(2) ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रतिकर और ऐसे मूल्य का संदाय होने पर, संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, को छोड़ दिया जाएगा और सम्पत्ति, यदि कोई अभिग्रहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**धारा 69** “प्रतिकूल सिद्ध होता है” के स्थान पर “अभियुक्त द्वारा प्रतिकूल सिद्ध किया जाता है” रखें।

धारा 69 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें

**अपराधों के लिए 69क-शास्त्रियां जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्दिष्ट शास्त्रियों से दोगुनी है, उन मामलों में लगायी जाएंगी जहां अपराध सूर्योदय के पहले अथवा विधिसम्मत प्राधिकारी को रोकने के लिए तैयारी करने के पश्चात किया जाता है अथवा जहां अपराधी को इसी प्रकार के अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है।”**

**धारा 71** “दस रुपये”, “दो रुपये”, “एक रुपये” और “आठ आने” के स्थान पर क्रमशः “एक हजार”, “दो हजार”, “दो सौ पचास रुपये”, “एक सौ रुपये” और “पचास रुपये” रखें।

**धारा 72 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-**

**वन अधिकारियों 72 (1) वन अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्- की शक्तियां**

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने, सीमांकित करने और उसका मानचित्र तैयार करने की शक्ति।

(ख) साक्ष्यों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेजों तथा महत्वपूर्ण वस्तु को पेश करने की सिविल न्यायालय की शक्ति।

(ग) वन अपराधों में जांच करने की शक्ति और ऐसी जांच के दौरान साक्ष्य प्राप्त करने और अभिलिखित करने की शक्ति; और

(घ) दण्ड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) के अधीन तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति:

परंतु यह कि खंड (ख) और (ग) के अधीन ये शक्तियां रेंज अधिकारी से नीचे के रैंक के वन अधिकारी द्वारा प्रयोग नहीं की जाएंगी:

परंतु यह कि खंड (घ) के अधीन ये शक्तियां संभागीय वन अधिकारी से नीचे के रैंक के नीचे के वन अधिकारी द्वारा प्रयोग नहीं की जाएंगी।

(2) उप-धारा (1) खंड (ग) के अधीन अभिलिखित किया गया कोई भी साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पश्चातवर्ती किसी विचारण में तब ग्राह्य होगा यदि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया है।

(3) कोई भी वन अधिकारी जिसका रैंक, रेंज अधिकारी से कम न हो, जांच करने की अपनी शक्तियों को वन रक्षक के रैंक के अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा यदि अपराध धारा 68 के अधीन शमनीय है।

**धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-**

**सदभावपूर्वक में किए गए कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति** 74 (1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा तदधीन किए गए आदेशों के अधीन किसी लोक सेवक के विरुद्ध सदभावपूर्वक या उसी प्रकार किए जाने के लिए लोप की गई किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्रवाही नहीं की जाएगी।

(2) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की पूर्व स्वीकृति के सिवाए, किसी वन अधिकारी द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए अथवा कार्य करने के लिए तात्पर्य रखते हुए किये गये किसी कथित अपराध का जानकारी किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा।

## धारा 76 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित करें-

वन उत्पाद पर आधारित वस्तु के विनिर्माण और उसकी तैयारी को विनियमित करने की शक्ति

76क (1) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकता है।

(क) निम्नलिखित वस्तुओं, वन उत्पाद के उपयोग अथवा विनिर्माण अथवा तैयारी में कार्यरत अथवा उद्योगों सहित आरा मिलों, लकड़ी डिपो, अग्निकाष्ठ डिपो और अन्य इकाइयों की स्थापना और लाइसेंस, परमिट अथवा अन्य द्वारा विनियमन (और उसकी फीस के संदाय करने का उपबंध करना।

- (i) खैरकाष्ठ से कथा (केटेचु) अथवा कव;
- (ii) रेसिन और वुडऑयल से रोसिन, टरपेंटाइन, अन्य उत्पाद;
- (iii) प्लाइवुड, वेनिर और काष्ठ आधारित उत्पाद;
- (iv) माचिस की डिब्बी और माचिस की तीलियां;
- (v) काष्ठ से बने पैकिंग केस सहित डिब्बे;
- (vi) काष्ठ से बने जुडनार और फर्नीचर की वस्तुएं;
- (vii) चारकोल, चूना पत्थर और जिप्सम;
- (viii) वन उत्पाद पर आधारित ऐसी अन्य वस्तुएं जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें;

(ख) खंड (क) में उल्लिखित वस्तुएं तैयार करने के लिए कद्दा माल उपाप्त करने के लिए लाइसेंस, परमिट अथवा अन्यथा द्वारा विनियमन, उसके लिए फीस का संदाय और निक्षेप और उसकी शर्तों का संपर्क अनुपालन ऐसी किसी शर्त का उल्लंघन करने के लिए इस प्रकार जमा की गई फीस अथवा उसके किसी भाग के लिए अभिहरण संबंधी उपबंध करना और ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे अधिहरण का न्याय निर्णयन जैसा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह उपबंध कर सकता है कि इस धारा के अधीन बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो पञ्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

## धारा 77

“जो एक मास तक का हो सकेगा, अथवा ऐसे जुर्माने से, जो पञ्चीस सौ रुपये तक हो सकेगा” के स्थान पर “जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, अथवा ऐसे जुर्माना से जो पञ्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा” रखें।

## धारा 79

उप-धारा (2) में दीर्घ पंक्ति “ऐसी अवधि के कारावास जो एक मास, अथवा जुर्माने से, जो पञ्चीस सौ रुपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा” के स्थान पर “ऐसी अवधि के कारावास जो एक वर्ष तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा” रखें।

## धारा 79 के पश्चात अंतः स्थापित करें-

आरक्षित अथवा संरक्षित वन के रूप में निर्धारित भूमि का अनधिकृत रूप से

79क (1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 20 अथवा धारा 29 के अधीन, जैसा भी मामला हो, आरक्षित अथवा संरक्षित वन के रूप में निर्धारित क्षेत्र किसी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करता है अथवा कब्जे में रखता है तो अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वन अधिकारी जो संभागीय वन अधिकारी के रैंक से कम न हो, के आदेश के द्वारा उसे संक्षेपतः कराया जा सकता है और ऐसी भूमि पर खड़ी किसी फसल

**कब्जा करने लेने के लिए शास्ति** अथवा कोई भवन अथवा कोई कार्य जो उस पर बना हो सकता है, को यदि ऐसे वन अधिकारी द्वारा ऐसे समय के अंदर नहीं हटाया जाता तो वह समपहरण का दायी होगा:

परंतु यह कि इस उप-धारा के अधीन बेदखल करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक बेदखल कराये जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति को यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है कि ऐसा आदेश क्यों न पारित कर दिया जाए।

- (2) इस प्रकार अभिग्रहीत की गई किसी भी सम्पत्ति का निपटान ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा वन अधिकारी निदेश दें और उस पर खड़ी किसी फसल, भवन को हटाने अथवा अन्य कार्य और भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक सभी कार्य की लागत को धारा 82 में उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति से वसूलनीय होगा।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन वन अधिकारी के आदेश से पीड़ित ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से संबंधित मुख्य वन संरक्षक के यहां लिखित रूप में याचिका देकर अपील कर सकता है और ऐसी याचिका के साथ उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति संलग्न होगी।
- (4) अपील प्राप्त होने पर और पक्षकारों को समन करने के पश्चात तथा कार्यवाही के अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात, मुख्य वन सर्वेक्षक सुविधा अनुसार अपील की सुनवाई की तारीख निश्चित करेगा और पक्षकारों को उसकी नोटिस देगा और तदनुसार अपील की सुनवाई करेगा।
- (5) मुख्य वन सर्वेक्षक द्वारा अपील पर पारित आदेश अंतिम होगा।

**अग्रि मामलों में उपायुक्त द्वारा संक्षिप्त कार्यवाही** 79ख- यदि धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन आने वाले किसी भी मामले में, जिला उपायुक्त को यह प्रतीत होता है कि संबंधित वन किसके अधीन स्थित है तो वह या तो स्वयं अथवा इस प्रयोजनार्थ इसके द्वारा तैनात तहसीलदार के माध्यम से संक्षेप में और प्रशासनिक, रीति से ऐसी स्थानीय जांच करने के पश्चात कि किसी ऐसे व्यक्ति अथवा गांव अथवा अन्य समुदाय ने ऐसी सूचना देने अथवा उसके द्वारा अपेक्षित ऐसी सहायता देने की अवज्ञा की है, तो वह उस पर ऐसा जुर्माना जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित कर सकता है और साथ ही साथ लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की सम्पत्ति को हुए तुक्सान के लिए ऐसे व्यक्ति, गांव अन्य अथवा अन्य समुदाय अथवा ऐसे गांव के ऐसे व्यक्तिगत सदस्य अथवा अन्य समुदाय द्वारा सभागीय वन अधिकारी के परामर्श से निर्धारित प्रतिकर का संदाय करने का निदेश दे सकता है और इस धारा के अधीन लगाए सभी जुर्माने के भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे।

**उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील** 79ग-धारा 79ख के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध संबंधित संभागीय आयुक्त को अपील की जा सकती है जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

धारा 82 के स्थान पर निम्नलिखित रखें।

**लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को देय धनराशि की वसूली** “82-इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, अथवा लकड़ी की कीमत अथवा अन्य वन उत्पाद, अथवा लकड़ी और अन्य वन उत्पाद के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में उपगत व्यय, और लकड़ी और अन्य वन उत्पाद से संबंधित किसी संविदा के अधीन जिसमें इसके भंग होने के लिए वसूलनीय धनराशि भी है अथवा इसके रद्दकरण के फलस्वरूप अथवा वन अधिकारी के प्राधिकार के द्वारा अथवा उसके अधीन नीलामी अथवा निविदा आमंत्रण द्वारा लकड़ी या अन्य वन उत्पाद के विक्रय से संबंधित नोटिस और इस अधिनियम के अधीन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रदत्त सभी प्रतिकर के कारण लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को देय सभी प्रकार की धनराशि यदि निर्धारित तारीख तक संदाय नहीं की जाती है तो उसे तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वैसे ही वसूला जाएगा।

जैसे कि वह भू-राजस्व का बकाया हो।”

**बंधपत्र के अधीन देय शास्ति की वसूली**

**82क-**जब किसी वन के पट्टे के संबंध में कोई व्यक्ति स्वयं को किसी कर्तव्य या कार्य को करने के लिए किसी बंधपत्र अथवा लिखत के द्वारा आबद्धकर करता है, अथवा किसी बंधपत्र अथवा लिखत के द्वारा यह प्रंसविदा करता है कि वह और उसका नौकर या अभिकर्ता किसी प्रकार का कृत्य करने से प्रवरित रहेगा तो ऐसे बंधपत्र में अथवा लिखत में निर्दिष्ट सम्पूर्ण धनराशि उसकी शर्तों के भंग होने के मामले में संदाय की जाने वाली राशि के रूप होगी, वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे भंग के मामले में उससे उस रूप में वसूल की जाएगी जैसे कि वह भू-राजस्व का बकाया हो।

**प्रतिकर के फायदे अथवा लाभ अथवा संदाय की पुनः बहाली**

**82ख-**इस अधिनियम अथवा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) जहां वन उत्पाद की विक्री अथवा किसी वन से लकड़ी ले जाने से संबंधित कोई संव्यवहार अथवा पट्टा भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के उपबंधों अथवा उसके अधीन जारी आदेश अथवा निदेश के अनुरूप नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे संव्यवहार अथवा पट्टे के आधार पर कोई फायदा उठाया अथवा लाभ लिया है तो वह इसको उस व्यक्ति अथवा पक्षकार को वापस करने के लिए बाध्य होगा जिससे यह प्राप्त किया गया था।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट उसके बदले में संदेय किसी फायदा अथवा लाभ की मात्रा अथवा प्रतिकर की धनराशि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित फायदा अथवा लाभ अथवा प्रतिकर की धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

**प्राधिकरण का गठन**

**82ग-** धारा 82ख के अधीन लाभ अथवा फायदे के मात्रा अथवा उसका मूल्य अथवा प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, जब आवश्यक होगा, एक प्राधिकरण का गठन करेगा जिसमें योग्यता और अनुभव वाले तथा निर्धारित शर्तों एवं निबंधन पर एक अथवा अधिक सदस्य होंगे जिनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

**प्राधिकरण की शक्तियां**

**82घ-(1)** प्राधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 82ख के अधीन फायदा अथवा लाभ की मात्रा अथवा उसके मूल्य अथवा प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने के लिए जांच करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी:-

(क) किसी व्यक्ति अथवा साक्षी को हाजिर कराने के लिए समन जारी करने और उसे लागू कराने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने अथवा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करने;

(ख) जांच की विषयवस्तु से संबंधित किसी दस्तावेज की खोज अथवा प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से जांच की विषयवस्तु से संबंधित किसी सार्वजनिक अभिलेख अथवा उसकी प्रति मांगना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा, जांच की विषयवस्तु से संबंधित दस्तावेजों अथवा अन्य लेखा बहिओं

के लिए कमीशन जारी करना।

(2) प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति को एक कमीशन जारी करने की शक्तियां भी होंगी जिसे वह स्थानीय अन्वेषण के लिए उपयुक्त समझे और जो किसी मामले को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित अथवा उचित हो तथा जो किसी सम्पत्ति की जांच अथवा उसके बाजार मूल्य को अभिनिश्चित करने की विषयवस्तु है।

(3) इस धारा के अधीन किसी प्रयोजन के लिए कमीशन निष्पादित करने के लिए निदेशित व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अनुसरण में सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर की सभी शक्तियां होंगी।

(4) प्राधिकरण को किसी वन उत्पाद अथवा लकड़ी (जहां कहीं भी यह संघ राज्य क्षेत्र में हो) के अभिहरण, अभिहरण, प्रबंधन, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा अथवा विक्रय के लिए ऐसा आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी जो वह उपयुक्त समझे और जो इसके समक्ष कार्यवाही की विषयवस्तु हो जिसमें पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए रिसीवर की नियुक्ति करना भी शामिल है।

अन्य संक्रमण पर  
निवंधन

**82ड-** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(क) जहां जांच के किसी भी प्रक्रम पर, प्राधिकरण का शपथ पत्र अथवा अन्यथा के द्वारा यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 82ख में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार अथवा पट्टा के बदले में कोई फायदा अथवा लाभ अथवा प्रतिकर के संदाय को वसूल करने का जिम्मेदार है, और वह इस आशय से अपनी चल अथवा अचल सम्पत्ति अंतरित करने वाला है ताकि संदाय से बच सके अथवा वसूली, फायदा अथवा लाभ अथवा उसके मूल्य अथवा प्रतिकर की धनराशि, जो उसके द्वारा अवधारित की जा सकती है, को निष्प्रभावी कर सके तो यह लिखित में आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी चल अथवा अचल सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग, आदेश में यथा निर्दिष्ट, को जांच के लंबित रहने तक अंतरित नहीं कर सकेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन जारी किसी भी आदेश अथवा निदेश के उल्लंघन में किया गया सम्पत्ति का कोई भी अन्य संक्रामण शून्य होगा और ऐसी सम्पत्ति का अन्तरिति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसमें कोई अधिकार, अथवा हित नहीं रखता है।

**व्याख्या-** इस धारा के प्रयोजनार्थ “अन्य संक्रामण” में सम्पत्ति का बंधक, विक्रय, उपहार, वसीयत, बेनामी संव्यवहार, पारिवारिक निपटारा अथवा किसी अधिकार, हक अथवा हित के अंतरण का कोई अन्य ढंग शामिल है।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में इस धारा के अधीन अधिरोपित युक्तियुक्त निवंधन माने जाएंगे।

प्राधिकारण द्वारा  
अनुसरण की जाने  
वाली प्रक्रिया

**82च-**(1) प्राधिकरण को लहाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अध्यधीन, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप अपने कृत्यों के निर्वहन से उत्पन्न अथवा उससे संबंधित सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी।

(2) पक्षकारों को परामर्श द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का प्राधिकार-प्राप्त होगा।

अपील

**82छ-** (1) धारा 82ख के अधीन फायदा अथवा लाभ की मात्रा अथवा उसके मूल्य अथवा प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करने के संबंध में प्राधिकरण के अंतिम आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकता है और ऐसी प्रत्येक अपील को उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा।

(2) प्राधिकरण का कोई अन्य आदेश अपील-योग्य नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण का आदेश, अपील के मामले में उप-धारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अधीन, अंतिम होगा तथा जम्मू-कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, 1996 की धारा 90 के अर्थान्तर्गत के प्रमाणपत्र माना जाएगा।

(4) उच्च-न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।

**सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन** 82-ज- किसी सिविल न्यायालय को धारा 82-ख के अधीन प्राधिकरण द्वारा जानकारी के लिए गए किसी मामले के संबंध में किसी मुकदमे अथवा अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकारिता नहीं होगा।

धारा 83 के पश्चात अंतःस्थापित करें-

**वन पट्टेदार आदि द्वारा अन्य संक्रामण पर निर्बंधन** “83क-(1) सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 (1882 का 4) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, किसी पट्टा-विलेख, बंधपत्र अथवा लिखत के अधीन, वन पट्टेदार द्वारा रायल्टी अथवा वन पट्टेदार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्याज, मुआवजा, जुर्माने अथवा किसी अन्य प्रभार्य राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में वन पट्टेदार प्रस्तुत की गई किसी सम्पत्ति का तब तक संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन की पूर्वानुमति के बिना अन्य संक्रमित नहीं किया जा सकता जब तक कि मुख्य वन संरक्षक यह प्रमाणित न कर दें कि ऐसे पट्टा-विलेख, बंधपत्र अथवा लिखत के अधीन उसे सौंपे गए सभी कर्तव्यों का वन पट्टेदार द्वारा पूर्ण रूप से निर्वहन किया गया है।

(2) उप-धारा (1) का उल्लंघन करके किया गया किसी भी सम्पत्ति का अन्य संक्रामण शून्य होगा तथा ऐसी सम्पत्ति पर अंतरिती का कोई अधिकार, हक अथवा हित अर्जित हुआ नहीं माना जाएगा।

(3) किसी पट्टा-विलेख, बंधपत्र अथवा अन्य लिखत के अधीन वन पट्टेदार से देय रायल्टी, ब्याज, प्रतिकर अथवा जुर्माना अथवा कोई अन्य राशि, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के रूप में, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई सम्पत्ति और वन-पट्टेदार के स्वामित्वाधीन किसी अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति से वसूल की जाएगी।

**स्पष्टीकरण-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति-

(क) “अन्य संक्रामण” में विक्रय, उपहार, आदान-प्रदान, वसीयत, बंधक, बेनामी संब्यवहार, पारिवारिक समझौता अथवा उसमें किसी अधिकार, हक अथवा हित के अंतरण का कोई अन्य ढंग अथवा उस पर किसी विल्लंगम का सृजन शामिल है;

(ख) “वन पट्टेदार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होना समझा जाएगा जिसको किसी पट्टा-विलेख, बंधपत्र अथवा अन्य लिखत के अधीन किसी वन से वन उत्पादों को संपरिवर्तित करने और हटाने का अधिकार दिया गया हो।

(4) शंकाओं दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर इस धारा के अधीन लगाए गए निर्बंधनों को युक्तियुक्त निर्बंधन माना जाएगा।”

धारा 84 के पश्चात, अंतःस्थापित करें-

**भूमि अधिनियम का लागू होना** 84(क) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा घोषित कर सकता है कि इस अधिनियम के कोई भी उपबंध ऐसी भूमि को लागू होंगे जो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख अथवा केंद्रीय सरकार की सम्पत्ति हो, और तदुपरि तदनुसार ऐसे उपबंध उस भूमि को लागू होंगे।”

\*\*\*\*\*

## 40. चलचित्र अधिनियम, 1952

(1952 का 37)

धारा 1. उप-धारा (3) में, परन्तुक का लोप करें।

धारा 2क लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 41. प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867

(1867 का 25)

धारा 1 उप-धारा (2) का लोप करें।

धारा 5क लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 42. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का 10)

धारा 2 उप-धारा (2) का लोप करें।

धारा 21

- (i) उप-धारा (5) में, दूसरे परन्तुक का लोप करें;
- (ii) उप-धारा (7) में, “संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से भिन्न” के स्थान पर “संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख” रखें; और
- (iii) उप-धारा (8) में, “संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली” के स्थान पर, “संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख” रखें।

\*\*\*\*\*

## 43. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

(2002 का 54)

धारा 13 उप-धारा (3क) के पन्तुक में, “धारा 17” शब्द और अंकों के पश्चात, “अथवा धारा 17क के अधीन जिला न्यायाधीश का न्यायालय” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

धारा 17क और धारा 18ख का लोप करें।

धारा 18ग

(क) उप-धारा (1) में,-

- (i) “धारा 17” और “धारा 18” शब्दों और अंकों के पश्चात् क्रमशः “अथवा धारा 17क” और “अथवा धारा 18ख” शब्दों, अंकों और अक्षर को लोप किया जाएगा; और
- (ii) “अधिकरण” और अपील अधिकरण” शब्दों के पश्चात्, “अथवा जिला न्यायाधीश का न्यायालय” और “अथवा उच्च न्यायालय” शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा।

(ख) उप-धारा (3) में-“अधिकरण” और “अपील अधिकरण” शब्दों के पश्चात् क्रमशः “या जिला न्यायाधीश का न्यायालय” और “या उच्च न्यायालय” शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 19

धारा 19 में-

- (i) “अधिकरण” और “अपील अधिकरण” शब्दों के पश्चात्, क्रमशः “अथवा जिला न्यायाधीश का न्यायालय” और “अथवा उच्च न्यायालय” और “या धारा 18ख में निर्दिष्ट उच्च न्यायालय” शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ii) “धारा 17” और “धारा 18” शब्दों और अंकों के पश्चात् “अथवा धारा 17 क” और “अथवा धारा 18 क” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

[फा. सं. 11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)**

**ORDER**

New Delhi, the 23rd October, 2020

**S.O. 3774(E).**—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Administration of the Union territory of Ladakh, namely:—

1. (1) This Order may be called the Union Territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Order, 2020.
- (2) It shall come into force with immediate effect.
2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India.
3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.
4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.

5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31<sup>st</sup> day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances, as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.

6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—

- (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

(2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Ladakh and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Administration of the Union territory of Ladakh.

\*\*\*\*\*

## SCHEDULE

(See Paragraph 3)

## CENTRAL LAWS

### 1. THE ADVOCATES ACT, 1961 (25 of 1961)

**Section 2.**— In sub-section (2), omit “in the State of Jammu and Kashmir or”, “that State or”.

**Section 58AF.**— Omit.

\*\*\*\*\*

### 2. THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1958 (24 of 1958)

**Omit—** Section 2A.

\*\*\*\*\*

### 3. THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996

#### (26 of 1996)

**Section 1.-** In sub-section (1), omit the proviso and *Explanation*.

Insertion of new sections – After section 8, insert.–

**Power of Court, seized of petition under section 9 or section 11 to refer dispute to mediation or conciliation.**

“8A. (1) If during the pendency of petition under section 9 or 11, it appears to the Court, that there exists elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the Court may, with the consent of parties, refer the parties, for resolution of their disputes, to–

- (a) mediation; or
- (b) conciliation.

(2) The procedure for reference of a dispute to mediation shall be as under:–

- (a) where a dispute has been referred for resolution by recourse to mediation, the procedure framed under this Act shall apply;
- (b) in case of a successful resolution of the dispute, the Mediator shall immediately forward the mediated settlement to the referral court;
- (c) on receipt of the mediated settlement, the referral court shall independently apply its judicial mind and record a satisfaction that the mediated settlement is genuine, lawful, voluntary, entered into without coercion, undue influence, fraud or misrepresentation and that there is no other legal impediment in accepting the same;
- (d) the Court shall record a statement on oath of the parties, or their authorised representatives, affirming the mediated settlement as well as a clear undertaking of the parties to abide by the terms of the settlement;
- (e) if satisfied, the Court shall pass an order in terms of the settlement;
- (f) if the main petition, in which the reference was made is pending, it shall be disposed of by the referral Court in terms thereof;
- (g) if the main petition, in which the reference was made stands disposed of, the mediated settlement and the matter shall be listed before the referral Court, which shall pass orders in accordance with clauses (c), (d) and (e); and
- (h) such a mediated settlement, shall have the same status and effect as an arbitral award and may be enforced in the manner specified under section 36.

(3) With respect to reference of a dispute to conciliation, the provisions of Part II of this Act shall apply as if the conciliation proceedings were initiated by the parties under the relevant provision of this Act.

**Power of Court, seized of matters under section 34 or section 37, to refer dispute to mediation or conciliation.**

“8B.(1) If during the pendency of a petition under section 34 or an appeal under section 37, it appears to the Court, that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court may, with the consent of parties, refer the parties, for resolution of their disputes, to–

- (a) mediation; or

(b) conciliation.

(2) The procedure for reference of a dispute to mediation shall be as under:-

- (a) where a dispute has been referred for resolution by recourse to mediation, the procedure framed under this Act shall apply;
- (b) in case of a successful resolution of the dispute, the Mediator shall immediately forward the mediated settlement to the referral Court;
- (c) on receipt of the mediated settlement, the referral Court shall independently apply its judicial mind and record a satisfaction that the mediated settlement is genuine, lawful, voluntary, entered into without coercion, undue influence, fraud or misrepresentation and that there is no other legal impediment in accepting the same;
- (d) the Court shall record a statement on oath of the parties, or their authorised representatives, affirming the mediated settlement as well as a clear undertaking of the parties to abide by the terms of the settlement;
- (e) if satisfied, the Court shall pass an order in terms of the settlement;
- (f) if the main petition, in which the reference was made is pending, it shall be disposed of by the referral Court in terms thereof;
- (g) if the main petition, in which the reference was made stands disposed of, the mediated settlement and the matter shall be listed before the referral Court, which shall pass orders in accordance with clauses (c), (d) and (e);
- (h) such a mediated settlement, shall have the status of a modified arbitral award and may be enforced in the manner specified under section 36 .

(3) With respect to reference of a dispute to conciliation, the provisions of Part III of this Act, shall apply as if the conciliation proceedings were initiated by the parties under the relevant provision of this Act”.

**Sections 29A.—**

(a) For sub-section (1), substitute —

“(1) The award shall be made within a period of twelve months from the date the arbitral tribunal enters upon the reference.

*Explanation.*—For the purposes of this sub-section, an arbitral tribunal shall be deemed to have entered upon the reference on the date on which the arbitrator or all the arbitrators, as the case may be, have received notice, in writing, of their appointment.”;

(b) in sub-section (4), omit second and third provisos.

**Section 34.—**

(i) after sub-section (2), insert -

“(2A) An arbitral award may also be set aside by the Court, if the Court finds that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the award:

Provided that an award shall not be set aside merely on the ground of an erroneous application of the law or by re-appreciation of evidence.”;

(ii) in sub-section (3),—

(a) for “three months” substitute “six months”;

(b) in the proviso, for “three months and “thirty days” substitute respectively “six months” and “sixty days”.

\*\*\*\*\*

#### 4. THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996

(27 of 1996)

Insertion of new section – After section 49, insert.—

**Compounding of offences.**

“49A. (1) Any offence punishable under sections 47, 48 and 49 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

(2) where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”

\*\*\*\*\*

#### 5. THE CENSUS ACT, 1948

(37 of 1948)

**Section 2A.**— Omit.

\*\*\*\*\*

#### 6. THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

(5 of 1908)

**Section 35.**— In section 35, in sub-section (1), omit “Commercial”.

**Section 35A.**— In section 35A, omit sub-section (2).

#### First Schedule-

(a) In Order V, in rule 1, in sub-rule (1), for the second proviso, substitute—

“Provided further that where the defendant fails to file the written statement within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the written statement on such other day, as may be specified by the court, for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the court deems fit, but which shall not be later than one hundred twenty days from the date of service of summons and on expiry of one hundred twenty days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the

written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record.”;

(b) in Order VII, after rule 2, insert —

**“2A. Where interest is sought in suit.**—(1) Where the plaintiff seeks interest, the plaint shall contain a statement to that effect along with the details set out under sub-rules (2) and (3).

(2) Where the plaintiff seeks interest, the plaint shall state whether the plaintiff is seeking interest in relation to a commercial transaction within the meaning of section 34 and, furthermore, if the plaintiff is doing so under the terms of a contract or under an Act, in which case the Act is to be specified in the plaint; or on some other basis and shall state the basis of that.

(3) The pleadings shall also state—

- (a) the rate at which interest is claimed;
- (b) the date from which it is claimed;
- (c) the date to which it is calculated;
- (d) the total amount of interest claimed to the date calculation; and
- (e) the daily rate at which interest accrues after the date.”;

(c) in Order VIII,—

(i) in rule 1, for the proviso, substitute —

“Provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the written statement on such other day, as may be specified by the court, for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the court deems fit, but which shall not be later than one hundred twenty days from the date of service of summons and on expiry of one hundred twenty days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken on record.”;

(ii) after rule 3, insert —

**“3A. Denial by defendant in suits.**— (1) The denial of allegations shall be in the manner provided in sub-rules (2), (3), (4) and (5).

(2) The defendant in his written statement shall state which of the allegations in the particulars of plaint he denies, which allegations he is unable to admit or deny, but which he requires the plaintiff to prove, and which allegations he admits.

(3) Where the defendant denies an allegation of fact in a plaint, he must state his reasons for doing so and if he intends to put forward a different version of events from that given by the plaintiff, he must state his own version.

(4) If the defendant disputes the jurisdiction of the court he must state the reasons for doing so, and if he is able, give his own statement as to which court ought to have jurisdiction.

(5) If the defendant disputes the plaintiff valuation of the suit, he must state his reasons for doing so, and if he is able, give his own statement of the value of the suit.”;

(iii) in rule 5, in sub-rule (1), after the first proviso , insert —

“Provided further, that every allegation of fact in the plaint, if not denied in the manner provided under rule 3A, shall be taken to be admitted except as against a person under disability.”;

(iv) in rule 10, insert –

“Provided that no court shall make an order to extend the time provided under rule 1 for filing of the written statement.”;

(d) for Order XI, substitute –

## “ORDER XI

### DISCLOSURE, DISCOVERY AND INSPECTION OF DOCUMENTS

**1. Disclosure and discovery of documents.**—(1) The plaintiff shall file a list of all documents and photocopies of all documents, in its power, possession, control or custody, pertaining to the suit, along with the plaint, including—

- (a) documents referred and relied on by the plaintiff in the plaint;
- (b) documents relating to any matter in question in the proceedings, in the power, possession, control or custody of the plaintiff, as on the date of filing the plaint, irrespective of whether the same is in support of or adverse to the plaintiff's case; and
- (c) nothing in this rule shall apply to documents produced by plaintiff and relevant only—
  - (i) for the cross-examination of the defendant's witnesses, or
  - (ii) in answer to any case setup by the defendant subsequent to the filing of the plaint, or
  - (iii) handed over to a witness merely to refresh his memory.

(2) The list of documents filed with the plaint shall specify whether the documents in the power, possession, control or custody of the plaintiff are originals, office copies or photocopies and the list shall also set out in brief, details of parties to each document, mode or execution, issuance or receipt and line of custody of each document.

(3) The plaint shall contain a declaration on oath from the plaintiff that all documents in the power, possession, control, or custody of the plaintiff, pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by him have been disclosed and copies thereof annexed with the plaint, and that the plaintiff does not have any other documents in its power, possession, control or custody.

*Explanation.*— A declaration on oath under this sub-rule shall be contained in the Statement of Truth as set out in the Appendix I.

(4) In case of urgent filings, the plaintiff may seek leave to rely on additional documents, as part of the above declaration on oath and subject to grant of such leave by court, the plaintiff shall file such additional documents in court, within thirty days of filing the suit, along with a declaration on oath that the plaintiff has produced all documents in its power, possession, control or custody, pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by the plaintiff and that the plaintiff does not have any other documents, in its power, possession, control or custody.

(5) The plaintiff shall not be allowed to rely on documents, which were in the plaintiff's power, possession, control or custody and not disclosed along with plaint or within the extended period set out above, save and except by leave of court and such leave shall be granted only upon the plaintiff establishing reasonable cause for non-disclosure along with the plaint.

(6) The plaintiff shall set out details of documents, which the plaintiff believes to be in the power, possession, control or custody of the defendant and which the plaintiff wishes to rely upon and seek leave for production thereof by the said defendant.

(7) The defendant shall file a list of all documents and photocopies of all documents, in its power, possession, control or custody, pertaining to the suit, along with the written statement or with its counter-claim if any, including—

- (a) the documents referred to and relied on by the defendant in the written statement;
- (b) the documents relating to any matter in question in the proceeding in the power, possession, control or custody of the defendant, irrespective of whether the same is in support of or adverse to the defendant's defense;
- (c) nothing in this rule shall apply to documents produced by the defendants and relevant only—
  - (i) for the cross-examination of the plaintiff's witnesses;
  - (ii) in answer to any case setup by the plaintiff subsequent to the filing of the plaint; or
  - (iii) handed over to a witness merely to refresh his memory.

(8) The list of documents filed with the written statement or counter-claim shall specify whether the documents, in the power, possession, control or custody of the defendant, are originals, office copies or photocopies and the list shall also set out in brief, details of parties to each document being produced by the defendant, mode of execution, issuance or receipt and line of custody of each document.

(9) the written statement or counter-claim shall contain a declaration on oath made by the deponent that all documents in the power, possession, control or custody of the defendant, save and except for those set out in sub-clause(iii) of clause (c)sub-rule (7), pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by the plaintiff or in the counter-claim, have been disclosed and copies thereof annexed with the written statement or counter-claim and that the defendant does not have in its power, possession, control or custody, any other documents.

(10) Save and except for sub-rule (7), defendant shall not be allowed to rely on documents, which were in the defendant's power, possession, control or custody and not disclosed along with the written statement or counter-claim, save and except by leave of court and such leave shall be granted only upon the defendant establishing reasonable cause for non-disclosure along with the written statement or counter-claim.

(11) The written statement or counter-claim shall set out details of documents in the power, possession, control or custody of the plaintiff, which the defendant wishes to rely upon and which have not been disclosed with the plaint, and call upon the plaintiff to produce the same.

(12) Duty to disclose documents, which have come to the notice of a party, shall continue till disposal of the suit.

**2. Discovery by interrogatories.**—(1) In any suit the plaintiff or defendant by leave of the court may deliver interrogatories in writing for the examination of the opposite parties or anyone or more of such parties, and such interrogatories when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such persons is required to answer:

Provided that no party shall deliver more than one set of interrogatories to the same party without an order for that purpose:

Provided further that interrogatories which do not relate to any matters in question in the suit shall be deemed irrelevant, notwithstanding that they might be admissible on the oral cross-examination of a witness.

(2) On an application for leave to deliver interrogatories, the particular interrogatories proposed to be delivered shall be submitted to the court, and that court shall decide within seven days from the day of filing of the said application, in deciding upon such application, the court shall take into account any offer, which may be made by the party sought to be interrogated to deliver particulars, or to make admissions, or to produce documents relating to the matters in

question, or any of them, and leave shall be given as to such only of the interrogatories submitted as the court shall consider necessary either for disposing fairly of the suit or for saving costs.

(3) In adjusting the costs of the suit, inquiry shall at the instance of any party be made into the propriety of exhibiting such interrogatories, and if it is the opinion of the taxing officer or of the court, either with or without an application for inquiry, that such interrogatories have been exhibited unreasonably, vexatiously, or at improper length, the costs occasioned by the said interrogatories and the answers thereto shall be paid in any event by the party in fault.

(4) The interrogatories shall be in the form provided in Form No. 2 in Appendix C, with such variations as circumstances may require.

(5) Where any party to a suit is a corporation or a body of persons, whether incorporated or not, empowered by law to sue or be sued, whether in its own name or in the name of any officer or other person, any opposite party may apply for any order allowing him to deliver interrogatories to any member or officer of such corporation or body, and an order may be made accordingly.

(6) Any objection to answering any interrogatory on the ground that it is scandalous or irrelevant or not exhibited bona fide for the purpose of the suit, or that the matters required into are not sufficiently material at that stage, or on the ground of privilege or any other ground may be taken in the affidavit in answer.

(7) Any interrogatories may be set aside on the ground that they have been exhibited unreasonably or vexatiously, or struck out on the ground that they are prolix, oppressive, unnecessary or scandalous and any application for this purpose may be made within seven days after service of the interrogatories.

(8) Interrogatories shall be answered by affidavit to be filed within ten days, or within such further time as the court may allow.

(9) An affidavit in answer to interrogatories shall be in the form provided in Form No. 3 in Appendix C with such variations as circumstances may require.

(10) No exceptions shall be taken to any affidavit in answer, but the sufficiency or otherwise of any such affidavit objected to as insufficient shall be determined by the court.

(11) Where any person interrogated omits to answer, or answers insufficiently, the party interrogating may apply to the court for an order requiring him to answer, or to answer further, as the case may be, and an order may be made requiring him to answer, or to answer further, either by affidavit or by *viva voce* examination, as the court may direct.

**3. Inspection.**—(1) All parties shall complete inspection of all documents disclosed within thirty days of the date of filing of the written statement or written statement to the counter-claim, whichever is later, the court may extend this time limit upon application at its discretion, but not beyond thirty days in any event.

(2) Any party to the proceedings may seek directions from the court, at any stage of the proceedings, for inspection or production of documents by the other party, of which inspection has been refused by such party or documents have not been produced despite issuance of a notice to produce.

(3) The order in such application shall be made within thirty days of filing such application, including filing replies and rejoinders (if permitted by court) and hearing.

(4) If the above application is allowed, inspection and copies thereof shall be furnished to the party seeking it, within five days of such order.

(5) No party shall be permitted to rely on a document, which it had failed to disclose or of which inspection has not been given, save and except with leave of court.

(6) The Court may impose exemplary costs against a defaulting party, who willfully or negligently failed to disclose all documents pertaining to a suit or essential for a decision therein and which are in their power, possession, control or custody or where the court holds that inspection or copies of any documents had been wrongfully or unreasonably withheld or refused.

**4. Admission and denial of documents.**—(1) Each party shall submit a statement of admissions or denials of all documents disclosed and of which inspection has been completed, within fifteen days of the completion of inspection or any later date as fixed by the court.

(2) The statement of admissions and denials shall set out explicitly, whether such party was admitting or denying—

- (a) correctness of contents of a document;
- (b) existence of a document;
- (c) execution of a document;
- (d) issuance or receipt of a document;
- (e) custody of a document.

**Explanation.**— A statement of admission or denial of the existence of a document made in accordance with clause (b) shall include the admission or denial of the contents of a document.

(3) Each party shall set out reasons for denying a document under any of the above grounds and bare and unsupported denials shall not be deemed to be denials of a document and proof of such documents may then be dispensed with at the direction of the court.

(4) Any party may however submit bare denials for third party documents of which the party denying does not have any personal knowledge of, and to which the party denying is not a party to in any manner whatsoever.

(5) An affidavit in support of the statement of admissions and denials shall be filed confirming the correctness of the contents of the statement.

(6) In the event that the court holds that any party has unduly refused to admit a document under any of the above criteria, costs (including exemplary costs) for deciding on admissibility of a document may be imposed by the court on such party.

(7) The court may pass orders with respect to admitted documents including for waiver of further proof thereon or rejection of any documents.

**5. Production of documents.**—(1) Any party to a proceeding may seek or the court may order, at any time during the pendency of any suit, production by any party or person, of such documents in the possession or power of such party or person, relating to any matter in question in such suit.

(2) Notice to produce such document shall be issued in the form provided in Form No. 7 in Appendix C.

(3) Any party or person to whom such notice to produce is issued shall be given not less than seven days and not more than fifteen days to produce such document or to answer to their inability to produce such document.

(4) The Court may draw an adverse inference against a party refusing to produce such document after issuance of a notice to produce and where sufficient reasons for such non-production are not given and order costs.

**6. Electronic records.**—(1) In case of disclosures and inspection of electronic records as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), furnishing of printouts shall be sufficient compliance of the above provisions.

(2) At the discretion of the parties or where required (when parties wish to rely on audio or video content), copies of electronic records may be furnished in electronic form either in addition to or in lieu of printouts.

(3) Where electronic records form part of documents disclosed, the declaration on oath to be filed by a party shall specify—

- (a) the parties to such electronic record;
- (b) the manner in which such electronic record was produced and by whom;
- (c) the dates and time of preparation or storage or issuance or receipt of each such electronic record;
- (d) the source of such electronic record and date and time when the electronic record was printed;
- (e) in case of e-mail ids, details of ownership, custody and access to such e-mail ids;
- (f) in case of documents stored on a computer or computer resource (including on external servers or cloud), details of ownership, custody and access to such data on the computer or computer resource;
- (g) deponent's knowledge of contents and correctness of contents;
- (h) whether the computer or computer resource used for preparing or receiving or storing such document or data was functioning properly or in case of malfunction that such malfunction did not affect the contents of the document stored; and
- (i) that the printout or copy furnished was taken from the original computer or computer resource.

(4) The parties relying on printouts or copy in electronic form, of any electronic records, shall not be required to give inspection of electronic records, provided a declaration is made by such party that each such copy, which has been produced, has been made from the original electronic records.

(5) The court may give directions for admissibility of electronic records at any stage of the proceedings.

(6) Any party may seek directions from the court and the court may of its motion issue directions for submission of further proof of any electronic record including metadata or logs before admission of such electronic record.”;

(e) after Order XV, insert —

## “ORDER XV-A

### First Case Management Hearing

**1. First Case Management Hearing.**—The court shall hold the first Case Management Hearing, not later than four week from the date of filing of affidavit of admission or denial of documents by all parties to the suit.

**2. Orders to be passed in Case Management Hearing.**—In a Case Management Hearing, after hearing the parties, and once it finds that there are issues of fact and law which require to be tried, the court may pass an order—

- (a) framing the issues between the parties in accordance with Order XIV after examining pleadings, documents and documents produced before it, and on examination conducted by the court under rule 2 of Order X, if required;
- (b) listing witnesses to be examined by the parties;
- (c) fixing the date by which affidavit of evidence to be filed by parties;
- (d) fixing the date on which evidence of the witnesses of the parties to be recorded;
- (e) fixing the date by which written arguments are to be filed before the court by the parties;
- (f) fixing the date on which oral arguments are to be heard by the court; and
- (g) setting time limits for parties and their advocates to address oral arguments.

**3. Time limit for completion of trial.**—In fixing dates or setting time limits for the purposes of rule 2, the court shall ensure that the arguments are closed not later than six months from the date of the first Case Management Hearing.

**4. Recording of oral evidence on day-to-day basis.**—The court shall, as far as possible, ensure that the record of evidence shall be carried on, on a day-to-day basis until the cross examination of all the witnesses is complete.

**5. Case Management hearings during trial.**— The court may, if necessary, also hold Case Management Hearings anytime during the trial to issue appropriate orders so as to ensure adherence by the parties to the dates fixed under rule 2 and facilitate speedy disposal of the suit.

**6. Powers of court in Case Management Hearing.**—(1) In any Case Management Hearing held under this Order, the court shall have the power to—

- (a) prior to the framing of issues, hear and decide any pending application filed by the parties under Order XIII-A;
- (b) direct parties to file compilations of documents or pleadings relevant and necessary for framing issues;
- (c) extend or shorten the time for compliance with any practice, direction or court order if it finds sufficient reason to do so;
- (d) adjourn or bring forward a hearing if it finds sufficient reason to do so;
- (e) direct a party to attend the court for the purposes of examination under rule 2 of Order X;
- (f) consolidate proceedings;
- (g) strike off the name of any witness or evidence that it deems irrelevant to the issues framed;
- (h) direct a separate trial of any issue;
- (i) decide the order in which issues are to be tried;
- (j) exclude an issue from consideration;
- (k) dismiss or give judgment on a claim after a decision on a preliminary issue;
- (l) direct that evidence be recorded by a Commission where necessary in accordance with Order XXVI;
- (m) reject any affidavit of evidence filed by the parties for containing irrelevant, inadmissible or argumentative material;
- (n) strike off any parts of the affidavit of evidence filed by the parties containing irrelevant, inadmissible or argumentative material;
- (o) delegate the recording of evidence to such authority appointed by the court for this purpose;
- (p) pass any order relating to the monitoring of recording the evidence by a commission or any other authority;
- (q) order any party to file land exchange costs budget; and
- (r) issue directions or pass any order for the purpose of managing the case and furthering the overriding objective of ensuring the efficient disposal of the suit.

(2) When the court passes an order in exercise of its powers under this Order, it may—

- (a) make it subject to conditions, including a condition to pay a sum of money into court; and
- (b) specify the consequence of failure to comply with the order or a condition.

(3) While fixing the date for a Case Management Hearing, the court may direct that the parties also be present for such Case Management Hearing, if it is of the view that there is a possibility of settlement between the parties.

**7. Adjournment of Case Management Hearing.**—(1) The Court shall not adjourn the Case Management Hearing for the sole reason that the advocate appearing on behalf of a party is not present:

Provided that an adjournment of the hearing is sought in advance by moving an application, the court may adjourn the hearing to another date upon the payment of such costs as the court deems fit, by the party moving such application.

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, if the court is satisfied that there is a justified reason for the absence of the advocate, it may adjourn the hearing to another date upon such terms and conditions it deems fit.

**8. Consequences of non-compliance with orders.**—Where any party fails to comply with the order of the court passed in a Case Management Hearing, the court shall have the power to—

- (a) condone such non-compliance by payment of costs to the court;
- (b) foreclose the non-compliant party's right to file affidavits, conduct cross-examination of witnesses, file written submissions, address oral arguments or make further arguments in the trial, as the case may be; or
- (c) dismiss the plaint or allow the suit where such non-compliance is willful, repeated and the imposition of costs is not adequate to ensure compliance.”;
- (f) in Order XVIII,—
  - (a) in rule 2, after sub-rule (3), insert —
    - "(3A) A party shall, within four weeks prior to commencing the oral arguments, submit concisely and under distinct headings written arguments in support of his case to the court and such written arguments shall form part of the record.
    - (3B) The written arguments shall clearly indicate the provisions of the laws being cited in support of the arguments and the citations of judgments being relied upon by the party and include copies of such judgments being relied upon by the party.
    - (3C) A copy of such written arguments shall be furnished simultaneously to the opposite party.
    - (3D) The court may, if it deems fit, after the conclusion of arguments, permit the parties to file revised written arguments within a period of not more than one week after the date of conclusion of arguments.
    - (3E) No adjournment shall be granted for the purpose of filing the written arguments unless the court, for reasons to be recorded in writing, considers it necessary to grant such adjournment.
    - (3F) It shall be open for the court to limit the time for oral submissions having regard to the nature and complexity of the matter.”;
  - (b) in rule 4, after sub-rule (1), insert —
    - "(1A) The affidavits of evidence of all witnesses whose evidence is proposed to be led by a party shall be filed simultaneously by that party at the time directed in the first Case Management Hearing.
    - (1B) A party shall not lead additional evidence by the affidavit of any witness (including of a witness who has already filed an affidavit) unless sufficient cause is made out in an application for that purpose and an order, giving reasons, permitting such additional affidavit is passed by the court.
    - (1C) A party shall, however, have the right to withdraw any of the affidavits so filed at any time prior to commencement of cross-examination of that witness, without any adverse inference being drawn based on such withdrawal:

Provided that any other party shall be entitled to tender as evidence and rely upon any admission made in such withdrawn affidavit.";

(g) in Order XIX, after rule 3, insert -

**"4. Court may control evidence.**—(1) The court may, by directions regulate the evidence as to issues on which it requires evidence and the manner in which such evidence may be placed before the court.

(2) The court may, in its discretion and for reasons to be recorded in writing, exclude evidence that would otherwise be produced by the parties.

**5. Redacting or rejecting evidence.**—A court may, in its discretion, for reasons to be recorded in writing—

- (i) redact or order the redaction of such portions of the affidavit of examination-in-chief as do not, in its view, constitute evidence; or
- (ii) return or reject an affidavit of examination-in-chief as not constituting admissible evidence.

**6. Format and guidelines of affidavit of evidence.**—An affidavit must comply with the form and requirements set forth below:—

- (a) such affidavit should be confined to, and should follow the chronological sequence of, the dates and events that are relevant for proving any fact or any other matter dealt with;
- (b) where the court is of the view that an affidavit is a mere reproduction of the pleadings, or contains the legal grounds of any party's case, the court may, by order, strike out the affidavit or such parts of the affidavit, as it deems fit and proper;
- (c) each paragraph of an affidavit should, as far as possible, be confined to a distinct portion of the subject;
- (d) an affidavit shall state—
  - (i) which of the statements in it are made from the deponent's own knowledge and which are matters of information or belief; and
  - (ii) the source for any matters of information or belief.
- (e) an affidavit should—
  - (i) have the pages numbered consecutively as a separate document (or as one of several documents contained in a file);
  - (ii) be divided into numbered paragraphs;
  - (iii) have all numbers, including dates, expressed in figures; and
  - (iv) if any of the documents referred to in the body of the affidavit are annexed to the affidavit or any other pleadings, give the annexures and page numbers of such documents that are relied upon.”;
- (h) after Appendix H, insert –

#### **"APPENDIX-I**

#### **STATEMENT OF TRUTH**

**[Under First Schedule, Order XI, rule 1, sub-rule (3)]**

I \_\_\_\_\_ the deponent do hereby solemnly affirm and declare as under:—

1. I am the party in the above suit and competent to swear this affidavit.
2. I am sufficiently conversant with the facts of the case and have also examined all relevant documents and records in relation thereto.

3. I say that the statements made in \_\_\_\_\_ paragraphs are true to my knowledge and statements made in \_\_\_\_\_ paragraphs are based on information received which I believe to be correct and statements made in \_\_\_\_\_ paragraphs are based on legal advice.
4. I say that there is no false statement or concealment of any material fact, document or record and I have included information that is according to me, relevant for the present suit.
5. I say that all documents in my power, possession, control or custody, pertaining to the facts and circumstances of the proceedings initiated by me have been disclosed and copies thereof annexed with the plaint, and that I do not have any other documents in my power, possession, control or custody.
6. I say that the above mentioned pleading comprises of a total of \_\_\_\_\_ pages, each of which has been duly signed by me.
7. I state that the Annexures hereto are true copies of the documents referred to and relied upon by me.
8. I say that I am aware that for any false statement or concealment, I shall be liable for action taken against me under the law for the time being in force.

Place:

Date:

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ do hereby declare that the statements made above are true to my knowledge.

Verified at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_\_.

**DEPONENT".**

\*\*\*\*\*

**7. THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973**  
**(2 of 1974)**

**Section 24.**—After sub-section (6), insert -

“(6A). Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and sub-section (6), the Administration of the Union territory of Ladakh may appoint a person who has been in practice as an Advocate for not less than seven years as Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor for the District Courts and it shall not be necessary to appoint Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor for the High Court in consultation with High Court and Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor for the District Court from amongst the person constituting the cadre of prosecution for the Union territory of Ladakh.”.

**Section 25A.(i)** For sub-sections (1) and (2), substitute—

“(1) The Administration of the Union territory of Ladakh shall establish a Directorate of Prosecution headed by an officer as may be designated by the said Administration and consisting of such other officers, as may be provided in rules to be framed by the Administration of the Union territory of Ladakh .

(2) The posts of officers mentioned in sub-section (1), constituting the prosecution cadre, shall be filled in accordance with the rules to be framed by the Administration of the Union territory of Ladakh.”;

(ii) in sub-section (3), for “Director of Prosecution” substitute “such officer as may be prescribed in rules to be framed by the Administration of the Union territory of Ladakh”;

(iii) for sub-section (4), substitute—  
“(4) Every officer in the Directorate of Prosecution shall be subordinate to the officer heading the Directorate.”;

(iv) for sub-section(5), substitute -  
“Every Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor and Special Public Prosecutor appointed by the Administration of the Union territory of Ladakh under sub-section (1), or as the case may be under sub-section (8) of section 24 to conduct cases in the High Court shall be subordinate to the officer heading the Directorate of Prosecution.”;

(v) for sub-section (7), substitute—  
“(7) The powers and functions of the officer heading the Directorate of Prosecution and other officers of the prosecution cadre shall be such as may be provided by the rules to be framed by the Administration of the Union territory of Ladakh.”;

(vi) omit sub-section (8).

**First Schedule.—** After the entries relating to section 354D, insert –

1	2	3	4	5	6
“354E	Sextortion	Imprisonment of not less than three years but which may extend to five years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Magistrate of the First Class.”.

\*\*\*\*\*

## 8. THE COLLECTION OF STATISTICS ACT, 2008

(07 of 2009)

**Section 1.—** In sub-section (2),omit the proviso.

\*\*\*\*\*

## 9. THE COMMISSIONS OF INQUIRY ACT, 1952

(60 of 1952)

**Section 2.—** In clause (a), in sub-clause(ii), omit the proviso.

**Section 2A.—** Omit.

\*\*\*\*\*

**10. THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970**  
**(37 of 1970)**

Section 1. - In sub-section (4), in clause (a), for “twenty”, substitute “forty”.

After section 25, insert –

**Compounding of offences.** “25A. (1) Any offence punishable under sub-sections (1) and (2) of section 22 and section 24 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may by notification in the official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below: —

**TABLE**

S. No.	Section	Compounding amount	
1	2	3	
1	22(1), 22(2) and 24	Number of workmen employed in the industry	Amount not exceeding
		1 to 50	Rs.5000/-
		51 to 100	Rs. 8,000/-
		101 to 500	Rs. 12,000/-
		More than 500	Rs. 16,000/- :

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the principal employer or contractor, then seventy- five per cent. of the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned employee or equally amongst the employees and if any employees are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”

\*\*\*\*\*

### 11. THE DENTISTS ACT, 1948

(16 of 1948)

**Section 2A .—** Omit.

**Section 33.—** In sub-section (1), in third proviso , omit clause (c).

\*\*\*\*\*

### 12. THE FACTORIES ACT, 1948

(63 of 1948)

**Section 2.-** In clause (m),

- (i) in sub-clauses (i) for the words “ten or more workers”, the words “twenty or more workers” shall be substituted;
- (ii) in sub -clause(ii), for the words “twenty or more workers”, the words “forty or more workers” shall be substituted.

**Section 66. -** In sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be substituted:-

“(b) women shall be entitled to be employed in all establishments for all types of work and they may also be employed, with their consent before 6 A.M. and beyond 7 P.M. subject to such conditions, relating to safety, holidays and working hours or any other condition to be observed by the employer, as may be prescribed;”.

\*\*\*\*\*

### 13. THE GOVERNMENT SECURITIES ACT, 2006

(38 of 2006)

**Section 33 .—** Omit.

\*\*\*\*\*

### 14. THE HIGH COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICES) ACT, 1954

(28 of 1954)

**Section 23C.—** Omit.

\*\*\*\*\*

### 15. THE HOMEOPATHY CENTRAL COUNCIL ACT, 1973

(59 of 1973)

**Section 2.—** Omit sub-section (2).

\*\*\*\*\*

**16. THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956**  
**(104 of 1956)**

**Section 2A.—** Omit.

\*\*\*\*\*

**17. THE INCOME-TAX ACT, 1961**  
**(43 of 1961)**

**Section 269S.—** Omit.

\*\*\*\*\*

**18. THE INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL ACT, 1970**  
**(48 of 1970)**

**Section 2.—** Omit sub-section (2).

\*\*\*\*\*

**19. THE INDIAN PENAL CODE**  
**(45 of 1860)**

Insertion of new section — After section 354D, insert —

**Sextortion**                    “354E.—(1) Whoever,—

- (a) being in a position of authority; or
- (b) being in a fiduciary relationship; or
- (c) being a public servant,

abuses such authority or fiduciary relationship or misuses his official position to employ physical or non physical forms of coercion to extort or demand sexual favours from any woman in exchange of some benefits or other favours that such person is empowered to grant or withhold, shall be guilty of offence of sextortion.

**Explanation.**—For the purposes of this section, ‘sexual favour’ shall mean and include any kind of unwanted sexual activity ranging from sexually suggestive conduct, sexually explicit actions such as touching, exposure of private body parts to sexual intercourse, including exposure over the electronic mode of communication.

(2) Any person who commits the offence of sextortion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but may extend to five years and with fine.”.

\*\*\*\*\*

## 20. THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

Section 2A.- In sub-section (3), for “three years”, substitute “one year”.

Section 25F.-In clause (b), for “fifteen days”, substitute “thirty days”.

Section 25K.-In sub-section (1), for “one hundred”, substitute “three hundred”.

Insertion of new section — After section 31, insert —

**Compounding of offences.**

“31A.(1) Any offence punishable under sections 25Q, 25R, 25U, 26, 27, 28, 29, 30A and sub-sections (1) and (2) of section 31 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf for such amount as specified in the Table below:-

Table

S.N.	Section	Compounding amount										
1	2	3										
1	25Q	25 days wages last drawn by each workman.										
2	25R	60 days wages last drawn by each workman.										
3	25U	<p>(i) By each workman Rs.150/- per day but not exceeding Rs. 3000/- in aggregate;</p> <p>(ii) By employer Rs.300/- per day but not exceeding the amount in aggregate as shown below:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Number of workmen employed in the industry</th><th style="text-align: center;">Amount not exceeding</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 to 50</td><td style="text-align: center;">Rs. 5000/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">51 to 100</td><td style="text-align: center;">Rs. 8000/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">101 to 500</td><td style="text-align: center;">Rs. 12000/-</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">More than 500</td><td style="text-align: center;">Rs. 16000/-</td></tr> </tbody> </table>	Number of workmen employed in the industry	Amount not exceeding	1 to 50	Rs. 5000/-	51 to 100	Rs. 8000/-	101 to 500	Rs. 12000/-	More than 500	Rs. 16000/-
Number of workmen employed in the industry	Amount not exceeding											
1 to 50	Rs. 5000/-											
51 to 100	Rs. 8000/-											
101 to 500	Rs. 12000/-											
More than 500	Rs. 16000/-											
4	26	<p>(i) In case of illegal strike, Rs.150/- per day by each workman but not exceeding Rs.3000/- in aggregate;</p> <p>(ii) In case of illegal lock-out, Rs. 300/- per day by an employer but not exceeding the amount in aggregate as shown below:</p>										

		Number of workmen employed in the industry	Amount not exceeding					
		1 to 50	Rs. 5000/-					
		51 to 100	Rs. 8000/-					
		101 to 500	Rs. 12000/-					
		More than 500	Rs. 16000/-					
5	27 and 28	As per section 26 above for illegal strike and lockout.						
6	29	Rs. 200/- per day in respect of each of the workman.						
7	30A	25 days wages last drawn by each workman.						
8	31(1)	Number of workmen employed in the industry	For first occasion	For second occasion	For third occasion			
		1 to 50	Rs. 5000/-	Rs. 10,000/-	Rs. 15,000/-			
		51 to 100	Rs. 8000/-	Rs. 16,000/-	Rs. 24,000/-			
		101 to 500	Rs. 12000/-	Rs. 24,000/-	Rs. 36,000/-			
		More than 500	Rs. 16000/-	Rs. 32,000/-	Rs. 48,000/-			
9	31(2)	(i) For each workman, for the first offence Rs.1000/- for the second offence Rs.2000/- and for the third offence Rs.3000/- (ii) For employer:						
		Number of workmen employed in the industry	For first occasion	For second occasion	For third occasion			
		1 to 50	Rs. 1500	Rs. 3000	Rs. 6000			
		51 to 100	Rs.3000	Rs.6000	Rs.10000			
		101 to 500	Rs.4000	Rs.8000	Rs.15000			
		More than 500	Rs.5000	Rs.10000	Rs.20000:			

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compoundable only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then the compounding amount received from him, shall be paid to the concerned workman or equally amongst the workman and if any workmen are not identifiable, then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”.

\*\*\*\*\*

## 21. THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ACT, 1946

(20 of 1946)

Insertion of new section — After section 13B, insert —

### Compounding of offences.

“13C.—(1) Any offence punishable under the Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount of not more than rupees fifty thousand, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf for the amount of rupees fifty thousand:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”.

\*\*\*\*\*

## 22. THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

(31 of 2016)

### Section 1.—

In sub-section (2), omit the proviso.

\*\*\*\*\*

### 23. THE LIMITATION ACT, 1963

(36 of 1963)

Insertion of new section — After section 30, insert —

**Provision for suits, etc., for which prescribed period is shorter than period prescribed by Limitation Act, Samvat 1995.**

“30-A. —Notwithstanding anything contained in this Act,—

(a) any suit for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Limitation Act, Samvat 1995, may be instituted within a period of one year next after the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019(34 of 2019) or within the period prescribed for such suit by the Limitation Act, Samvat 1995, whichever period expires earlier:

Provided that if in respect of any such suit, the said period of one year expires earlier than period of limitation prescribed therefor under the Limitation Act, Samvat 1995 (now repealed) and the said period of one year together with so much of the period of limitation in respect of such suit under the said Act, as has already expired before the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019(34 of 2019) is shorter than the period prescribed for such suit under the Limitation Act, 1963(36 of 1963), then, the suit may be instituted within the period of limitation prescribed therefor under the Limitation Act, 1963;

(b) Any appeal or application for which the period of limitation is shorter than the period of limitation prescribed by the Limitation Act, Samvat 1995, may be preferred or made within a period of ninety days next after the commencement of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or within the period prescribed for such appeal or application by the Limitation Act, Samvat 1995, whichever period expires earlier.”.

\*\*\*\*\*

### 24. THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

(27 of 1961)

After section 34, insert:-

**Compounding of offences.**

“34A. (1) Any offence punishable under sub-section (1) of section 29, section 31 and section 32 may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than five thousand rupees, by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

Provided also that when an offence is compounded on an application by the employer, then seventy-five per cent of the compounding amount received from him, shall be paid wherever it is feasible to the concerned worker or equally amongst the workers and if any workmen are not identifiable then the remaining amount shall be deposited in such manner as may be notified by the appropriate Government.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”.

\*\*\*\*\*

## 25. THE NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION ACT, 1962

(26 of 1962)

**Section 2A.—** Omit.

\*\*\*\*\*

## 26. THE OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963

(19 of 1963)

**Section 9.—** Omit.

\*\*\*\*\*

## 27. THE PHARMACY ACT, 1948

(8 of 1948)

Insertion of new section — After section 32B, insert —

**Special provisions regarding persons registered under Jammu and Kashmir Pharmacy Act, Samvat, 2011 (1955 A.D).**

“32C. — Notwithstanding anything contained in section 32, any person whose name has been entered in the register of pharmacists maintained under the Jammu and Kashmir Pharmacy Act, 2011 (1955 A.D) and possesses qualification prescribed under the said Act shall be deemed to have been entered in the register of pharmacists prepared and maintained under Chapter IV of this Act, subject to an application to be made in this behalf within a period of one year commencing from 1st day of the January, 2020 and payment of such fee as may be prescribed by the Administration of the Union territory of Ladakh.”.

\*\*\*\*\*

**28. THE PRESS COUNCIL ACT, 1978**  
**(37 of 1978)**

**Section 3.**— Omit “Jammu and Kashmir or”.

\*\*\*\*\*

**29. THE PUBLIC DEBT ACT, 1944**  
**(18 of 1944)**

**Section 31.**— Omit.

\*\*\*\*\*

**30. THE RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) ACT, 1966**  
**(29 of 1966)**

**Section 15.**— Omit.

\*\*\*\*\*

**31. THE SALES PROMOTION EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1976**  
**(11 of 1976)**

Insertion of new section — After section 9, insert —

**Compounding of offences.** “9A. (1) Any offence punishable under section 4, 5 and 7 or any rules made under this Act may, either before or after the institution of the prosecution, on an application by the alleged offender, be compounded by payment of compounding amount not more than fifty thousand by such officer or authority as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:

Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the said specified compounding amount:

Provided further that the offences of the same nature committed by the same offender for more than three occasions shall not be compoundable:

Provided also that such offences shall be compounded only after the alleged offender has acted to the satisfaction of such officer or authority that such offence is not continued any further:

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence in respect of such offence and the offender, if in custody, shall be released or discharged.”.

\*\*\*\*\*

**32. THE STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) ACT, 2014**  
**(7 of 2014)**

Section 1.— In sub-section (2), omit ‘except the State of Jammu and Kashmir’.

\*\*\*\*\*

**33. THE TEXTILES COMMITTEE ACT, 1963**  
**(41 of 1963)**

**Section 2A.**— Omit.

\*\*\*\*\*

**34. THE TRADE UNIONS ACT, 1926**  
**(16 of 1926)**

Section 9.— After “certificate of registration”, “insert with in a period not exceeding thirty days subject to the fulfillment of other provisions of this Act”.

\*\*\*\*\*

**35. THE ALL INDIA SERVICES ACT, 1951**  
**(61 of 1951)**

**Section 3.**— In sub-section (1), omit “including the State of Jammu and Kashmir”.

\*\*\*\*\*

**36. THE CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017**  
**(12 of 2017)**

**Section 2.**— (i) in clause (114), in sub-clause (e), omit “and” and after sub-clause (e), insert –  
 —

“(ea) Ladakh; and”; and

(ii) omit clause (121).

\*\*\*\*\*

**37. THE FAMILY COURTS ACT, 1984**  
**(66 of 1984)**

**Section 1—** In sub-section (2), omit “except the State of Jammu and Kashmir” .

**Section 19.—** Omit sub-section (6).

\*\*\*\*\*

## 38. THE COURT-FEES ACT, 1870

(7 of 1870)

## Section 26.—

Numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so numbered, insert –

‘(2) For the purposes of sub-section (1), and section 25, “stamp” means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorised by the Appropriate Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of court fee chargeable under this Act.

*Explanation 1.*—The expression “impressed stamp” includes impression by a franking machine or another machine, or a unique number generated by e-stamping or similar software, as the Appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify.’.

*Explanation 2.*— The expression “e-stamping” means stamping using unique number or code through an electronic machine or a software application’.

\*\*\*\*\*

39. THE INDIAN FOREST ACT, 1927  
(16 of 1927)

## Section 2.—

(i) For clause (1), substitute –

‘(1) “authorised officer” means an officer authorised under sub-section (2) of section 52;

(1A) “cattle” include elephants, camels, buffaloes, horses, mares, geldings, ponies, colts, fillies, mules, asses, pigs, ram, ewes, sheep, lambs, goats and kids;

(1B) “forest based industry” means an industry or unit in which any forest produce is used as raw material or as a source of energy;’;

(ii) for clause (4), substitute –

‘(4) “forest-produce” includes—

(a) timber, charcoal, caoutchouc, catechu, wood-oil, resin, natural varnish, bark, lac, kuth, myrobalans, dioscorea, firewood, humus, rasaunt, morels (*Morchellaspp*), *Aconitum spp*, *Podophyllum spp*, *Picrorhizaspp*, *Trillium spp*, *Nardostachysspp*, *Taxus spp*, *Valerianasspp*, *Rheum spp*, wild animals, skins, tusks, horns, bones and all other parts or produce of wild animals whether found in, or brought from, a forest or not; and

(b) the following when found in, or brought from, a forest, namely:—

(i) trees and leaves, flowers and fruits, roots and all other parts or produce of trees not specified in clause (a);

(ii) plants not being trees (including grass, bamboos, creepers, reeds and moss and lichen), and all parts or produce of such plants;

(iii) silk, cocoons, honey and wax; and

- (iv) peat, surface soil, rock, and minerals (including limestone, laterite, mineral oils, and all products of mines or quarries);';
- (iii) after clause (5), insert -  
 '(5A) "saw mill" means any plant and machinery with which and the premises (including the precincts thereof) in which or in any part of which sawing is carried on with the aid of electrical or mechanical power;';
- (iv) after clause (6), insert -  
 '(6A) "transporter" includes a person, private agency, Department of the Union territory of Ladakh, Corporation or any other agency engaged in transport of forest produce whether on his own or on behalf of any other person.';
- (v) after clause (7), insert -  
 '(8) "wild animal" shall have the same meaning as assigned to it in the Wild Life (Protection) Act, 1972.'.

Insertion of new section – After section 20, insert –

**“20A.**

**Demarcated forests deemed to be reserved forests.**

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any land which was recorded as Revenue Garden (Ladakh) and transferred to the Forest Department in accordance with the Government of Jammu and Kashmir Order Number 69 of 1962, dated the 29<sup>th</sup> September, prior to the appointed day notified under the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019(34 of 2019), shall be deemed to be a reserved forest under this Act.
- (2) All questions decided, orders issued and records prepared in connection with the constitution of such forest as demarcated forests shall be deemed to have been decided, issued and prepared under this Act, and the provisions of this Act relating to reserved forests shall apply to forest to which the provision of sub-section (1) are applicable".

**Section 26. – In sub-section (1),–**

- (i) in clause (e), for "dragging" substitute "dragging or removing";
- (ii) in clause (f), for "the same" substitute "the same or any forest produce";
- (iii) for clause (h), substitute —  
 "(h) clears or breaks up any land or erects a fence, enclosure or any structure for cultivation or cultivates or attempts to cultivate any land in any other manner in any reserved forest, or for any other purpose";
- (iv) in the long line, for "six months, or with fine which may extend to five hundred rupees,", substitute "two years, or with fine which may extend to twenty -five thousand rupees,".

**Section 28.–**

- (i) In sub-section (1), for "reserved forest", substitute "reserved forest or declared a protected forest or is a land which has been entered in settlement records as khalsa land";
- (ii) in sub-section (3), after "reserved forests", insert "or protected forests, as the case may be",.

After section 29, insert –

**Undemarcated**      "29A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for

**forests deemed to be protected forests.**

the time being in force, any undemarcated forest (which means and includes all forest land other than demarcated forest which is the property of the Administration of the Union territory of Ladakh and is not appropriated for any specific purpose and includes all the undemarcated and berun line forest vested in the Forest Department under the provisions of section 48 of the Jammu and Kashmir Village Panchayat Act, 1958 or any other law for the time being in force), prior to the appointed day notified under the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019(34 of 2019), shall be deemed to be a protected forest under this Act.

(2) All questions decided, orders issued and records prepared in connection with the constitution of such forest as undemarcated forests shall be deemed to have been decided, issued and prepared under this Act, and the provisions of this Act relating to protected forests shall apply to forest to which the provision of sub-section (1) are applicable.”.

**Section 33.—** In sub section (1),—

- (i) in clause (c), after “or clears”, insert “or attempts to break-up or clear”;
- (ii) in clause (f), after “drags”, insert “or removes”;
- (iii) in the long line for “six months, or with fine which may extend to five hundred rupees”, substitute “two years, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees”.

**Section 42.—** In sub-section (1), for “six months” and “five hundred rupees”, substitute “two years” and “twenty-five thousand rupees” respectively.

**Section 51.—** In sub-section (2), for “six months, or with fine which may extend to five hundred rupees”, substitute “two years, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees”.

Section 52.— For section 52, substitute .—

**Seizure of property liable to confiscation and procedure thereof.**

“52.(1)When there is reason to believe that a forest offence has been committed in respect of any reserved forest, protected forest, village forest or forest produce, the forest produce, together with all tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing any such offence, may be seized by a forest officer or police officer.

(2) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, make a report of such seizure before an officer not below the rank of the Divisional Forest Officer (hereinafter referred to as the 'authorised officer'):

Provided that when the forest produce with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of the Administration of the Union territory of Ladakh and the offender is unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to his official superior.

(3) Subject to sub-section (5), where the authorised officer upon receipt of report about seizure, is satisfied that a forest offence has been committed in respect thereof, he may, by order in writing and for reasons to be recorded, confiscate forest produce so seized together with all tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing such offence and a copy of the order of confiscation shall be forwarded without any undue delay to the person from whom the property is seized and to the Conservator of Forest Circle in which the forest produce, tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article as the case

may be, has been seized.

(4) No order confiscating any property shall be made under sub-section (3) unless the authorised officer,—

(a) sends an intimation in writing about initiation of proceedings for confiscation of the property to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made;

(b) issues a notice in writing to the person from whom the property is seized and to any other person who may, in the opinion of the authorised officer have some interest in such property;

(c) affords an opportunity to the persons referred to in clause (b) of making a representation within such reasonable time as may be specified in the notice against the proposed confiscation; and

(d) gives to the officer effecting the seizure and the person or persons to whom notice has been issued under clause (b), a hearing on date to be fixed for such purpose.

(5) No order of confiscation under sub-section (3) of any tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article (other than timber or forest produce seized) shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-section (4) proves to the satisfaction of authorised officer that any such tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article were used without his knowledge or connivance or, as the case may be, without the knowledge or connivance of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against the use of objects aforesaid for commission of forest offence.

(6) Where the cattle are involved in the commission of a forest offence, the same after seizure by any officer, shall be entrusted to any responsible person under a proper receipt on an undertaking to produce the same when required in case there is no cattle pound within a radius of five kilometres from the place of such offence:

Provided that notwithstanding anything contained in section 57, in case of unclaimed cattle a forest officer not below the rank of Range Officer, after giving sufficient publicity in the vicinity of the place of offence for the owner to come forward to claim the cattle within seven days from the date when such publicity has been given, may dispose them of by public auction.

(7) The provisions of the Cattle Trespass Act, 1871 (1 of 1871), shall apply in respect of the charges to be levied for the upkeep and fee of the cattle.

**Revision  
before Court  
of Sessions  
against order  
of  
confiscation.**

52A. (1) Any party aggrieved by an order of confiscation under section 52 may within thirty days of the order or if facts of the confiscation have not been communicated to him, within thirty days of knowledge of such order submit a petition for revision to the Court of Sessions Division whereof the headquarters of authorised officer are situated.

***Explanation for the purposes of this sub-section - (i)*** in computing the period of thirty days under this sub-section, the time required for obtaining certified copy of

the order of authorised officer shall be excluded;

(ii) a party shall be deemed to have knowledge of the order of confiscation under section 52 on publication of such order in two daily newspapers having circulation in the Union territory.

(2) The Court of Sessions may confirm, reverse or modify any final order of confiscation passed by the authorised officer.

(3) Copies of the order passed in revision shall be sent to the authorised officer for compliance or passing such further order or for taking such further orders or for taking such further action as may be directed by such Court.

(4) For entertaining, hearing and deciding a revision under this section, the Court of Sessions shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as it exercises and follows while entertaining, hearing and deciding a revision under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the order of Court of Sessions passed under this section shall be final and shall not be called in question before any Court.

**Bar to jurisdiction of Courts, etc. under certain circumstances.**

**52B.** (1) On receipt of report under sub-section (4) of section 52 about intimation of proceedings for confiscation of property by the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure of property which is subject matter of confiscation, has been made, no Court, Tribunal or Authority (other than authorised officer and Court of Sessions referred to in sections 52 and 52A) shall have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal or distribution of the property in regard to which proceedings for confiscation are initiated under section 52, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, or any other law for the time being in force.

*Explanation.*— Where under any law for the time being in force, two or more Courts have jurisdiction to try the forest offences, then receipt of intimation under sub-section (4) of section 52 by one of the Courts shall operate as bar to exercise jurisdiction on all such other Courts.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall affect the power saved under section 61 of this Act.

**Power of search and seizure.**

**52C.** (1) Any forest officer or police officer may, if he has reason to believe that a vehicle has been or is being used for the transport of forest produce in respect of which there is reason to believe that a forest offence has been or is being committed, require the driver or other person in charge of such vehicle to stop the vehicle and cause it to remain stationary as long as may reasonably be necessary to examine the contents in the vehicle and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such driver or other person in charge of the vehicle.

(2) Any forest officer not below the rank of Range Officer, having reasonable grounds to believe that forest produce is, in contravention of the provisions of this Act, in the possession of a person in any place, may enter such place with the object of carrying out a search for the forest produce and its confiscation:

Provided that such search shall not be conducted otherwise than in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of

1974).

**Penalty for  
forcibly  
opposing  
seizure.**

**52D.** Whosoever opposes the seizure of any forest-produce, tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article liable to be seized under this Act, or forcibly receives the same after seizure, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twenty- five thousand rupees, or with both.”.

Section 53 — For section 53, substitute –

**Power to  
release  
property  
seized under  
section 52.**

“53. Any forest officer of a rank not inferior to that of a Range Officer, who, or whose subordinate, has seized any tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing any forest offence, including the forest produce, under section 52, may release the same on the execution by the owner thereof, of a security in a form of a bank guarantee, of an amount not less than the value of such property, as estimated by such officer, for the production of the property so released when so required by the Magistrate having jurisdiction to try the offence or by the authorised officer empowered under sub-section (2) of section 52, on account of which the seizure has been made:

Provided that when any forest produce is seized at a remote location from where it is not practicable to transport it immediately, the officer who, or whose subordinate has effected such seizure under section 52, may entrust the same (Supardnama) to any responsible person on the execution of a bond thereof, by such person, for the production of the property so entrusted if and when required by the Magistrate having jurisdiction to try the offence or before the authorised officer empowered under sub-section (2) of section 52, on account of which the seizure has been made.”.

Section 54 — For section 54, substitute -

**Receipt of  
report of  
seizure by  
Magistrate  
and procedure  
thereupon.**

“54. Upon the receipt of any report under sub-section (4) of section 52, the Magistrate shall, with all convenient dispatch, take such measures as may be necessary for the arrest and trial of the offender and the disposal of the property according to law:

Provided that before passing any order for disposal of property, the Magistrate shall satisfy himself that no intimation under sub-section (4) of section 52 has been received by his court or by any other court having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure of property has been made.”.

**Section 55.-**

For sub-section (1), substitute —

“(1) All timber or forest produce which in either case is not the property of the Administration of the Union territory of Ladakh and in respect of which a forest offence has been committed, and all tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article, in each case used in committing any forest offence shall, subject to the provisions of sections 52, 52A and 52B, be liable to confiscation upon conviction of the offender for such offence.”.

**Section 56.-**

For “When the trial of”, substitute “Without prejudice to the provisions of section 52C, when the trial of”.

Section 57 — For section 57, substitute –

**Procedure when offender is not known or cannot be found.**

“57. When the offender is not known or cannot be found the Magistrate may, if he finds that an offence has been committed, but subject to section 52B, order the property in respect of which offence has been committed, to be confiscated or forfeited together with all tools, arms, boats, carts, equipment, ropes, chains, machines, vehicles, cattle or any other article used in committing the offence, and taken charge of by the forest officer, or to be made over to the person whom the Magistrate deems to be entitled to the same:

Provided that, no such order shall be made until the expiration of one month from the date of seizing such property or without hearing the person, if any, claiming any right thereto, and the evidence, if any, which he may produce in support of his claim.”.

Section 58 — For section 58, substitute —

**Procedure as to perishable property seized under section 52.**

58. The authorised officer under sub-section (2) of section 52, or the Magistrate may, notwithstanding anything hereinbefore contained, direct the sale of any property seized under section 52 and subject to speedy and natural decay, and may deal with the proceeds as he would have dealt had it not been sold.”.

**Section 60.—**

Numbered as sub-section (2) thereof and before sub-section (2) as so numbered, insert —

“(1) Property ordered to be confiscated by an authorised officer under section 52, subject to the result of revision before Court of Sessions under section 52A shall upon conclusion of proceedings in revision, vest in the Adminstration of the Union territory of Ladakh free from all encumbrances:

Provided that if no revision is preferred under section 52A, such vesting shall take effect on expiry of period specified for the submitting petition for revision under section 52A.”.

**Section 63.—**

For “or with fine”, substitute “or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees”.

Insertion of new section — After section 64, insert —

**Offences to be non-bailable.**

“64A. Notwithstanding anything contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences under this Act other than those compoundable under section 68 shall be non-bailable.”.

Insertion of new sections — After section 65, insert —

**Requisition for police assistance.**

“65A. Any forest officer may requisition the services of any police officer to assist him for all or any of the purposes specified in sections 52, 63 and 64 and it shall be the duty of every such officer to comply with such requisition.

**Police officers bound to seek technical clearance from authorised officer.**

65B. Any police officer seizing any property under the provisions of this Act or rules framed there under shall be bound to seek technical clearance of the authorised officer to lodge a complaint to the magistrate under section 52 of this Act.”.

**Section 67.—** For “not exceeding six months, or fine not exceeding five hundred rupees”, substitute “not exceeding two years or with fine not exceeding twenty -five thousand rupees”.

Section 68 — For section 68, substitute –

**Power compound offences.** **to** **68.(1)** The Administration of the Union territory of Ladakh may, by notification in the Official Gazette, empower any forest officer not below the rank of Assistant Conservator of Forests-

(a) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists, that he has committed any forest offence involving damage not exceeding fifty thousand rupees, other than an offence specified in section 62 or section 63, a sum of money by way of compensation for the offence, which such person is suspected to have committed:

Provided that the sum of money accepted by way of compensation shall in no case be less than double the amount involved in the loss caused by such offence; and

(b) when any property has been seized as liable to confiscation, to release the same on payment of the value thereof, in addition to the compensation referred to in clause (a) of this sub-section, as estimated by such officer.

(2) On the payment of such compensation and such value, to such officer, the suspected person if in custody, shall be discharged, the property, if any, seized shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property.”.

**Section 69.—** For “contrary is proved”, substitute “contrary is proved by the accused”.

Insertion of new section — After section 69, insert –

**Double penalties for offences.** **“69A.** The penalties which are double of those mentioned under the provisions of this Act or rules framed thereunder shall be inflicted in cases where the offence is committed after sunset and before sunrise, or after preparation for resistance to lawful authority or where the offender has been previously convicted of a like offence.”.

**Section 71.—** For “ten rupees”, “two rupees”, “one rupee” and “eight annas”, substitute “one thousand rupees”, “two hundred and fifty rupees”, “one hundred rupees” and “fifty rupees” respectively.

Section 72. — For section 72, substitute –

**Powers of forest officers.** **“72.** (1) The forest officers shall have the following powers, namely:-

- (a) power to enter upon any land and to survey, demarcate and make a map of the same;
- (b) powers of a Civil Court to compel the attendance of witnesses and the production of documents and material objects;
- (c) power to hold an inquiry into forest offences and in the course of such inquiry, to receive and record evidence; and
- (d) power to issue search warrants under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):

Provided that powers under clause (b) and (c) shall not be exercised by a forest officer below the rank of a Range Officer:

Provided further that the powers under clause (d) shall not be exercised by a forest officer below the rank of a Divisional Forest Officer.

(2) Any evidence recorded under clause (c) of sub-section (1) shall be admissible in any subsequent trial before a Magistrate, if it has been taken in the presence of the accused person.

(3) Any forest officer not below the rank of a Range Officer may delegate his powers of inquiry to an officer of the rank of Forester if the offence is compoundable under section 68.”.

Section 74.— For section 74, substitute –

**Indemnity for acts done in good faith.**

**“74** (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any public servant for anything done in good faith or omitted to be done likewise, under this Act or the rules or orders made thereunder.

(2) No Court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by a forest officer while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the Administration of the Union territory of Ladakh.”.

Insertion of new sections — After section 76, insert -

**Power to regulate manufacture and preparation of articles based on forest produce.**

**“76A.** (1) The Administration of the Union territory of Ladakh may make rules—

(a) to provide for the establishment, and regulation by licence, permit or otherwise (and the payment of fees thereof), of saw mills, timber depots, firewood depots and other units including the factories or industries engaged in the consumption of forest produce or manufacture or preparation of the following articles:-

- (i) katha (catechu) or kutch out of khairwood;
- (ii) rosin, turpentine, other products out of resin, and wood oil;
- (iii) plywood, veneer and wood-based products;
- (iv) match boxes and match splints;
- (v) boxes including packing cases made out of wood;
- (vi) joinery and furniture items made out of wood;
- (vii) charcoal, lime stone and gypsum;
- (viii) such other articles based on forest produce as the Administration of the Union territory of Ladakh may, by notification in the Official Gazette, from time to time, specify;

- (b) to provide for the regulation by licence, permit or otherwise, of procurement of raw material for the preparation of articles mentioned in clause (a), the payment and deposit of fees therefor and for due compliance of the condition thereof, the forfeiture of the fees so deposited or any part thereof for contravention of any such condition and adjudication of such

forfeiture by such authority as the Administration of the Union territory of Ladakh may, by notification, specify.

(2) The Administration of the Union territory of Ladakh may provide that, the contravention of any rules made under this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to twenty- five thousand rupees, or with both”.

**Section 77.—** For “extend to one month, or fine which may extend to five hundred rupees”, substitute “extend to two years or with fine which may extend to twenty -five thousand rupees”.

**Section 79.—** In sub-section (2), in the long line, for “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees”, substitute “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees”.

Insertion of new sections — After section 79, insert –

**Penalty for unauthorisedly taking possession of land constituted as reserved or protected forest.**

**79A (1)** Any person who unauthorisedly takes or remains in possession of any land in areas constituted as reserved forest or protected forest under section 20 or section 29, as the case may be, may, without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act, be summarily ejected by order of a forest officer not below the rank of a Divisional Forest Officer and any crop which may be standing on such land or any building or other work which he may have constructed thereon, if not removed by him within such time as such forest officer may fix, shall be liable to forfeiture:

Provided that no order of ejection under this sub-section shall be passed unless the person proposed to be ejected is given a reasonable opportunity of showing cause why such an order should not be passed.

(2) Any property so forfeited shall be disposed of in such manner as the forest officer may direct and the cost of removal of any crop, building or other work and, of all works necessary to restore the land to its original condition shall be recoverable from such person in the manner provided in section 82.

(3) Any person aggrieved by an order of the forest officer under sub-section (1) may, within sixty days from the date of such order prefer an appeal by petition in writing to the concerned Chief Conservator of Forests in person or through a duly authorised agent and such petition shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against.

(4) On receipt of the appeal and after summoning the parties and perusing the record of the proceedings, the Chief Conservator of Forests shall fix a date and convenient place for hearing the appeal and shall give notice thereof to the parties, and shall hear the appeal accordingly.

(5) The order passed on the appeal by the Chief Conservator of Forests shall be final.

**Summary action by Deputy Commissioner in fire cases.**

**79B.** If in any case under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 79, it appears to the Deputy Commissioner of the district within which the forest concerned is situated after local enquiry made in a summary and administrative manner, either by himself, or through a Tehsildar deputed by him for the purpose, that any such person or village or other community has neglected to give such information or to render such assistance as is required thereby, he may impose a fine not exceeding one thousand rupees on, as well as direct payment

of compensation for damage to property of the Union territory of Ladakh by, such person, village or other community or such individual member of such village or other community as may be determined in consultation with the Divisional Forest Officer and all fines imposed under this section shall be recoverable as arrears of land revenue.

**Appeal against 79C.** An appeal against every order passed under section 79B may be made to the concerned Divisional Commissioner whose decision thereon shall be final.”.

Substitution of section 82 — For section 82, substitute .—

**Recovery of money due to Administration of Union territory of Ladakh.**

“82. All money payable to the Administration of the Union territory of Ladakh under this Act or under any rule made therunder, or on account of the price of timber, or other forest produce, or of expenses incurred in execution of this Act in respect of timber and other forest produce, or under any contract relating to timber and other forest produce including any sum recoverable there under for breach thereof, or in consequence of its cancellation, or under the terms of a notice relating to the sale of timber or other forest produce by auction or by invitation of tenders, issued by or under authority of a forest officer and all compensation awarded to the Administration of the Union territory of Ladakh under this Act shall, if not paid when due, be recovered, under the law for the time being in force, as if it were an arrear of land revenue.”.

**Recovery of penalties due under bond.**

82A. When in respect of any forest lease any person binds himself by any bond or instrument to perform any duty or act, or covenants by any bond or instrument that he, or that he and his servant and agent will abstain from any act, the whole sum mentioned in such bond or instrument as the amount to be paid in case of a breach of the conditions thereof shall notwithstanding anything in section 74 of the Indian Contract Act, 1872(9 of 1872), be recovered from him in case of such breach as if it were an arrear of land revenue.

**Restoration advantage benefit payment compensation.**

82B. Notwithstanding anything contained in this Act or in the Indian Contract Act, 1872(9 of 1872), or in any other law for the time being in force,—

(a) where any transaction or lease relating to sale of forest produce or extraction of timber from any forest is or is discovered to be void only on the ground that the transaction or lease is not in conformity with the provisions of article 299 of the Constitution or any order or direction issued thereunder, any person who has received any advantage or has enjoyed any benefit by virtue of such transaction or lease shall be bound to restore it or to make compensation for it, to the person or party from whom he received it;

(b) the extent of any advantage or benefit or the amount of compensation payable in lieu thereof, referred to in clause (a), shall be determined in accordance with the provisions of this Act and the value of the advantage or benefit or the amount of compensation so determined shall be recoverable as arrears of land revenue.

**Constitution Authority.**

82C. For the purposes of determining the extent of advantage or benefit or the value thereof or the amount of compensation under section 82B, the Administration of the Union territory of Ladakh shall, by notification in the

Official Gazette, constitute, as and when necessary, an Authority consisting of one or more members having such qualification and experience and on such terms and conditions as may be prescribed and where the Authority consists of more than one member, one of them may be appointed as Chairperson thereof.

**Powers of Authority.**

**82D.** (1) The Authority shall, for purposes of holding inquiry for determining the extent of advantage or benefit or value thereof or the amount of compensation, as the case may be, under section 82B, have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person or witness and examining him on oath or solemn affirmation;
- (b) requiring the discovery or production of any document relating to the subject matter of inquiry;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof relating to the subject matter of inquiry from any court or office; and
- (e) issuing commissions for examination of witnesses, documents or other books of accounts relating to the subject matter of inquiry.

(2) The Authority shall also have power to issue a commission to such person as it considers fit for local investigation which may be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter which is the subject matter of inquiry or of ascertaining the market value of any property.

(3) The person directed to execute a commission for any purpose under this section shall have all the powers of a commissioner appointed by a Civil Court in pursuance of the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(4) The Authority shall have the power to pass such orders as it thinks fit for the seizure, attachment, management, preservation, interim custody or sale of any forest produce or timber (wherever it may be in the Union territory) which may be the subject matter of proceedings before it including the appointment of a receiver for any of the aforesaid purposes.

**Restriction on alienation.**

**82E.** (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force,—

- (a) where at any stage of the inquiry, the Authority is satisfied by affidavit or otherwise that a person liable to restore any advantage or benefit or to pay compensation in lieu thereof under any transaction or lease referred to in section 82B, is likely to alienate his movable or immovable property with intent to evade payment or to defeat the recovery, of the advantage or benefit or the value thereof or the amount of compensation, that may be determined by him, it may by order in writing direct that such person shall not alienate his movable and immovable property or such portion thereof, as it may specify in the order, during the pendency of the inquiry;

- (b) any alienation of property made in contravention of any order or

direction issued under clause (a) shall be void, and no transferee of such property shall be deemed to have acquired any right, title or interest therein.

**Explanation.**—For the purposes of this section "alienation" includes mortgage, sale, gift, bequest, benami transaction, family settlement or any other mode of transfer of any right, title or interest in the property.

(2) For removal of doubts it is hereby declared that restrictions imposed under this section on the rights conferred by clause (1) of article 19 of the Constitution shall be deemed to be reasonable restrictions.

**Procedure to be followed by Authority.** 82F. (1) The Authority shall, subject to any rules made by the Administration of the Union territory of Ladakh in this behalf, have power to regulate its own procedure in all matters arising out of or connected with the discharge of its functions, in consonance with the principles of natural justice.

(2) The parties shall have a right of being represented by counsel.

**Appeal.** 82G. (1) Any person aggrieved by a final order of the Authority, determining the extent of advantage or benefit or value thereof or the amount of compensation under section 82B, may, within thirty days of the date of the order, file an appeal against such order before the High Court of Jammu and Kashmir and every such appeal shall be heard by a Division Bench of the High Court.

(2) No other order of the Authority shall be appealable.

(3) The order of the Authority shall, subject to the decision of the High Court under sub-section (1) in appeal, be final and shall be deemed to be a certificate within the meaning of section 90 of the Jammu and Kashmir Land Revenue Act, 1996.

(4) No further appeal shall lie against the decision of the High Court.

**Bar of jurisdiction of Civil Court.** 82H. No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceeding in respect of any matter which the Authority has taken cognizance of under section 82B.”.

Insertion of new section — After section 83, insert —

**Restriction on alienation by forest lessee, etc.** 83A. (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act 1882(4 of 1882), or in any other law for the time being in force, no property offered by a forest lessee or by any other person on behalf of a forest lessee, as security for payment of royalty, interest, compensation, penalty or any other amount chargeable from the forest lessee, under any lease deed, bond or instrument shall be alienated without the previous permission of the Administration of the Union territory of Ladakh, till such time as the Chief Conservator of Forests certifies that such forest lessee has duly performed all the obligations devolving upon him under such lease deed, bond or instrument.

(2) Any alienation of property made in contravention of sub-section (1) shall be void, and no transferee of such property shall be deemed to have acquired any right, title or interest therein.

(3) Any amount of royalty, interest, compensation or penalty or any other sum

falling due from a forest lessee under any lease deed, bond or instrument shall be recoverable as arrears of land revenue in accordance with the law for the time being in force, from the property offered by him or on his behalf as security and from any other movable or immovable property owned by the forest lessee.

**Explanation.**— For the purposes of this section, the expression-

- (a) "alienation" includes sale, gift, exchange, bequest, mortgage, benami transaction, family settlement or any other mode of transfer of any right, title or interest therein or creation of any encumbrance thereon;
- (b) "forest lessee" shall be construed to mean a person in whose favour a right to convert and remove forest produce from any forest has been granted under any lease deed, bond or instrument.

(4) For removal of doubts it is hereby declared that restriction imposed under this section on the rights conferred by clause (1) of article 19 of the Constitution shall be deemed to be reasonable restrictions.”.

Insertion of new section — After section 84, insert -

**Application of Act** “**84A.** The Administration of the Union territory of Ladakh may, by notification in the Official Gazette, declare that any of the provisions of this Act shall apply to any land which is the property of the Administration of the Union territory of Ladakh or the Central Government, and thereupon such provisions shall apply to such land accordingly.”.

\*\*\*\*\*

#### **40. THE CINEMATOGRAPH ACT, 1952** (37 of 1952)

**Section 1.—** In sub-section (3), omit the proviso.

**Section 2A .—** Omit.

\*\*\*\*\*

#### **41. THE PRESS AND REGISTRATION OF BOOKS ACT, 1867** (25 of 1867)

**Section 1.—** Omit sub-section (2).

**Section 5A.-** Omit.

\*\*\*\*\*

#### **42. THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993** (10 of 1994)

**Section 2.-** Omit sub-section (2).

**Section 21.—**

- (i) In sub-section (5), omit the second proviso;
- (ii) In sub-section (7), for “other than Union territory of Delhi” substitute “other than Union territory of Delhi, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh”; and
- (iii) In sub-section (8), for “Union territory of Delhi” substitute “Union territory of Delhi, Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

**43. THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (54 of 2002)**

Section 13.- In sub-section (3A), in the proviso, omit "or the Court of District Judge under section 17A".

**Section 17A and section 18B.—** Omit.

Section 18C.—

- (a) In sub-section (1), omit, –
  - (i) "or section 17A" and "or section 18B"; and
  - (ii) "or the court of District Judge" and "or the High Court" wherever they occur;
- (b) in sub-section (3) omit "or the court of District Judge" and "or the High Court".

section 19- In section 19,-

- (i) omit "or the court of District Judge", "or the High Court" and "or the High Court referred to in section 18B";
- (ii) omit 'or section 17A" and "or section 18A".

\*\*\*\*\*

[F. No. 11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

**का.आ. 3775(अ).—**केन्द्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) आदेश 2020 है।
- (2) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 इस आदेश के निर्वाचन के लिए वैसे ही लागू होगा, जैसे यह भारत राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के लिए लागू होता है।

3. तात्कालिक प्रभाव से, इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जब तक की उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है, उक्त अनुसूची द्वारा निरेशित अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे, या यदि ऐसा निरेशित किया गया है तो, यह निरस्त हो जाएंगे।

4. जहां इस आदेश में ऐसा अपेक्षित है कि किसी अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा या अन्य भाग में कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, या कतिपय शब्दों का लोप करेंगा, यथास्थिति ऐसा प्रतिस्थापन या लोप, वहां के सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, जहां कहाँ निर्दिष्ट शब्द उस धारा या भाग में आते हैं, किया जाएगा।

5. इस आदेश के ऐसे उपबंध, जो किसी विधि के अनुकूलन करते हैं, या उसका उपांतरण करते हैं जिससे उसे ऐसी रीति में परिवर्तित किया जा सके जिसमें ऐसा प्राधिकार जिसके द्वारा या ऐसी विधि जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई शक्तियां प्रयोक्तव्य हों, 31 अक्टूबर, 2019 से पहले सम्यक रूप से जारी की गई किसी अधिसूचना, किए गए आदेश, की गई प्रतिबद्धता, कुर्की, बनाई गई उपविधि, बनाए गए नियम या विनियम को या सम्यक रूप की गई किसी बात को अविधिमान्य नहीं बनाएंगे; और ऐसी किसी अधिसूचना, आदेश, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या किसी बात का वैसी ही रीति में, वैसे ही विस्तार तक, और वैसी ही परिस्थितियों में प्रतिसंहरण, फोरफार या अकृत किया जा सकेगा मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ के पश्चात् और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबंधों के अनुसार बनाया गया हो, जारी किया गया हो या किया गया हो।

6. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि का निरसन या संशोधन—

(क) इस प्रकार निरस्त किसी विधि के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात को;

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अर्जित, प्रोद्भूद या उपगत किसी अधिकारी, विशेषाधिकार, समपहरण या दायित्व को;

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड को; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐस अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधि कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे किसी अन्वेषण, विधि कार्यवाही या उपचार को वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, समपहरण या दंड को वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेश पारित न किया गया हो।

\*\*\*\*\*

**अनुसूची**  
**(पैरा 3 देखें)**  
**राज्य विधियां**

**1. उद्योगों को जम्मू-कश्मीर राज्य सहायता अधिनियम, 1961**  
**(1961 का 22)**

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**2. जम्मू-कश्मीर एनेटॉमी अधिनियम, 1959 (1959 का 22)**

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो 'सरकार', 'राज्य' और 'सरकारी राजपत्र, के स्थान पर क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 6. — "पांच सौ रुपए" के स्थान पर "पांच हजार रुपए" रखें।

धारा 9. — "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें।

\*\*\*\*\*

**3. जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, संवत् 1977**

**(संवत् 1977 का 5)**

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', "जम्मू-कश्मीर", "राज्य संरक्षित स्मारक", "मंत्री" और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र", "संरक्षित स्मारक", "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और 'राजपत्र' रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "निदेशक, पुरातत्व" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "पुरातत्व विभाग" के स्थान पर "इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के स्थान पर न्यासित विभाग"।

धारा 2.— (i) खंड (3) में, "पुरातत्व विभाग के, उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का हो" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त" रखें; और

(ii) खंड (5-क) का लोप करें।

धारा 10. — उप-धारा (1) में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम" के स्थान पर "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 30)" रखें।

धारा 15. — उपधारा (2) में, "एक हजार रुपए" के स्थान पर "दस हजार रुपए" रखें।

धारा 17. — उप-धारा (4) में, "सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो" का लोप करें।

धारा 20-क. — "या लद्दाख जिले के मामले में, उस जिले का उपायुक्त" का लोप करें।

धारा 20-ग. — "1990 का अधिनियम सं. 10 राज्य भूमि अधिग्रहण" के स्थान पर "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 30)" रखें

धारा 22-क. – "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ।

\*\*\*\*\*

**4. जम्मू-कश्मीर ईंट भट्टा (विनियमन) अधिनियम, 2010  
(2010 का 17)**

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें ।

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार" के स्थान पर, "प्रशासन" रखें ।

उद्देशिका – "राज्य में", के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 1. – (i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ।

धारा 2. – (i) खंड (क) में, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) खंड (ज), के स्थान पर-

'(ज)' "प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।"

धारा 3. – उप-धारा (2) में, परंतुक में, "किसी अधिसूचित आदेश द्वारा", के स्थान पर "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" रखें।

धारा 4. – खंड (घ) में, "जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, 1987 के अधीन राज्य के सीमांकित वन क्षेत्र", के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का वन क्षेत्र" रखें।

धारा 6. – (i) उप-धारा (1) में, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (4) में, खंड (II) में, उपखंड (ii) में, "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति" रखें।

धारा 8. – उप-धारा (2) में, खंड (च) में, "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति" रखें।

धारा 12. – स्पष्टीकरण में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 की धारा 102 और धारा 103" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 (1974 का 2)" रखें।

धारा 13. – "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 18. – "होर्डिंग एंड प्रोफिटियरिंग प्रिवेंशन आडिनेंस, संवत् 2000 और कोई अन्य विधि" के स्थान पर, "कोई विधि" रखें।

धारा 23. — "राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 28. — "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

\*\*\*\*\*

### 5. जम्मू-कश्मीर कैपिंग और मूरिंग स्थल अधिनियम, 2004

(संवत् 2004 का 12)

पूर्णतः निरस्त करें।

\*\*\*\*\*

### 6. जम्मू-कश्मीर का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1997

(1997 का अधिनियम सं. 12)

पूर्णतः निरस्त करें।

\*\*\*\*\*

### 7. जम्मू-कश्मीर भवन प्रचालन नियंत्रण अधिनियम, 1988

(1988 का 15)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन', और 'राजपत्र' रखें।

उद्देशिका के सिवाय, संपूर्ण अधिनियम में, 'जम्मू-कश्मीर' या 'जे एंड के' और 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

धारा 1. — 'उप-धारा (2)में, 'जम्मू-कश्मीर राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

धारा 2. — (i) खंड (9) में, उप-खंड (i) में, ", कश्मीर घाटी में "पांड-पांड" के रूप में आमतौर पर ज्ञात है" का लोप करें;

(ii) खंड (10) में, 'जम्मू-कश्मीर सरकार' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन' रखें ; और

(iii) खंड (13) का लोप करें।

धारा 3. — उप-धारा (1) में, 'राज्य' का लोप करें।

धारा 4. — 'राज्य' का लोप करें।

धारा 5. — उप-धारा (3) में, 'राज्य' का लोप करें।

धारा 10. — 'दंड प्रक्रिया संहिता, संवत्, 1989' के स्थान पर 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)' रखें और खंड (ii) के उपखंड (क) में, 'धारा 57' के स्थान पर "धारा 42" रखें।

धारा 11. — 'मंत्री' शब्द के स्थान पर, जहां-कहां वह आता है, उसके स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन' रखें।

\*\*\*\*\*

**8. जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989**  
**(1989 का 10)**

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र", और "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत्, 1997" के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "राजपत्र" और "संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका के सिवाय, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो "जम्मू-कश्मीर" शब्द के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

उद्देशिका-	(i) दोनों स्थानों "राज्य में", के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां-कहीं आता है "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें।
	(ii) "जम्मू-कश्मीर के संविधान में प्रतिपादित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार" का लोप करें।
धारा 1. —	(i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें;
	(ii) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 2. —	खंड (च) के, उपखंड (iii) में, "शीर्ष स्तर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का शीर्ष स्तर" रखें।
धारा 3. —	उप-खंड (1) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 10. —	उप-धारा (1) में, "राज्य के कार्यक्रमों" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के कार्यक्रमों" रखें।
धारा 16. —	उप-धारा (1) में, परंतुक में, "और ऐसा प्रत्येक आदेश, इसे बनाए जाने के पश्चात, शीघ्रातिशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, प्रस्तुत किया जाएगा" का लोप करें।
धारा 17. —	उप-धारा (1) में, - (i) खंड (क) में, - (क) उप-खंड (i) में, "जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1860 का 21)" रखें;
	(ख) उप-खंड (ii) का लोप करें; और
	(ii) खंड (ग) में, "जम्मू-कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1998" के स्थान पर, "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860" रखें।
धारा 35. —	खंड (i) के परंतुक में, - (क) "राज्य सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें; और (ख) "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत्, 1977 की धारा 140 के उपबंधों के अध्यधीन" का लोप करें।

धारा 40. –	"जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।
धारा 60. –	"न्यास अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "भारतीय न्यास अधिनियम 1882" (1882 का 2) रखें।
धारा 79. –	उप-धारा (1) में, दोनों स्थानों पर आए "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 91. –	उप-धारा (1) में, "से उत्पन्न होने वाले" और "कृषकों और भूमि सुधार को सरकारी सहायता अधिनियम, संवत् 1993 के अधीन" का लोप करें।
धारा 92. –	उप-धारा (2) में, "बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन अधिनियम, संवत् 2007 में कोई भी बात" के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी" रखें।
धारा 94. –	"जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।
धारा 107. –	उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।
धारा 111. –	"जम्मू-कश्मीर भूमि संक्रामण अधिनियम, संवत् 1995 की धारा 6 में निहित किसी बात के होते हुए भी" का लोप करें।
धारा 131. –	उप-धारा (3) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।
धारा 132. –	उप-धारा (1) में, "धारा 89क" के स्थान पर "धारा 69क" रखें।
धारा 134. –	उप-खंड (1) में, "जम्मू-कश्मीर मकान और दुकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1966" के स्थान पर "आवासीय और वाणिज्यिक काश्तकारी अधिनियम, 2012" रखें।
धारा 143. –	"जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत् 1990" के स्थान पर "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखें।
धारा 153. –	खंड (ग) में, "जम्मू-कश्मीर रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।
धारा 155. –	"परिसीमा अधिनियम, संवत् 1955 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 182" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 137" रखें।
धारा 171. –	"कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 01)" के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)" रखें।
धारा 174. –	उप-धारा (1) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल

प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 176. – उप-धारा (1) में, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

\*\*\*\*\*

**9. जम्मू-कश्मीर देनदार राहत अधिनियम, 1976**

**(1976 का 15)**

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें ।

उद्देशिका – "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. – (i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (3) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें ।

धारा 2. – (i) खंड (1) में, –

(क) "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989" रखें;

(ख) उप-खंड (ii) में, "या जम्मू-कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1977 की धारा 140" का लोप करें;

(ग) उप-खंड (v) में, दोनों स्थानों पर, "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें; और

(ii) खंड (2) के स्पष्टीकरण में, "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें;

(iii) खंड (9) में, "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989" रखें; और

(iv) उप-धारा (10) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

धारा 3. – (i) उप-धारा (1) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें;

(ii) उप-धारा (7) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें; और

(iii) उप-धारा (11) में, "परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 4. – परंतुक का लोप करें।

धारा 12. – "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 22. – "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता,

1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 30. — "जम्मू और कश्मीर परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995", के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 32. — "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम 45)" रखें।

धारा 34. — (i) दोनों स्थानों पर "राजस्व मंत्री या" का लोप करें; और  
(ii) "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "शासकीय राजपत्र" रखें।

\*\*\*\*\*

**10. जम्मू-कश्मीर उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते, अधिनियम, 1957  
(1957 का 6)**

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**11. जम्मू-कश्मीर उपाध्यक्ष और उप सभापति (उपलब्धियां) अधिनियम, 1956  
(1956 का 22)**

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**12. जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम, 1970  
(1970 का 19)**

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार", "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर, क्रमशः, "प्रशासन", "संघ राज्यक्षेत्र" और "उपराज्यपाल के सलाहकार" रखें।

धारा 2. — खंड (1) में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 3" के स्थान पर, "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) रखें।

धारा 8. — उप-धारा (1) में, "ऐसे प्रत्येक जोन, जिसमें से किसी स्थानीय क्षेत्र को विभाजित किया जा सके" और "प्रत्येक जोन" के स्थान पर क्रमशः: "ऐसे जोन जिन्हें धारा 13 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है" और "प्रत्येक ऐसा जोन" रखें।

धारा 11. — "मास्टर प्लान के पश्चात और" के स्थान पर "मास्टर प्लान के पश्चात या" रखें।

धारा 11 के पश्चात, नई

धारा का अंतःस्थापन:-

**भूमि का अनुज्ञात अधीन आने वाले क्षेत्र में भूमि का अनुज्ञात उपयोग केवल ऐसे मास्टर प्लान या**

**उपयोग और भूमि परंतु लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध, जिनमें किसी भूमि के उपयोग में परिवर्तन के स्थान पर कोई अनुमति अपेक्षित हो, इसमें आने वाले किसी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।**

**(2) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मास्टर प्लान या जोन विकास प्लान में भूमि के यथाअनुज्ञात उपयोग के स्थान पर प्रभारों के उद्धरण हेतु स्कीम अधिसूचित कर सकेगा, इसके आगम प्राधिकरण की निधि का हिस्सा होंगे और धारा 50 निवंधानुसार अपेक्षित भूमि अधिग्रहण के स्थान पर वहन उपगत व्ययों को पूरा करने के स्थान पर उपयोग में लाए जा सकेंगे।**

धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें –

**विकास क्षेत्रों की घोषणा और विकास के स्थान पर अनुमति, आदि** "13 (1) प्लान के लागू होने की तारीख के अनुमोदन संबंधी नोटिस, के धारा 11 के अधीन प्रकाशन के पश्चात, प्राधिकरण लद्दाख प्रशासन की पूर्व अनुमति से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी जोन या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के स्थान पर विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा।

**(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का कोई विभाग भी है, इस अंचल या इसके हिस्से के किसी भी भू-भाग या भवन का विकास कार्य आरंभ या संपन्न, जैसा भी मामला हो, तब तक नहीं करेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण से इस प्रकार के विकास कार्य के स्थान पर लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है:**

परंतु लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी भूमि का अक्तूबर, 2019 के 31 वें दिन से पहले आरंभ किया गया विकास कार्य उस विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जा सकेगा।

**(3) कोई भी व्यक्ति या निकाय, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक हो जिससे लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का कोई विभाग या कोई प्राधिकरण भी है, प्राधिकरण की विना पूर्व लिखित अनुमति के, नगर निगम की सीमाओं के बाहर किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किसी भी गली या लेआउट प्लान को, किसी भी रूप में निष्पादित करने का कार्य आरंभ नहीं करेगा।**

परंतु इस प्रकार की अनुमति के प्रयोजनों के स्थान पर, प्राधिकरण जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करेगा:

यह और कि, इस उप-धारा के अधीन निर्बंधन जम्मू-कश्मीर टाउन प्लानिंग अधिनियम, 1963 (1963 के 20) के उपबंधों के अधीन लागू टाउन प्लानिंग स्कीम के हिस्से के रूप में किए गए किसी भी विकास कार्य पर लागू नहीं होगा।

धारा 15. – "जोन में कोई प्लान" के स्थान पर, "जोन में मास्टर प्लान या जोन विकास प्लान" रखें।

धारा 16. – उप-खंड (1) में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत् 1990" के स्थान पर, "भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 (30 का 2013) रखें।

धारा 21. — उप-धारा (4) में, "और सरकार इसकी एक प्रति विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी" का लोप करें।

धारा 22. — उप-धारा (2) में, "भविष्य निधि अधिनियम, संवत् 1998" के स्थान पर "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)" रखें।

धारा 24. — (i) उप-धारा (1) में, "5,000/- रु." और "200/- रु.", के स्थान पर क्रमशः "50,000/- रु." और "2,000/- रु." रखें।  
(ii) उप-धारा (2) में, "तीन हजार रु." और "एक सौ पचास रु.", के स्थान पर क्रमशः "30,000/- रु." और "1500/- रु." रखें।  
(iii) उप-धारा (3) में, "एक हजार रु.", के स्थान पर "दस हजार रु;" रखें।

धारा 26. — उप-धारा (4) में, "दो सौ रुपये" के स्थान पर, "दो हजार रुपये" रखें।

धारा 31. — "प्राधिकरण और उस स्थानीय प्राधिकारण या विभाग, के मध्य सहमत नियम और शर्तों पर" का लोप करें।

धारा 34. — (i) उप-धारा (2) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)" रखें; और  
(ii) उप-धारा (6) में, "माध्यस्थतम् अधिनियम, संवत् 2002" के स्थान पर "माध्यस्थतम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)" रखें।

धारा 43. — "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

धारा 45. — "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 32" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29" रखें।

धारा 49. — खंड (ग) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य नहर और जल निकासी अधिनियम, संवत् 1963" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010" रखें।

\*\*\*\*\*

### 13. बाध्य और आंतरिक संचलन (नियंत्रण) अध्यादेश, 2005

(संवत् 2005 का अध्यादेश नं 5)

अध्यादेश में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', और 'राज्य' और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर, क्रमशः, 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 3-ग.— "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 5. – उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 61" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 57" रखें।

धारा 8. – उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" और "धारा 30" के स्थान पर क्रमशः: "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" और "धारा 29" रखें।

धारा 9. – उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 10. – दोनों स्थानों पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 12. – उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 439" तथा "धारा 439 के संदर्भ में" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 401" तथा "401 के संदर्भ में" रखें।

धारा 15. – "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" रखें।

धारा 16. – उप-धारा (4) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 17. – दोनों स्थानों पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 18. – उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 19. – उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

\*\*\*\*\*

**14. जम्मू-कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम, संवत् 1958 (1901 ए.डी.)  
(1901 राज्य परिषद का संकल्प संख्या 9)**

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

उद्देशिका – "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. – (i) उप-धारा (2) में, "राज्य के क्षेत्रों" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 3. – धारा 3 में, –

(i) खंड (3) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें ;

(ii) खंड (11), खंड (12) और खंड (13) में, "राज्य क्षेत्र" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और

	(iii) खंड (18) में, "राज्य सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।
धारा 3क. –	"सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।
धारा 4. –	उप-धारा (2) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।
धारा 5. –	"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 6. –	"राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 7. –	"सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।
धारा 8. –	"राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 11. –	द्वितीय परंतुक में, "राज्य के राज्यक्षेत्रों" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 11क. –	उप-धारा (2) में, "राज्य सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।
धारा 12क. –	परंतुक के खंड (i) में, - (क) "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें ; और (ख) "जम्मू अथवा श्रीनगर में" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें।
धारा 14क. –	"राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 16. –	"राज्य के क्षेत्रों में या राज्य में आयातित और राज्य से निर्यातित" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में या संघ राज्यक्षेत्र में आयातित या संघ राज्य क्षेत्र से निर्यातित" रखें।
धारा 16क. –	"राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।
धारा 17 और 24.	"राज्य" जहां-कहीं वह आता है, के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 32. –	(i) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ; और (ii) परंतुक का लोप करें।
धारा 34. –	दोनों स्थानों पर, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 38. –	"दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) रखें।
धारा 39. –	"दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के अध्याय 30" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 33" रखें।
धारा 56ख. –	उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की अनुसूची 2" के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की "अनुसूची 1" रखें।

धारा 61. – (i) उप-धारा (1), "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें ; और

(ii) उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर, स्थानापन्न "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 62. – "जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

धारा 64. – "जम्मू-कश्मीर सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

\*\*\*\*\*

### 15. जम्मू-कश्मीर राल निष्कर्षण अधिनियम, 1988

(1988 का 9)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

### 16. जम्मू-कश्मीर राज्य पार नौका नियंत्रण अधिनियम, 1971

(1971 का 18)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

### 17. जम्मू-कश्मीर मत्स्य उद्योग अधिनियम, 2018

(2018 का 16)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', 'जम्मू-कश्मीर' और 'सरकारी राजपत्र', के स्थान पर क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' और 'राजपत्र', रखें।

उद्देशिका— "राज्य में" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें।

धारा 2. – (i) खंड (क) के पश्चात अंतःस्थापित करें अर्थात, -

(कक) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है; और

(ii) खंड (छ) का लोप करें।

धारा 12. – उप-धारा (3) में, "परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995" के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 17. – "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 18. – (i) उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें ; और

(ii) उप-धारा (3) में, "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 403, संवत्, 1989" के स्थान

पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)) की धारा 300" रखें।

धारा 19. – "राज्य सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

धारा 21. – "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें।

धारा 22. – उप - धारा (2) का लोप करें।

धारा 27. – उप-धारा (2) में, दोनों स्थानों पर, "राज्यक्षेत्र" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 28. – "दंड प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

\*\*\*\*\*

#### 18. जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978

(1978 का 12)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

#### 19. जम्मू-कश्मीर गोल्फ विकास और प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2013

(2013 का 7)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

#### 20. जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र अधिनियम, संवत् 1945 (1888 ए.डी.)

(संवत् 1945 का 12)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उवंधित न हो, 'सरकार', 'राज्य', 'जम्मू-कश्मीर' और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर, क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र', 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 10. – निम्न अंतःस्थापित करें -

"स्पष्टीकरण: राजपत्र में प्रकाशन से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशन अभिप्रेत होगा।"

\*\*\*\*\*

#### 21. जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम, 1978

(1978 का 4)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 22. जम्मू-कश्मीर राजमार्ग अधिनियम, 2007

(संवत् 2007 का 27)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी सड़कों", "सरकारी सड़क" और "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र की सड़कों", 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र की सड़क' और 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

उद्देशिका के सिवाय, संपूर्ण अधिनियम में, "सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

\*\*\*\*\*

## 23. जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड अधिनियम, 1976

(1976 का 7)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 24. जम्मू-कश्मीर औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय त्यौहार) अवकाश अधिनियम, 1974

(1974 का 13)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) से भिन्न "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

उद्देशिका 1. –	"राज्य में" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में" रखें।
धारा 1. –	उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 2. –	खंड (क) में, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।
धारा 3. –	उप-धारा (2) का लोप करें।
धारा 6. –	उप-धारा (2) में, "रणबीर दंड संहिता, 1989", के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।
धारा 8. –	"पञ्चीस रुपए" और "दो सौ पचास रुपए", के स्थान पर क्रमशः "दो हज़ार पाँच सौ रुपए" और "पञ्चीस हज़ार रुपए" रखें।
धारा 9. –	"पाँच सौ रुपए" के स्थान पर "पाँच हज़ार रुपए" रखें।

\*\*\*\*\*

## 25. जम्मू-कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1965

(1965 का 16)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 26. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा (अध्यक्ष की उपलब्धियाँ) अधिनियम, 1956

(1956 का 4)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 27. जम्मू-कश्मीर राज्य विधायी परिषद अध्यक्ष (उपलब्धियाँ) अधिनियम, 1962

(1962 का 28)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 28. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमण्डल सदस्यों की पेंशन अधिनियम, 1984

(1984 का 2)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 29. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमण्डल (निर्हता निवारण) अधिनियम, 1962

(1962 का 16)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 30. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1960

(1960 का 37)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 31. जम्मू-कश्मीर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 32. जम्मू-कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्रियों का वेतन अधिनियम, 1956

(1956 का 6)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 33. जम्मू-कश्मीर मंत्री और पीठासीन अधिकारी चिकित्सा प्रसुविधा अधिनियम, 1975

(1975 का 22)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 34. जम्मू-कश्मीर साहूकार और प्रत्यायित ऋण प्रदाता अधिनियम, 2010

(2010 का 23)

संपूर्ण अधिनियम में, तब तक संदर्भ से अन्यथा उपर्युक्त न हो, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

उद्देशिका-

"जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 1. -

(i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें; और  
(ii) उप-धारा (3) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "शासकीय राजपत्र" रखें।

धारा 2. -

(i) खंड (4) में, "जम्मू-कश्मीर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1989" के स्थान पर "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)" रखें ;  
(ii) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखें -

"(5)" प्रशासन " से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है, "

(iii) खंड (8) में, -

(क) उप-खंड (i) में, "या राज्य विधानमंडल" का लोप करें;

(ख) उप-खंड (d) में "जम्मू-कश्मीर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, संवत् 1998" के स्थान पर "सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)" रखें ; और

(iv) खंड (9) में, "जम्मू-कश्मीर विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1997" के स्थान पर "विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39)" रखें ;

धारा 3 -

"सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें

धारा 8. -

उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) रखें।

धारा 10. -

(i) उप-धारा (5) में "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977", के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें ।

(ii) उप-धारा (6) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977", के स्थान पर" सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) रखें ।

धारा 26. -

"राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता ( 1860 का 45)" रखें।

धारा 28. -

(i) उप-धारा (1) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (3) का लोप करें।

धारा 29. - "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 30. - लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 35. जम्मू-कश्मीर मोटर स्पिरिट और डीजल तेल (विक्रय कराधान) अधिनियम, 2005

(2005 का 5)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

धारा 2. - धारा (जज) में, "जम्मू-कश्मीर सामान्य विक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 21क के अधीन अपीलीय अधिकरण" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित अधिकरण या प्राधिकरण" रखें।

धारा 3. - (i) "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें; और

(ii) दूसरे परंतुक का लोप करें।

धारा 3 क. - उप-धारा (1) में, "राज्य" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।

धारा 7. - उप-धारा (5) के परंतुक में "सरकारी खजाने में" के स्थान पर "ऐसे प्राधिकारी जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित किया जाए" रखें।

धारा 10. - उप-धारा (1) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 11. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) रखें।

धारा 12. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) रखें।

धारा 13. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 61" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 57" को रखें।

धारा 15. - "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) रखें।

धारा 20. - "प्रभारी मंत्री" के स्थान पर, "उपराज्यपाल के सलाहकार" रखें।

धारा 22 ख. - उपधारा (3) का लोप करें।

धारा 22 ग. - "सीमांकन अधिनियम, संवत् 1995", के स्थान पर "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 22घ. - "जम्मू-कश्मीर साधारण विक्री कर अधिनियम, 1962 के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य वही शक्तियां", के स्थान पर निम्न प्रयोजनों के लिए "सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां" -

(क) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को समन करना, और हाजिर करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर करना; और  
 (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ”

धारा 22 ड . - लोप करें।

\*\*\*\*\*

### 36. जम्मू -कश्मीर मोटर यान कराधान अधिनियम, 1957

(1957 का 26)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

उद्देशिका- "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1 . - (i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और  
 (ii) उप-धारा (3) में, "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

धारा 2 . - खंड (i), (vi), (vii) और (viii) में "जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन अधिनियम, संवत् 1998 के स्थान पर "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)" रखें।

धारा 3 . - (i) उप-धारा (1) में "सरकारी राजपत्र" और "जम्मू-कश्मीर राज्य", के स्थान पर "राजपत्र" और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और  
 (ii) उप-धारा (2) में, परंतुक का लोप करें।

धारा 4 . - (i) उप-धारा (1) में, -  
 (क) खंड (ग) में, (अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अधिकतम से अनधिक)" का लोप करें;  
 (ख) खंड (ग) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "शासकीय राजपत्र" रखें।  
 (ग) खंड (घ) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और  
 (ii) उप-धारा (3) में, -  
 (क) खंड (क) के उपखंड (i) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें;  
 (ख) खंड (क) के उपखंड (ii) में, जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन अधिनियम, संवत् 1998 के स्थान पर "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)" रखें; और  
 (ग) खंड (ख) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 9 . - "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

अनुसूची - अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 37. जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000

(2000 का 21)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 38. जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1981

(1981 का 22)

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें ; और  
(ii) उप-धारा (3) में "सरकारी राजपत्र" और "राज्य", के स्थान पर "राजपत्र" और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (ख) और (ग) में, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)" रखें।

धारा 6. - "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

\*\*\*\*\*

## 39. जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक विपत्ति विनाश क्षेत्र सुधार अधिनियम, 2011

(2011 का 38)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", "सरकारी राजपत्र" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन", "राजपत्र" और "संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 1988" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000" रखें।

धारा 4. - खंड (ण) में, "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 1988", नगर क्षेत्र अधिनियम, 1997 और "जम्मू-कश्मीर ग्राम पंचायत अधिनियम, 2000" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000" और "जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989" रखें।

धारा 7. - दो स्थानों पर, "प्रभारी-मंत्री पुनर्वास विभाग" और "मंत्री" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन" रखें।

धारा 9. - (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 और धारा 4 और 6" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उचित प्रतिकर और पारिंश्ता के अधिकार की धारा 11 और 19" रखें; और  
(ii) उक्त धारा में "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संवत् 1990 और धारा 4 और 6" के स्थान पर क्रमशः "पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और "धारा 11 और धारा

19" रखें।

धारा 10. - (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" रखें; और  
(ii) "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें

धारा 12. - लोप करें।

\*\*\*\*\*

#### 40. जम्मू-कश्मीर अजैव अवकर्षणीय पदार्थ (प्रचालन और व्ययन) अधिनियम, संवत 2007

(2007 का 12)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन", और "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका के सिवाय, 'जम्मू-कश्मीर' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका सहित, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र' रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात, निम्न अंतःस्थापित करें, अर्थात् :,-  
"(क ख)" "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है; और  
(ii) खंड (ग) का लोप करें।

धारा 6. - उप-धारा (4) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" और "धारा 98" के स्थान पर "धारा 94" रखें।

धारा 9. - उपधारा (1) में, "खंड (iv)" के स्थान पर, "(iv)" जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 में यथा परिभाषित झीलों, नदियों या आर्द्धभूमि या अन्य जल चैनल, जल-मार्ग या जल स्रोत को नुकसान" रखें।

धारा 10. - (i) उप-धारा (1) में, "5000 रु." के स्थान पर "50,000 रु." रखें; और (ii) उप-धारा (2) में, "10,000 रुपए तक विस्तार हो सकता है" "10,000 रुपए से अनधिक" रखें।

धारा 12. - "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989 की धारा 260 से धारा 265" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 260, धारा 262 से धारा 265" रखें।

धारा 13. - उप-धारा (3) में, "सरकारी कोष में विप्रेषित" के स्थान पर "प्रशासन द्वारा यथाविहित रीति से विप्रेषित" रखें।

\*\*\*\*\*

## 41. जम्मू-कश्मीर परा-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2014

(2014 का 7)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र", के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" को रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "राज्य रजिस्टर" के स्थान पर "चिकित्सा रजिस्टर" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका और धारा 55 के सिवाएं, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका के सिवाएं, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (क) के पश्चात अंतःस्थापित करें अर्थात :-

(कक) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ग) का लोप करें;

(iii) खंड (घ) में, -

(क) उपखंड (ii) में, जम्मू-कश्मीर होम्योपैथी वैकिंशनर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 8) की धारा 2 के खंड (घ)" के स्थान पर "होम्योपैथी केंद्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 2 का खंड (घ)" को रखें।

(ख) उपखंड (iii) में, "जम्मू-कश्मीर आयुर्वेदिक और यूनानी वैकिंशनर अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम 26) की धारा 2 के क्रमशः खंड (2) और खंड (3)" के स्थान पर "भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के उपबंध; और

(iv) खंड (थ) का लोप करें।

धारा 4. - उप-धारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित करें-

"(1) परिषद में प्रशासन द्वारा नियुक्त सदस्य सम्मिलित होंगे" अंतःस्थापित करें।

धारा 5. - खंड (क) का लोप करें।

धारा 31. - उप-धारा (3) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 32. - उप-धारा (4) में, "राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" को रखें।

धारा 38. - उप-धारा (3) में, "साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

धारा 42. - दोनों स्थानों पर, "साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977", "सार्वजनिक सेवा (पूछताछ) अधिनियम, संवत् 1977" और "नागरिक प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर क्रमशः "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1)", "लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 (1850 का 37)" और "नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

\*\*\*\*\*

## 42. जम्मू-कश्मीर यात्री कराधान अधिनियम, 1963

(1963 का 12)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" रखें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 2. - धारा (जजज) में, "जम्मू-कश्मीर साधारण विक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 21A के अधीन गठित अपीलीय अधिकरण" के स्थान पर, "अधिकरण या प्राधिकरण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट" रखें।

धारा 3. - उप-धारा (1) में, "किसी भी मामले में अधिकतम दो नया पैसे के अध्यधीन, कर की रकम की गणना निकटतम नया पैसे में" का लोप करें।

धारा 9. - उप-धारा (1) में "पञ्चीस रुपये की" के स्थान पर "जैसा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित किया जाए" रखें।

धारा 12. - उप-धारा (5) में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

धारा 16. - (i) उप-धारा (1) में, दोनों स्थानों पर, "उप विक्रीकर आयुक्त (प्रशासन)" के स्थान पर, "उपायुक्त" को रखें ; और

(ii) उप-धारा (2) का लोप करें।

धारा 16 ख. - "सीमांकन अधिनियम संवत् 1995" के स्थान पर, "परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36)" रखें।

धारा 16 ग. - "जम्मू-कश्मीर साधारण विक्रीकर अधिनियम, 1962 के अधीन उतनी ही शक्तियाँ जो उसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं" के स्थान पर "किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ निम्नलिखित प्रयोजनों के स्थान पर-

- (क) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत;
- (ख) किसी व्यक्ति को समन करना, और हाजिर करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;
- (ग) दस्तावेज पेश करने के स्थान पर बाध्य करना; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।"

रखें।

धारा 16 घ. - लोप करें।

धारा 17. - उप-खंड (3) का लोप करें।

धारा 19 क. - तीसरे परंतुक में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" को रखें।"

\*\*\*\*\*

## 43. प्लाईबोर्ड उद्योग (शेयर और औद्योगिक उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1987

(1987 का 6)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 44. जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1969

(1969 का 5)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 45. रिबन विकास निवारण अधिनियम, 2007

(2007 का 26)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", "राज्य" और "जम्मू-कश्मीर राज्य" और "केंद्रीय सरकार" शब्दों से भिन्न के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 3. - "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, "राजपत्र" रखें ।

धारा 6. - "प्रभारी-मंत्री लोक निर्माण विभाग", के स्थान पर "लद्दाख प्रशासन" रखें ।

\*\*\*\*\*

## 46. जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट तांबा बर्तन (मशीन द्वारा) विनिर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 2006

(2006 का 13)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 47. जम्मू-कश्मीर राज्य धूम्रपान प्रतिषेध (सिनेमा और रंगशाला) अधिनियम, संवत् 2009

(2009 का 28)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 48. जम्मू-कश्मीर राज्य धूम्रपान प्रतिषेध और नॉन-स्मोकर्स स्वास्थ्य सार्वजनिक सेवा यान में गैर-धूम्रपानकर्ता का स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 1997

(1997 का 20)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

49. जम्मू-कश्मीर गंदी बस्ती निवासियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम,  
(2012 का 11)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

50. जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013  
(2013 का 11)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

51. जम्मू-कश्मीर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1988  
(1988 का 17)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में उद्देशिका, और धारा 34 के सिवाय, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के सिवाय, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" को रखें।

धारा 2. - खंड (घ) में, -

- (i) उप-खंड 2 (i) में 'कंपनी अधिनियम, 1956' के स्थान पर 'कंपनी अधिनियम, 2013' रखें।
- (ii) उप-खंड 2 (i) में 'कंपनी अधिनियम, 1956' के स्थान पर 'कंपनी अधिनियम, 2013' और "राज्य या केंद्रीय" के स्थान पर 'कोर्ट' रखें; और
- (iii) उप-खंड 2 (ii) में 'राज्य' का लोप करें।

धारा 11. - "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) रखें।

धारा 14. - उप-धारा (1) में "पाँच हजार रुपए" के स्थान पर "पचास हजार रुपए" रखें।

धारा 15. - "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 20)" रखें।

धारा 23. - उप-खंड (3) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 52. जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978

(1978 का 6)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "शासकीय राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, प्रस्तावना सहित, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

उद्देशिका "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (1) में "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें; और

(ii) उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

धारा 2. - उप-धारा (1) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

धारा 8. - उप-धारा (3) में, -

(क) खंड (ख) में, उप-खंड (iii) में, "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें; और

(ख) खंड (ग) में, "वन अधिनियम, संवत् 1987" के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" रखें।

धारा 10. - परंतुक का लोप करें।

धारा 12. - खंड (क) में, "धारा 87, धारा 88 और धारा 89" के स्थान पर "धारा 82, धारा 83, धारा 84 और 85" रखें।

धारा 14. - (i) उप-खंड (क) में, अंतःस्थापित करें, अर्थात् : -

"परंतु लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन, यदि उपयुक्त समझें, तो इस अधिनियम के तहत सटे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्राधिकरण को सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्त कर सकता है";

(ii) उप-धारा (3) में, -

(क) "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से" का लोप करें; और

(ख) परंतुक अंतःस्थापित करें "परंतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या पीठासीन जिला और सेशन न्यायाधीश को बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।"

धारा 19. - (क) "साधारण खंड अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर "साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10)" रखें।"

\*\*\*\*\*

### 53. जम्मू-कश्मीर ठेकेदार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1956

(1956 का 16)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के अलावा, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

**धारा 5 . -** (i) उप-धारा (2) में, 'विभाग के प्रभारी मंत्री' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन' रखें; और

(ii) उप-धारा (3) का लोप करें।

**धारा 7 . -** '30 रुपए' के स्थान पर '100 रुपए' रखें।

**धारा 8 . -** 'स्टाम्प अधिनियम, 1977' के स्थान पर 'भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)' रखें।

\*\*\*\*\*

### 54. जम्मू-कश्मीर, पर्यटक व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1978

(1978 का 9)

संपूर्ण अधिनियम में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 24 से भिन्न, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखें।

**धारा 1 . -** (i) उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

**धारा 2 . -** (i) खंड (छ) में, स्पष्टीकरण 1, में "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" को रखें।

(ii) खंड (ण) में, दोनों स्थानों पर, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

**धारा 27 . -** दोनों स्थानों पर, "प्रभारी-मंत्री" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन" रखें।

**धारा 28. -** उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 34. -** उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 35. -** "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 में से 1)" रखें।

\*\*\*\*\*

## 55. जम्मू-कश्मीर (आवासीय और वाणिज्यिक किराएदारी) अधिनियम, 2012

( 2012 का 5)

धारा 1. -

(i) उप-धारा (2) में, -

(क) "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

(ख) परंतुक में, "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन" और "राजपत्र" रखें ; और

(iii) उप-खंड (3) में, "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें

धारा 2 . -

(i) खंड (ख) में, "जम्मू-कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण अधिनियम, 1988" के अधीन स्थापित विशेष न्यायाधिकरण" के स्थान पर "लद्दाख प्रशासन द्वारा अधिसूचित अधिकरण या प्राधिकारण" रखें;

(ii) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखें—

"(ड) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है";

(iii) खंड (ज) में, "नगर निगम या" का लोप करें;

(iv) खंड (झ) और (ट) में "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" को रखें।

(v) खंड (ठ) में, "सरकारी अस्पताल" के स्थान पर, "प्रशासन के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा संचालित अस्पताल" रखें ; और

(vi) खंड (य) में, "नगर निगम" का लोप करें।

धारा 3. -

(i) खंड (क) में, "राज्य सरकार" और "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" और "प्रशासन" रखें।

(ii) खंड (ड) में, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें; और

(iii) खंड (च) में, "जम्मू-कश्मीर वक्फ अधिनियम, 2001" और "ट्रस्ट अधिनियम, संवत् 1977" के स्थान पर, क्रमशः "वक्फ अधिनियम, 1995" और "भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882" रखें।

धारा 14. -

उप-धारा (4) में, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

धारा 29. -

(i) "सरकार" और "सरकारी राजपत्र" के स्थान पर "प्रशासन" और "राजपत्र" रखें ; और

(ii) परंतुक में, खंड (i) का लोप करें।

धारा 30. -

(i) "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977", के स्थान पर "संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882" रखें।

(ii) परंतुक में,-

(क) दोनों स्थानों पर, "संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977", के स्थान पर

"संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882" रखें।

(ख) "अनुबंध अधिनियम, संवत् 1977", के स्थान पर "भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872" रखें।

**धारा 31.-** (i) उप-खंड (1) में "सिविल प्रक्रियासंहिता, संवत् 1977", के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

**धारा 32.** (i) उप-खंड (1) में "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977", के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

(ii) उप-खंड (2) में "रणबीर दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर क्रमशः "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

(iii) उप-खंड (6) में "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 37. -** (i) उपांत शीर्षक में, "राज्य की संचित निधि" का लोप करें; और

(ii) "राज्य की संचित निधि" के स्थान पर "ऐसा प्राधिकार जो प्रशासन द्वारा विहित किया जाए" रखें।

**धारा 40. -** दोनों स्थानों पर, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

**धारा 41. -** "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" रखें।

\*\*\*\*\*

**56. जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1960**

(1960 का 19)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**57. जम्मू-कश्मीर विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1985**

(1985 का 16)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 58. जम्मू-कश्मीर आत्म निर्भर सहकारी अधिनियम, 1999

(1999 का 10)

संपूर्ण अधिनियम में, “सरकारी राजपत्र” और “सरकार” के स्थान पर क्रमशः “राजपत्र” और “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन” रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, “जम्मू-कश्मीर” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र” रखें।

**धारा 1. -** (i) उप-खंड (2) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र” रखें।

**धारा 2 . -** (i) खंड (23) में, “जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 6 में परिभाषित राज्य के स्थायी निवासी” के स्थान पर “कोई व्यक्ति” रखें।

(ii) खंड (27) में, “राज्य के स्थायी निवासी” के स्थान पर “कोई व्यक्ति” रखें; और

(iii) खंड 30 में, “जिसके सदस्य राज्य के स्थायी निवासी हैं” का लोप करें।

**धारा 3. -** उप-धारा (1) में, “राज्य के स्थायी निवासी सम्मिलित होंगे” का लोप करें; और

**धारा 16. -** (i) खंड (क) में,-

(क) उप-खंड (i) में, “जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम, संवत् 1977”, के स्थान पर “भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9)” रखें; और

(ख) उप-खंड (ii) का लोप करें।

(ii) खंड (ग) में, “जम्मू-कश्मीर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1998” के स्थान पर “सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21)” रखें।

**धारा 59. -** “जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977” के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)” रखें।

\*\*\*\*\*

## 59. जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की (औद्योगिक निवेश और कारबार सरलीकरण)

अधिनियम, 2018

(2018 का 10)

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 2 के उपखंड (14) और उपखंड (17) या अन्यथा उपबंधित के सिवाय “सरकार” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन” रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, “सरकारी राजपत्र”, “जम्मू-कश्मीर” और “राज्य” के स्थान पर क्रमशः “राजपत्र”, “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र”, “संघ राज्यक्षेत्र” रखें।

**उद्देशिका-** "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

**धारा 2 . -** (i) खंड (1) के पश्चात, खंड (1क) अंतःस्थापित करें अर्थात्, -

"(कख) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है।

(ii) खंड (16) का लोप करें।

(iii) खंड (23) का लोप करें; और

(iv) खंड (25) के पश्चात, अंतःस्थापित करें, अर्थात्, -

"(25क) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" अभिप्रेत है।

**धारा 3. -** (i) उप-खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

"1 प्रशासन, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय एकल खिड़की निकासी समिति का गठन कर सकेगा;"

**धारा 4. -** उप-धारा (1) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें -

"1 प्रशासन, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक मंडल स्तरीय एकल खिड़की निकासी समिति का गठन कर सकेगा।"

**धारा 5.-** उप-धारा (1) में, - "मुख्य सचिव", "अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" और "निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, संबंधित सदस्य" के स्थान पर क्रमशः: "सलाहकार" और "अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण समिति" और "निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, सदस्य-सचिव" रखें और "9" प्रबंध निदेशक, जम्मू-कश्मीर, सिडको सदस्य-सचिव" का लोप करें।

**धारा 6. -** "कश्मीर/जम्मू" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

**धारा 8. -** उप-धारा (2) में, "राज्य अधिनियमों" के स्थान पर "राज्य अधिनियमों, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" में लागू करने के स्थान पर अनुकूलित" रखें।

**धारा 9. -** "राज्य सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखें।

**धारा 26. -** (i) उप-खंड (3) का लोप करें; और

(ii) उप-धारा (4) में, "राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए" के स्थान पर "नियमों में" रखें।

**धारा 27. -** उप-खंड (2) का लोप करें

## 60. जम्मू-कश्मीर राज्य सङ्कर सुरक्षा परिषद अधिनियम, 2018

(2018 का 5)

संपूर्ण अधिनियम में, “सरकारी राजपत्र” और “राज्य सङ्कर सुरक्षा परिषद” के स्थान पर “शासकीय राजपत्र” और “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र सङ्कर सुरक्षा परिषद” रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 4 के उप-खंड (2) के खंड (iii) के सिवाय, “सरकार” के स्थान पर “प्रशासन” रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, “राज्य” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र” रखें।

संपूर्ण अधिनियम में, धारा 37 के सिवाय, “जम्मू-कश्मीर” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र” रखें।

**धारा 2 . -** उप-खंड (2) में, -

(क) खंड (i) के स्थान पर रखें।

(i) “प्रशासन” से “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन” अभिप्रेत है; और

(ख) खंड (ट) में, “यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 या” का लोप करें।

**धारा 3 . -** उप-खंड (1) में, “अध्यक्ष जो परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में राज्य के मुख्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्य होंगे” के स्थान पर “ऐसे सदस्यों” रखें।

**धारा 4 . -** उप-खंड (3) के खंड (ii) में, “राज्य सरकार” के स्थान पर “प्रशासन” रखें।

**धारा 10. -** उप-खंड (1) में, “जम्मू-कश्मीर रोड सेफ्टी निधि” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र सङ्कर सुरक्षा निधि” रखें।

**धारा 22. -** उप-खंड (2) का लोप करें।

**धारा 23. -** (i) उप-खंड (3) में, “सरकार राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी” का लोप करें।

**धारा 29. -** (ii) “रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989” शब्दों के स्थान पर “भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)” रखें।

**धारा 34. -** (i) उप-खंड (3) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 61. सफायर अधिनियम, संवत् 1989

(1989 का 16)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 62. जम्मू-कश्मीर राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड अधिनियम, 1979

(1979 का 9)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 63. जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988

(1988 का 12)

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 64. जम्मू-कश्मीर राज्य नगर योजना अधिनियम, 1963

(1963 का 20)

संपूर्ण अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", "सरकारी राजपत्र", "राज्य" और "मंत्री" के स्थान पर क्रमशः "प्रशासन", "राजपत्र", "संघ राज्य क्षेत्र" और "उप राज्यपाल के सलाहकार" रखें।

**धारा 2 . -** खंड (ख) के स्थान पर रखें, अर्थात् :-

"(ख) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है।

**धारा 3. -** उप-खंड (ण) में, "जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, संवत्, 2008" या "जम्मू एवं कश्मीर नगर क्षेत्र अधिनियम, 2011" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000" रखें।

**धारा 18. -** उप-खंड (6) में, "जम्मू-कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम, संवत्, 2002" के स्थान पर "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)" रखें।

**धारा 26. -** "राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)" रखें।

**धारा 27. -** (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 की धारा 4 और धारा 6" के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 और धारा 19" रखें।

(ii) "राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990 की धारा 4 और धारा 6" जहां-जहां दोनों स्थानों पर वह आता है, के स्थान पर, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 और धारा 19", रखें।

**धारा 28 . -** (i) उपांत शीर्षक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें; और

(ii) उप-धारा (1) में, "राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990 की धारा 15, धारा 23 और धारा 24" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 26, धारा 27 और धारा 28" रखें।

\*\*\*\*\*

**65. जम्मू-कश्मीर ट्रेज़र ट्रोव अधिनियम, संवत् 1954**  
**(1897 का परिषद संकल्प संख्या 37)**

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**66. जम्मू-कश्मीर शहरी संपत्ति (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1971**  
**(1971 का 12)**

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**67. जम्मू-कश्मीर विलो (निर्यात और संचलन प्रतिषेध) अधिनियम, 2000**  
**(2000 का 16)**

पूर्णतः निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**68. जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2002**  
**(2002 का 21)**

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः, "प्रशासन" और "राजपत्र" रखें,

सर्वत्र अधिनियम में प्रस्तावना के सिवाय या जैसा अन्यथा उपबंधित है, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र", रखें,

**धारा 1.-** उप-धारा (2) में, "संपूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "संपूर्ण लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" रखा जाए।

**धारा 2.-** (i) खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित अंतः स्थापित करें -

"(कक)" प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन";

(ii) खंड (ग) का लोप करें;

(iii) खंड (ड.) में, "जिला शिक्षा अधिकारी" के स्थान पर "मुख्य शिक्षा अधिकारी" शब्द रखें;

(iv) खंड (ज) का लोप करें; और

(v) खंड (ण) के स्थान पर, "(ण)" "संघ राज्यक्षेत्र" से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" अभिप्रेत है।

धारा 6,7,8,9 और 10. – का लोप करें।

धारा 20 के पश्चात नई धारा का अंतःस्थापन करें. –

**20क.** प्राइवेट विद्यालय की फीस निर्धारण और विनियमन समिति का गठन।

- (1) प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र के प्राइवेट विद्यालयों में फीस को विनियमित करने और निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए "प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन समिति" के रूप में जानी जाने वाली समिति का गठन करेगा।
- (2) समिति का एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या प्रशासन का कोई अधिकारी रहा हो जो संघ राज्य क्षेत्र के सचिव या उससे ऊपर के रैंक से नीचे का न हो।
- (3) समिति के सदस्य ऐसे होंगे जो संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा विहित किया जाये।
- (4) अध्यक्ष, प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति या किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय संगम के किसी प्रतिनिधि को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कर सकेगा, किंतु समिति के सदस्यों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होगी।

**20ख.** अध्यक्ष की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें-

प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन के लिए समिति के अध्यक्ष की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण इस प्रकार होगा, जैसा कि प्रशासन द्वारा विहित किया जाये।

**20ग.** समिति की शक्तियाँ और कृत्य.-

- (1) इस अधिनियम के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन संबंधी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्य करेगी जो प्रशासन द्वारा विहित किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राइवेट विद्यालय, शिक्षा के व्यावसायीकरण और अनुचित मुनाफाखोरी में लिप्त नहीं हैं।
- (2) प्रशासन अधिसूचना द्वारा, प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति में निहित शक्तियों में से कोई भी, उस विस्तार तक जो विहित किया जाये, उक्त समिति के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगी।
- (3) प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति द्वारा पारित आदेशों को लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से पारित किया गया माना जाएगा और इसके उल्लंघन या गैर-अनुपालन पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के उपबंधों के अधीन अवज्ञा की कोटि में आयेगा।

**20घ.** फीस का अवधारण.-

- (1) प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन संबंधी समिति अगस्त, 2014 के पश्चात स्थापित किए गए प्राइवेट विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस का अवधारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, स्थान, उपलब्ध

अवसंरचना, प्रशासन पर व्यय, प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्रशासन या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी या किसी अन्य कारक जो विहित किया जाए, से किसी भी रूप में प्राप्त साहाय्य, सहायता, या संभाल को ध्यान में रखेगा।

(2) प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन की समिति समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के अधीन लिए जाने वाले प्रभारों की अधिकतम सीमा नियत करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकेगी।

#### 20ड. प्राइवेट विद्यालयों द्वारा प्रभारित फीस -

(1) प्राइवेट विद्यालय छात्रों या अभिभावकों से सिवाय अध्यापन फीस, वार्षिक फीस, परिवहन फीस और पिकनिक, दौरे और सैर आदि विशेष प्रयोजन फीस जो पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति के होंगे या किसी अन्य फीस जैसा कि विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए, के सिवाय कोई अन्य फीस नहीं लेंगे।

परंतु प्राइवेट विद्यालय किसी भी रीति से ऊपर उल्लिखित फीस से भिन्न प्रवेश फीस या कोई अन्य रकम नहीं लेंगे, चाहे उसे किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो।

**20च. रिकॉर्ड मंगवाने की शक्ति** - यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राइवेट विद्यालय ने उसके निर्देशों का उल्लंघन किया है या पालन नहीं किया है तो प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन समिति किसी भी स्तर पर जांच के लिए किसी भी विद्यालय के रिकॉर्ड को मंगवा सकती है।

#### 20छ. समिति के कर्मचारीवृद्धि -

(1) प्राइवेट विद्यालयों की फीस के निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के प्रयोजन से समिति के अध्यक्ष के परामर्श से प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकारी और कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे।

(2) प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन समिति के सभी स्थापना फीस प्रशासन द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समिति के अनन्य प्रशासनिक नियंत्रण और निर्देश के अधीन होंगे।

**20ज. उप-समितियाँ** - प्रशासन ऐसी शक्तियों और कृत्यों के साथ संघ राज्यक्षेत्र स्तर या जिलों के स्तर पर ऐसी अन्य उप-समितियों का गठन कर सकेगा, जो प्राइवेट विद्यालयों में फीस को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए ठीक समझें।

**20झ. विनियम बनाने की शक्ति**- प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी, जैसा कि उक्त समिति के प्रयोजन को निष्पदित करने के लिए आवश्यक हो।

**20-ज. दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ**- प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन संबंधी समिति की इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच को शुरू करने या कोई कार्यवाही शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं।

**धारा 22. – लोप कर दें।**

**धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखें।**

#### 25. अधिकारिता का वर्जन -

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय कोई व्यादेश नहीं देगा या इस अधिनियम के अधीन की जा रही या की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को अवरुद्ध करने वाला अंतरिम आदेश नहीं देगा।

(2) प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या प्रशासन या उक्त समिति के निर्देशन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्व्याव में किया या करने का आशय था, उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**धारा 27 के स्थान पर रखें:-**

**27. शास्ति. -**

(1) प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और नियमन संबंधी समिति द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के सिवाय, जो कोई भी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह विद्यालय शिक्षा निदेशक द्वारा प्रथम अपराध के लिए पंद्रह हजार और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए 50 हजार रुपए से अन्यून जुर्माने के लिए दायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या प्राइवेट विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालयों की फीस निर्धारण और विनियमन के लिए समिति के निर्देशों का उल्लंघन करता है, वह प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपये और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए एक लाख रुपये से अन्यून जुर्माना के लिए दायी होगा तथा उक्त समिति ऐसे प्राइवेट विद्यालयों को असम्बद्ध करने के लिए भी सिफारिश कर सकती है।"

**धारा 28 के स्थान पर रखें:-**

**28. पुनरीक्षण और अपील.-**

(1) धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किये जाएं, आदेश की तारीख के तीस दिनों की अवधि के भीतर निदेशक, स्कूल शिक्षा के समक्ष पुनरीक्षण याचिका फाइल कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति या प्राइवेट विद्यालय, जो कि प्राइवेट विद्यालयों के फीस निर्धारण और विनियमन के लिए समिति द्वारा धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किए गए किसी भी आदेश से पीड़ित है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। "

**धारा 29.- उप-धारा (2) में, खंड (छ) का लोप कर दें।**

\*\*\*\*\*

**69. जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975**

**(1975 का 28)**

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" शब्द रखें जायेंगे।

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका को और अधिनियम की धारा 44 में या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

उद्देशिका .-	"राज्य" तथा "जम्मू-कश्मीर राज्य में" के स्थान पर क्रमशः "संघ राज्य क्षेत्र" और "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में" शब्द रखें ;
धारा 1. -	उप-धारा (2) में, "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित करें।
धारा 2. -	(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-  "(क)" व्याकरणिक रूपांतरों के साथ "संबद्ध" और किसी संस्था के संदर्भ में प्रयुक्त सजातीय पदों का अर्थ बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बोर्ड से संबद्ध या सम्बद्ध माना जाना है;"  (कक) "बोर्ड" से खंड 3 के अधीन स्थापित स्कूल शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;"  (ii) खंड (ग) के स्थान पर रखें.-  "(ग)" प्राथमिक शिक्षा "से सक्षम शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा विहित अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार ग्रेड-1 से ग्रेड-8 के तत्स्थानी स्कूल में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा अभिप्रेत है;"  (iii) खंड (घ) के पश्चात् अंतःस्थापित करें-  "(घक)" संस्था के प्रमुख "से, किसी संबद्ध संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य या कोई अन्य प्रधानाचार्य या शैक्षणिक अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी भी पदनाम से जाना जाए;"  (iv) खंड (ज) के स्थान पर रखें.-  "(ज)" संस्थानों के संदर्भ में प्रयुक्त "इसकी व्याकरणिक भिन्नताओं और सजातीय पदों के साथ, मान्यताप्राप्त" से  पूर्व प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक या शिक्षक प्रशिक्षण स्तर पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूल या संस्था अभिप्रेत हैं;" तथा  (v) खंड (ड) के स्थान पर रखें-  "(ड)" "प्रशिक्षण संस्थान" से अभिप्रेत है, एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान जो निजी तौर पर या लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा चलाया जाता है और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त है और ऐसे बोर्ड से संबद्ध है जो प्रशासन द्वारा विहित किया जाए"।
खंड 3. -	(i) उप-धारा (1) में, "प्रारंभिक शिक्षा" के स्थान पर "पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा" रखें;  (ii) उपधारा (1) में, अंतः स्थापित करें -  "परंतु प्रशासन, बोर्ड का कार्य सौंप सकता है या किसी अन्य राज्य या किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य निकाय के ऐसे बोर्ड को संबद्ध कर सकता है जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए।" और  (iii) उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य बोर्ड" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का बोर्ड" शब्द रखें।
धारा 4. -	धारा 4 के स्थान पर रखें -  "4. बोर्ड की संरचना - बोर्ड में ऐसे सदस्य शामिल होंगे जिन्हें प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाए"।

**धारा 9. -** (i) पार्श्व शीर्षक में, "और उसके दो प्रभाग" का लोप करें;

(ii) "श्रीनगर और जम्मू में ऐसी अवधि के लिए जो अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करें" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विहित किया जाए" शब्द रखें, और

(iii) परंतुक को लोप करें।

**धारा 10. -** (i) खंड (i) में "प्रारंभिक" के स्थान पर "पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक"; शब्द रखें; और

(ii) "परीक्षाओं" के पश्चात् "और प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" शब्द अंतःस्थापित करें;

(iii) खंड (ii) में, "पाठ्यक्रम" के पश्चात्, "और शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा पाठ्यक्रम" शब्द अंतःस्थापित करें;

(iv) खंड (iii) में, "बोर्ड" के पश्चात्, "इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से" अंतःस्थापित करें;

(v) खंड (v) में, "हायर सेकंडरी कोर्सेस" के पश्चात्, "और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि" शब्द अंतःस्थापित करें;

(vi) खंड (xiii) में, "जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय" के स्थान पर "लद्दाख विश्वविद्यालय" रखें;

(vii) खंड (xv) के स्थान पर रखें;

"(xv) बोर्ड के साथ संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले स्कूल की कार्यशैली तथा उसमें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में" स्कूल शिक्षा के संबंधित निदेशक से रिपोर्ट मंगवाने हेतु;

(viii) खंड (xvi) में, "संबंधित" के पश्चात् "पूर्व-प्राथमिक" और "शिक्षा" के पश्चात् "शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" शब्द अंतःस्थापित करें;

(ix) खंड (xviii) के स्थान पर रखें -

"(xviii) अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करने के लिए विनियम तैयार करना।"

(x) खंड (xxvii) के स्थान पर रखें;

"(xxvii) (क) प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा सहित विभिन्न चरणों में अध्ययन के विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न पाठ्य समिति का गठन करने या नियुक्त करने के लिए;

(ख) संबंधित पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार या विकसित और अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन का कार्य करना; और

(xi) खंड (xxviii) के स्थान पर रखें-

"(xxviii) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (COBSE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) सहित विभिन्न संबद्ध संगठनों के साथ संपर्क करना।"

**धारा 11. -** उपधारा (3) का लोप करें;

**धारा 13. -** उपधारा (4) के स्थान पर रखें;

“(4) यदि अध्यक्ष की राय में कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वह इस तरह की कार्रवाई करेगा जो वह उचित समझे और उसके पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक में या अगली बैठक में बोर्ड को अपनी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा।

परन्तु अध्यक्ष अतिशीघ्र अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट उसके कारण सहित कार्यालय प्राधिकारी या बोर्ड या बोर्ड के अन्य निकाय, जैसी भी दशा हो, को कर सकता है, जो साधारण स्थिति में मामले को देखता है।

परन्तु यह और कि इन शक्तियों के अधीन किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि इन शक्तियों के अधीन किसी भी प्रकार की कोई प्रोन्नति नहीं की जाएगी। ”

**धारा 16 और 17.**

लोप करें-

**धारा 17 के पश्चात्, नई धारा का**

**अंतःस्थापन -**

**17क. शैक्षणिक निदेशक:** - ज्येष्ठ और सक्षम विद्वानों या शिक्षाविदों को जिन्हें पाठ्यक्रम बनाने, शिक्षण-अधिगम पद्धति, संज्ञानात्मक अधिगम में सजातीय प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों और ऐसे सभी संबंधित मामलों पर गहरी समझ हो, में से शैक्षणिक निदेशक को लद्वाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

**“17ख. शैक्षणिक निदेशक की शक्तियां और कृत्य :** बोर्ड के नियंत्रण और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए शैक्षणिक निदेशक, बोर्ड के ऐसे प्रभागों के प्रमुख होंगे जो बोर्ड के विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विनियमों में उपबंधित किए जाएं और इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (क) शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;
- (ख) विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;
- (ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और शारीरिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना;
- (घ) संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा, प्रचार और गुणवत्ता शिक्षा के विकास के विभिन्न चरणों के लिए सामग्री या पुस्तकें तैयार करना;
- (ड.) परीक्षाओं की स्कीम का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण या तैयार करना;
- (च) मूल्यांकन के नए तरीकों में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करना;
- (छ) नई स्कीमों या नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के संबंध में शिक्षकों के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का संचालन करना। ”

**धारा 22 के बाद, पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन-**

**22क. वित्तीय सलाहकार-** (1) प्रशासनिक सचिव, वित्त विभाग, या लद्वाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित कोई भी अधिकारी बोर्ड का पदेन वित्तीय सलाहकार होगा।

(2) वित्तीय सलाहकार बोर्ड और उसकी वित्त समिति का पदेन सदस्य होगा।

(3) वित्तीय सलाहकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए कानून और नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

**धारा 33.-** उप-धारा (2) के खंड (घ) में दोनों स्थान पर "मान्यता" के स्थान पर "संबद्धता" शब्द रखें।

**धारा 34. -** लोप करें।

**धारा 35. -** धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखें;

"35. विनियमों और उसके परिवर्तनों की प्रतियां- बोर्ड द्वारा धारा 33 के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियमन और उसमें प्रत्येक उपांतर या पुनरीक्षण की एक प्रति जानकारी के लिए लद्वाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी।"

**धारा 36. -** "हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूली शिक्षा" के स्थान पर "हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल और प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा" रखें।

धारा 37 के स्थान पर रखें-

"37. बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए संस्थानों का प्रवेश- (1) राज्य या राज्य के बाहर स्थित कोई भी संस्था, बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए बोर्ड में आवेदन कर सकती है और बोर्ड ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किया जाए, बोर्ड के विशेषाधिकारों के लिए ऐसी संस्था के आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

(2) जहां बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि किसी भी संबद्ध संस्थान द्वारा अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, या ऐसे संस्थानों द्वारा विहित शर्तों या प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो बोर्ड संस्थानों से अपने विशेषाधिकार वापस ले सकता है, और उसके पश्चात संस्थान एक संबद्ध संस्थान नहीं रहेगा:

परंतु विशेषाधिकार वापस लेने से पहले, बोर्ड द्वारा संस्थान को यह दिखाने की आवश्यकता होगी कि इस तरह की कार्रवाई उसके विरुद्ध क्यों नहीं की जानी चाहिए और बोर्ड संस्थान द्वारा प्रस्तुत किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार कर सकता है। "

**धारा 38.-** लोप करें।

धारा 40 के स्थान पर रखें।

बोर्ड की बैठकें- (1) बोर्ड एक वर्ष में कम से कम चार बार अपनी बैठकें आयोजित करेगा किंतु उसकी अंतिम बैठक और अगली बैठक के बीच तीन महीने का अंतर नहीं होगा।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा।

(3) बोर्ड की बैठक में सभी मामले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा तय किए जाएंगे:

परंतु मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष, एक सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त मत दे सकता है।

(4) कुल सदस्यों का दो-तिहाई बोर्ड की बैठक में एक कोरम बनाएगा:

परंतु यदि कोरम न होने पर बैठक स्थगित की जाती है, तो उसी कार्य के लिए अगली बैठक में कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(5) बैठक आयोजित होते ही बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति सचिव द्वारा लद्वाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दी जाएगी।

(6) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्रवाई, या कार्यवाही, सदस्यों के बीच किसी विद्यमान रहने के आधार पर या उसके गठन में दोष या प्रक्रिया में अनियमितता के कारण मामले के गुणावगुण को प्रभावित न करने वाली किसी भी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

#### धारा 43 के स्थान पर रखें-

"43. विधिक कार्यवाहियाँ : - बोर्ड, या उसके किसी भी सदस्य, या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों, या बोर्ड के निदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या बोर्ड के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन के अनुसरण में किए गए या किए जाने वाले किसी किसी कार्य के लिए या नोटिस के पश्चात् दो मास की अवधि की समाप्ति तक, और किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध वाद दायर किया जाना है, के कार्यालय या निवास स्थान पर नोटिस दिए जाने के दो मास की समाप्ति तक और जब तक कि इस तरह की सूचना में स्पष्ट रूप से कार्रवाई का कारण, मांगी गई अनुतोष की प्रकृति, दावा की गई प्रति कर की रकम का और इच्छुक वादी के नाम और निवास का स्थान का उल्लेख नहीं है और जब तक वादी यह नहीं कह देता, कि नोटिस को इस प्रकार दिया गया या परिदान कर दिया गया है" तब तक उसके खिलाफ वाद नहीं संस्थित किया जाएगा।

धारा 43 के पश्चात्, नई "43क. कॉपी राइट- (1) बोर्ड द्वारा विकसित, मुद्रित और प्रकाशित सभी सामग्रियों की कॉपी राइट बोर्ड में ही निहित होगी।

(2) बोर्ड, स्कूल शिक्षा से संबंधित सामग्री किसी भी एजेंसी से विकसित, प्रकाशित या मुद्रित करवा सकता है, जिसे वह लोक हित में उचित समझें "

"43ख. वसूली की संक्षिप्त शक्तियाँ: - स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति से पुस्तकों का क्रय, विक्रय, परिवहन, मुद्रण, भंडारण या पारगमन और पुस्तकों और मुद्रण सामग्री में कमी के कारण या बोर्ड के पदधारियों द्वारा अन्य रकमों का पुर्विनियोग किया गया है, जिससे राशि वसूल की जानी है तो ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन की वसूली की जाएगी और वसूली की प्रक्रिया भूमि राजस्व अधिनियम, 1996 की धारा 90 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। "

\*\*\*\*\*

70. जम्मू-कश्मीर गोजातीय प्रजनन (उत्पादन का विनियमन गोजातीय वीर्य का विक्रय और कृत्रिम गर्भाधान सेवा) अधिनियम, 2018

(2018 का एलआई)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय "राज्य", "जम्मू-कश्मीर" और "राजपत्र", के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र", "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "राजपत्र" रखें,

सम्पूर्ण अधिनियम में, धारा 21 की उप-धारा (1) या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन", शब्द रखें;

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात् अंतःस्थापित करें-

"(कक) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ज) में, "कश्मीर और पशुधन विकास बोर्ड जम्मू" का लोप करें।

(iii) खंड (ण) का लोप करें; और

(iv) खंड (त) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 5. -** धारा 5 में, "अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी / प्रशासनिक सचिव, पशु भेड़पालन और मत्स्य विभाग के कार्यालय में" के स्थान पर "प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित" शब्द रखें।

**धारा 9. -** उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 17. -** (i) उप-धारा (1) में, "जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 19) के अधीन स्थापित अधिकरण" के स्थान पर "प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकरण"; और

(ii) उप-धारा (2) में "अधिकरण" के स्थान पर "ऐसे प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित करें।

**धारा 18. -** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 (1933 A.D)" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 29. -** "रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखें।

**धारा 32. -** उपधारा (3) का लोप कर दें।

**धारा 34. -** "जम्मू / कश्मीर" विकल्प के स्थान पर "लद्दाख" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

## 71. जम्मू-कश्मीर आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 2002

(2002 का 12)

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें;

सम्पूर्ण अधिनियम में, धारा 6 की उपधारा (4) के खंड (ix) के सिवाय या अन्यथा उपबंधित, "सरकार" के स्थान पर "प्रशासन" शब्द रखें,

सम्पूर्ण अधिनियम में राज्य रणबीर दंड संहिता संवत् 1989 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) रखें।

**धारा 1. -** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 2. -** (i) खंड (क) के पश्चात् अंतःस्थापित -

"(कक)" प्रशासन" से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, खंड (गग) अंतःस्थापित करें, अर्थात् -

"(गग)" क्लेक्टर "का अर्थ है क्लेक्टर, जो भूमि राजस्व अधिनियम, संवत् 1996 के अधीन परिभाषित है";

(iii) खंड (घ) का लोप करें;

(iv) खंड (च) के स्थान पर अंतःस्थापित करें, -

"(च)"निरीक्षक" का अर्थ है एक अधिकारी, एक समिति या एक एजेंसी जो इस अधिनियम के अधीन प्रशासन द्वारा इस प्रकार नियुक्त की गई है";

(v) खंड (ट) के उपखंड (iv) में "कंपनी अधिनियम, 1956" के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) रखें; और

(ii) उप-खंड (v) में "भारतीय रेलवे अधिनियम, 1980" के स्थान पर "रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24)" रखें;

धारा 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें;

"3. रियायतों के लिए घोषणा - आवश्यक प्रारंभिक जांच के लिए एक प्रस्तावित आकाशी रज्जुमार्ग के संबंध में प्रशासन के अलावा एक इच्छुक प्रमोटर द्वारा प्रत्येक घोषणा संभागीय आयुक्त को एक आवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

4. घोषणा की विषयवस्तु – ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ सम्यक् रूप से शपथ पत्र लगाया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) वचनबंध का विवरण और प्रस्तावित आकाशी रज्जुमार्ग द्वारा अनुसरित मार्ग;

(ii) निर्माण और प्रबंधन की प्रणाली का विवरण और आकाशी रज्जुमार्ग से समुदाय को अपेक्षित लाभ;

(iii) इसके निर्माण की लागत का अनुमानित अनुमान; तथा

(iv) इस तरह के नक्शे, योजना, खंड, चित्र और अन्य जानकारी जिसकी लहाव के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।"

धारा 18 के स्थान पर रखें :-

"18. संप्रवर्तक दर नियत कर सकेंगे।- संप्रवर्तक को आकाशी रज्जुमार्ग, पर काम करने के प्रयोजनों के लिए, आकाशी रज्जुमार्ग पर यात्रियों, जानवरों या सामानों की गाड़ी के लिए दरें नियत करने की शक्तियां प्राप्त होंगी :

परंतु ऐसी दरें इस तरह की अधिकतम और न्यूनतम दरों के अध्यधीन होंगी, जिन्हें प्रशासन या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायत, गारंटी, या वित्तीय सहायता के मामले में विहित या आदेशित किया जा सकेगा।

धारा 30. -

"राज्य भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990" के स्थान पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वास अधिनियम में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, 2013 (30 का 2013)" रखें।

धारा 32. -

उप-धारा (4) का लोप करें।

धारा 34. -

"एक हजार रुपये" के स्थान पर "पाँच हजार रुपये" शब्द रखें।

## 72. जम्मू-कश्मीर वन (संरक्षण) बल अधिनियम, 2001

(2001 का 6)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 73. रम रसम निवारण अधिनियम, 1977

(1997 का 1)

सम्पूर्ण अधिनियम में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

खंड 4. - "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर "पाँच हजार रुपये" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

## 74. प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, संवत् 1977 (1920 ए.डी.)

(1977 का 29)

सम्पूर्ण अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" और "राजपत्र", "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "प्रशासन" और "राजपत्र", "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें,

सम्पूर्ण अधिनियम में, "रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) रखें,

धारा 1. - उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें,

धारा 3. - (i) "प्रांत- प्रांत का अर्थ है जम्मू का प्रांत या कश्मीर का प्रांत" शब्द के स्थान पर "प्रांत- प्रांत का अर्थ है लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र"; और

(ii) "खदान" की परिभाषा में "वयस्कता अधिनियम, 1977," के स्थान पर "वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9)" रखें।

धारा 59. - "सम्पूर्ण राज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 60. - उप-धारा (2) में, उदाहरण में "सम्पूर्ण राज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

## 75. जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विद्यि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018

(2019 का 2 )

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 76. श्रीनगर और जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(2016 का 3)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 77. जम्मू-कश्मीर प्रवासी स्थावर सम्पत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थातम् विक्रय पर अवरोध अधिनियम, 1997

(1997 का 16)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 78. जम्मू-कश्मीर प्रवासी (कार्यवाहियों पर रोक) अधिनियम, 1997

(1997 का 17)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 79. जम्मू-कश्मीर बाढ़ प्रवण क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2005

(2005 का 17)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 80. जम्मू-कश्मीर बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002

(2002 का 16)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 81. जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969

(1969 का 24)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 82. जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999

(1999 का 12)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**83. जम्मू-कश्मीर अभिध्वंस क्रियाकलापों का निवारण और दमन अधिनियम, 1965**

(1965 का 22)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**84. जम्मू-कश्मीर सिविल न्यायालय अधिनियम, संवत् 1977**

(संवत् 1977 का 46)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो 'सरकार' और 'राजपत्र' के स्थान पर, क्रमशः, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन' और 'राजपत्र' शब्द रखें;

सम्पूर्ण अधिनियम में "सिविल प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) रखें,

सम्पूर्ण अधिनियम में, "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 1.-** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 2. -** (i) खंड (i) का लोप कर दें;

(ii) खंड (i) के पश्चात् अंतःस्थापित करें -

"(iक)" उच्च न्यायालय "से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के भाग VIII के अधीन बनाए गए जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय अभिप्रेत है"

**धारा 3. -** लोप करें।

**धारा 4.-** लोप करें।

**धारा 8. -** उपधारा (1) के खंड (घ) में, "वाद" के लिए "प्रयुक्त" शब्द रखें।

**धारा 13. -** "लघु बाद न्यायालय अधिनियम के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालय, और", शब्द का लोप करें।

**धारा 24.-** लोप करें।

**धारा 25. -** (i) उपधारा (2) में, (क) खंड (क) में, "प्रोबेट और प्रशासन" और "तीसरी अनुसूची का पांचवां पैरा" के स्थान पर "भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 (1925 का 39)" और "तृतीय अनुसूची का पैरा 3"; शब्द रखें; और

(ख) "संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम" के स्थान पर "संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8)" रखें।

**धारा 39. -** उपधारा (2) में, "दूसरी अनुसूची का पैरा 17 या" का लोप करें।

**धारा 43. -** "जम्मू-कश्मीर राज्य का उच्च न्यायालय" के स्थान पर "उच्च न्यायालय" रखें।

\*\*\*\*\*

## 85. जम्मू-कश्मीर भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1960

(1960 का 40)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 86. जम्मू-कश्मीर वृत्तिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002

(2002 का 25)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 87. जम्मू-कश्मीर (अनुचित साधन परीक्षा निवारण अधिनियम, 1987

(1987 का 20)

अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सम्पूर्ण अधिनियम में 'सरकार', और राजपत्र, के स्थान पर क्रमशः 'प्रशासन' और 'राजपत्र' शब्द रखें,

उद्देशिका में या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित करें।

**धारा 1. -** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 2. -** (i) खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975 अथवा प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य बोर्ड" शब्द रखें;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, खंड (कख) अंतःस्थापित करें, अर्थात्

"(कख)" प्रशासन "से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है;

(iii) खंड (ज) में "जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975" के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1975 अथवा प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य बोर्ड" शब्द रखें;

(iv) खंड (ठ) में, "राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय" के स्थान पर "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई विश्वविद्यालय" शब्द रखें।

**धारा 7. -** "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 8. -** (i) "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" शब्द रखें; और

(ii) खंड (iii) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989 की धारा 259-क" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का अध्याय 19" शब्द रखें।

धारा 10. -

"रणीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

### 88. जम्मू-कश्मीर निजी महाविद्यालय (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2002

(2002 का 22)

धारा 17 के खंड (2) या अन्यथा उपबंधित के सिवाय सम्पूर्ण अधिनियम में, 'सरकार' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें,

अन्यथा उपबंधित के सिवाय सम्पूर्ण अधिनियम में, "राजपत्र", के स्थान पर "राजपत्र" शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, अधिनियम की धारा 24 अथवा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जम्मू-कश्मीर के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र", शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका सहित अथवा अन्यथा उपबंधित सहित "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

धारा 1. - उप-धारा (2) में 'जम्मू-कश्मीर राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

धारा 2. - (i) खंड (क) के पश्चात्, खंड (कख) अंतःस्थापित करें, अर्थात्-

"(कख)" प्रशासन " से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन; अभिप्रेत है;

(ii) खंड (ग) में, -

(क) 'कश्मीर विश्वविद्यालय या जम्मू विश्वविद्यालय से संबद्ध' के स्थान पर "लद्दाख विश्वविद्यालय या प्रशासन द्वारा अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध"; शब्द रखें।

(ख) उप-खंड (i) में, "कश्मीर विश्वविद्यालय या जम्मू विश्वविद्यालय" के स्थान पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोई भी विश्वविद्यालय" शब्द रखें।

(iii) खंड (च) का लोप करें;

(iv) खंड (i) में "राज्य" से कश्मीर राज्य अभिप्रेत है" के स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र" से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है" रखें;

(v) खंड (ज) में, कश्मीर-जम्मू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 के अधीन स्थापित कश्मीर विश्वविद्यालय या जम्मू विश्वविद्यालय के स्थान पर 'लद्दाख विश्वविद्यालय या जम्मू, कश्मीर या लद्दाख मामलों का कोई अन्य विभाग" रखें।

खंड 3. -

उप-धारा (2) में, 'जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969' के स्थान पर" लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018" शब्द रखें।

खंड 9. -

उप-धारा (2) में, 'सरकारी सेवाएं' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सेवाएं रखें'।

धारा 17. - खंड (ठ) में, "जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969" के स्थान पर" लद्दाख विश्वविद्यालय, 2018" शब्द रखें।

धारा 19. - "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

\*\*\*\*\*

### 89. पुलिस अधिनियम, 1983

(संवत् 1983 का 2)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 'सरकार', 'राज्य' और "जम्मू-कश्मीर राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "राजपत्र" शब्द रखें।

धारा 2. - "इसके तीसरे प्रकाशन" के स्थान पर, "इसके प्रकाशन" रखें।

धारा 4. - धारा 4 के अंत में, 'इस अधिनियम में "महानिरीक्षक", "उप महानिरीक्षक", "सहायक महानिरीक्षक", "अधीक्षक", "उप अधीक्षक", "सहायक अधीक्षक" या पुलिस बल में कोई अन्य पद, यदि ऐसा कोई पद लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद नहीं है, तो एक समकक्ष पद या ऐसे पद का उल्लेख करने के लिए समझा जाए, जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।"

धारा 8. - "जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 126 के उपबंध" के स्थान पर "भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंध" रखें।

धारा 17. - उप-धारा (1) में "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 और 387" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 और 422" रखें।

धारा 27. - उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 525" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 459" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

### 90. जम्मू-कश्मीर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कश्मीर इस्लामिक विश्वविद्यालय

अधिनियम, 2005

(2005 का 18)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**91. जम्मू-कश्मीर पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1961**  
**(1961 का 13)**

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**92. जम्मू-कश्मीर परम्परा संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, 2010**  
**(2010 का 15)**

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर, क्रमशः, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः: "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 2. -** (i) खंड (क) के पश्चात्, अंतःस्थापित करें।

"(कक) "प्रशासन" से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" अभिप्रेत है; और

(ii) खंड (ज) का लोप करें।

**धारा 15. -** उप-धारा (i) में "पांच हजार रुपये" के स्थान पर "पचास हजार रुपये" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

**93. जम्मू-कश्मीर टीकाकरण अधिनियम, 1967**  
**(1967 का 21)**

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**94. शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (डिग्री अनुदान) अधिनियम, 1983**  
**(1983 का 13)**

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**95. जम्मू-कश्मीर नागरिक विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2014**  
**(2010 का 13)**

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**96. जम्मू-कश्मीर फल पौधशाला (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1987**  
**(1987 का 22)**

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक अन्यथा उपबंधित न हों 'सरकार', और 'सरकारी राजपत्र' के स्थान पर, क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन' और 'सरकारी राजपत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के सिवाय, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो "जम्मू-कश्मीर" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

उद्देशिका.- "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 1. -** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 7. -** "राज्य" के स्थान पर, जहाँ कहीं भी हो, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 17. -** "दंड प्रक्रिया संहिता, संवत, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 18. -** "राज्य रणबीर दंड संहिता" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)" रखें।

**धारा 21. -** उप-धारा (3) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

**97. कृषक अनुतोष अधिनियम, 1983**  
**(संवत 1983 का 1)**

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

**98. जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कृषकों को सहायता एवं भूमि सुधार अधिनियम**  
**(1993 का 7)**

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 99. जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

(2011 का 9)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो 'सरकार', और 'राजपत्र' के स्थान पर, क्रमशः, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन', और "राजपत्र" रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'जम्मू-कश्मीर' के स्थान पर और 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र', रखें।

**उद्देशिका -** 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

**धारा 2. -** (i) खंड (क) के पश्चात्, खंड (कख) अंतःस्थापित करें, अर्थात् -

"(कख)" प्रशासन से "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" अभिप्रेत है और

(ii) खंड (ड.), (झ) एवं और (ठ) का लोप कर दें।

**धारा 9. -** "सिविल प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

**खंड 15. -** "विशेष ट्रिब्यूनल" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अभिहित प्राधिकरण" रखें।

\*\*\*\*\*

## 100. लद्दाख बौद्ध संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम, 2000

(संवत् 2000 का 18)

**उद्देशिका. -** "लद्दाख के बौद्ध" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के बौद्ध" शब्द रखें।

**भाग-1. -** "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर उप-धारा (ii) में, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 2. -** खंड (ख) में, "लद्दाख जिला अभिप्रेत है" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

## 101. जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2010

(2010 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 102. राष्ट्रीय रक्षा निधि स्थावर संपत्ति दान (स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1963

(1963 का 5)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार" शब्द के स्थान पर, "प्रशासन" शब्द रखें।

**धारा 4. -** उप-धारा (1) में, "राजपत्र" के स्थान पर "राजपत्र" रखें।

\*\*\*\*\*

## 103. स्टांप अधिनियम, संवत 1977

(1977 का 40)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 104. जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का 5)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 105. कश्मीर रेशम संरक्षण अधिनियम, 1964

(1964 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 106. जम्मू-कश्मीर रेशम (विकास और संरक्षण) अधिनियम, 1988

(1988 का 28)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 107. जम्मू-कश्मीर नामधा क्वालिटी नियंत्रण अधिनियम, संवत 2010

[संवत 2010 (1953 ई.पू.) का 6]

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 108. जम्मू-कश्मीर अप्रचलित कानून (निरसन) अधिनियम, 2010

(2010 का 27)

उद्देशिका. -

“राज्य” के स्थान पर “लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र” प्रतिस्थापित करें।

\*\*\*\*\*

## 109. जम्मू-कश्मीर राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 2006

(2006 का 18)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 110. जम्मू-कश्मीर राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2006

(2006 का 12)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 111. पथकर उद्धरण अधिनियम संवत 1995

(1995 का 8)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 112. जम्मू-कश्मीर वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन अधिनियम, 2005

(2005 का 9)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 113. जम्मू-कश्मीर राज्य आपात अनुतोष निधि अधिनियम, 1960

(1960 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 114. अतिव्याज ऋण अधिनियम, संवत 1977

(1977 का 47)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

115. जम्मू-कश्मीर निक्षेपकर्ता (वित्तीय स्थापन में) के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2018

(2018 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

116. जम्मू-कश्मीर लेखा विनियम अधिनियम, संवत 2001

(संवत 2001 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

117. जम्मू-कश्मीर शहरी स्थाकर संपत्ति कर (निरसन और व्यावृति) अधिनियम, 2002

(2002 का 28)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

118. जम्मू-कश्मीर किराएदारी अधिनियम, 1980

(संवत 1980 का 2)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

119. जम्मू-कश्मीर किराएदारी (बेदखली कार्यवाही पर रोक) अधिनियम, 1966

(1966 का 33)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

120. जम्मू-कश्मीर बंधक सम्पत्ति प्रत्यास्थपन अधिनियम, 1976

(1976 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 121. जम्मू-कश्मीर शहूत संरक्षण अधिनियम, संवत् 2006

(2006 का 10)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 122. जम्मू-कश्मीर कारावास महानिरीक्षक (पदनाम में परिवर्तन) अधिनियम, 2001

(2001 का 13)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 123. जम्मू-कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक विनाय अधिनियम, 1973

(1973 का 15)

सम्पूर्ण अधिनियम में "राजपत्र" के लिए "राजपत्र" रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में, धारा 4 के खंड (vi) से भिन्न, "सरकार" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" शब्द रखें।

उद्देशिका - "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" प्रतिस्थापित करें।

धारा 1. - (i) उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें; और  
(ii) उप-धारा (2क) में "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 2. - खंड (क) में, "राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

धारा 2 क - "जम्मू-कश्मीर मकान और दुकान किराया नियंत्रण अधिनियम, 1966" के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर आवासीय और वाणिज्यिक किरायेदारी अधिनियम, 2012" रखें।

धारा 4. - (i) खंड (v) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।  
(ii) खंड (vi) का लोप करें।

धारा 6. - "श्रीनगर और जम्मू में रोटेशन द्वारा" का लोप करें।

धारा 7. - "जम्मू और श्रीनगर में कार्यालयों" के स्थान पर, "लद्दाख में एक कार्यालय" शब्द रखें।

धारा 8. - परंतुक का लोप करें।

खंड 12. - खंड (vi) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 124. जम्मू-कश्मीर दान माल (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम

(1963 का 40)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 125. जम्मू-कश्मीर कच्चहरी अधिनियम, 2011

(2011 का 18)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो "सरकार", "जम्मू-कश्मीर" या "राज्य", और 'राजपत्र' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन', "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "राजपत्र", "संघ राज्य क्षेत्र", शब्द रखें।

**धारा 1.-** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**खंड 3. -** (i) उप-धारा (4) में "जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, 1987" और "वन विभाग के प्रभारी मंत्री" के स्थान पर "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)" और "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" रखें;

(ii) उप-धारा (9) में, "जैसे कि कश्मीर घाटी में सम्मिलित राज्यक्षेत्र और" का लोप करें।

**धारा 12. -** खंड (ii) का लोप करें।

**धारा 22. -** उप-धारा (1) में, "वन विभाग के प्रभारी मंत्री" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन" शब्द रखें।

**धारा 25. -** "दंड प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 32. -** "दंड प्रक्रिया संहिता" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

\*\*\*\*\*

## 126. जम्मू-कश्मीर सब्जी बीज अधिनियम, संवत्- 2009

(1973 का 14)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 127. शत्रु अभिकर्ता अध्यादेश, 2005

(संवत् 2005 का अध्यादेश 8)

सम्पूर्ण अध्यादेश में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार' और 'राज्य' के स्थान पर, क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन', और "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

**धारा 1.-** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख" रखें।

**धारा 9.-** उप-धारा (2) में, दोनों जगहों पर, जहां वे आते हैं "धारा 439" के स्थान पर "धारा 401" रखें।

**धारा 12.-** "साक्ष्य अधिनियम, 1977" के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)" रखें।

**धारा 13.-** उप-धारा (4) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 15.-** "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के लिए "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

**धारा 16.-** "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)" रखें।

\*\*\*\*\*

### 128. जम्मू-कश्मीर चौकीदार अधिनियम, 1956

(1956 का 37)

सम्पूर्ण अधिनियम में जब अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'सरकार' और 'राजपत्र' के स्थान पर, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, और 'राजपत्र' रखें।

उद्देशिका या अन्यथा उपबंधित के सिवाय "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

उद्देशिका. - "जम्मू-कश्मीर राज्य में" के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में' रखें।

**धारा 1.-** उप-धारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 11.-** "रणबीर दंड संहिता, 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)" रखें।

\*\*\*\*\*

### 129. जम्मू-कश्मीर पादप रोग और नाशकजीव अधिनियम, 1973

(1973 का 14)

सम्पूर्ण अन्यथा उपबंधित के सिवाय "सरकार" और "राजपत्र" के स्थान पर क्रमशः, "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र" शब्द रखें।

उद्देशिका. - "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 1.-** उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के लिए "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 10.-** उप-धारा (3) में, "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर "पाँच हजार रुपये" शब्द रखें।

**धारा 16.-** उप-धारा (4) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 130. जम्मू-कश्मीर श्री अमरनाथ जी पूजा स्थल अधिनियम, 2000

(2000 का 18)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 131. जम्मू-कश्मीर श्री माता सुखराला देवी जी और श्री माता बाला सुंदरी पूजा स्थल अधिनियम, 2013

(2013 का 3)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 132. जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णों देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1988

(1988 का 16)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 133. जम्मू-कश्मीर श्री शिव खोड़ी पूजा स्थल अधिनियम, 2008

(2008 का 4)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 134. जम्मू-कश्मीर राज्यपाल विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2018

(2018 का 42)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 135. जम्मू-कश्मीर विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 2000

(2000 का 6)

पूरे का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 136. जम्मू-कश्मीर केसर अधिनियम, 2007

(2007 का 5)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 137. जम्मू-कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम, 2011

(2011 का I)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 138. जम्मू-कश्मीर आदतन आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956

(1956 का 11)

सम्पूर्ण का निरसन करें।

\*\*\*\*\*

## 139. जम्मू-कश्मीर होम गार्ड अधिनियम, 2006

(संवत् 2006 का 3)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, "सरकार", "राज्य" और 'राजपत्र', के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन', 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' और 'राजपत्र' रखें।

धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित करें : "2. होमगार्ड का गठन और कमांडेंट जनरल और कमांडेंट की नियुक्ति:

- (i) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन होमगार्डर्स नामक एक स्वयंसेवी संस्था का गठन करेगा, जिसके सदस्य व्यक्तियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और लोक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और इस तरह के ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों तथा ऐसे अन्य कृत्यों को करेगे, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उन्हें सौंपा गया है।
- (ii) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन होमगार्डर्स के उपयुक्त ज्येष्ठता के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में होमगार्डर्स का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उसे नियंत्रित करेगा।
- (iii) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे कई अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो आवश्यक हो और जिस अधिकारी को खंड (i) में निर्दिष्ट किया गया हो, वह अपनी शक्तियों को जिन्हें वह होमगार्ड की पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझे, उसे सौंप सकता है।
- (iv) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन प्रत्येक जिले में होमगार्ड के लिए एक कमांडेंट की नियुक्ति भी करेगा। "

धारा 6-ख. -

- (i) उप-धारा (1) में, "रणबीर दंड संहिता 1989" के स्थान पर "भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें; और
- (ii) उप-धारा (2) का लोप करें।

धारा 6-ग -

- उप-धारा (2) में, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1989" के स्थान पर "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संवत् 1974 का 2)" रखें।

\*\*\*\*\*

## 140. जम्मू-कश्मीर अग्नि बल अधिनियम, 1967

(1967 का 12)

सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंधित न हो, 'सरकार', और 'राजपत्र' के लिए क्रमशः 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन' और 'राजपत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका के सिवाय जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो 'राज्य' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

**धारा 2 -** खंड (घ) में "जम्मू-कश्मीर राज्य अग्निशमन बल" के स्थान पर "लद्दाख अग्निशमन और बचाव सेवा" शब्द रखें।

**धारा 3. -** "जम्मू-कश्मीर राज्य अग्निशमन बल" के स्थान पर "लद्दाख अग्निशमन और बचाव सेवा" रखें।

**धारा 14. -** "राज्य की संचित निधि" के लिए "भारत की संचित निधि" प्रतिस्थापित करें।

**धारा 17. -** खंड (च) में उप-धारा (2) में "जम्मू-कश्मीर मध्यस्थता अधिनियम, संवत् 2002" के स्थान पर, "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)" रखें।

**धारा 19. -** "सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977" के स्थान पर, "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)" रखें।

**धारा 21. -** "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर संहिता, संवत् 1989" के लिए "भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45)" रखें।

\*\*\*\*\*

## 141. जम्मू-कश्मीर राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002

(2002 का 24)

सम्पूर्ण अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 'राजपत्र' के स्थान पर, 'राजपत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका और धारा 4 या अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'राज्य' के स्थान पर, 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

सम्पूर्ण अधिनियम में उद्देशिका, धारा 4 और धारा 36 या अन्यथा उपबंधित के सिवाय 'जम्मू-कश्मीर' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' शब्द रखें।

धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट वाक्यांश 'भारत सरकार' के सिवाय पूरे अधिनियम में 'सरकार' के स्थान पर 'प्रशासन' शब्द रखें।

**उद्देशिका.-** "राज्य बोर्ड" और "राज्य में" के स्थान पर "संघ राज्य बोर्ड" तथा "संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

**धारा 1.-** उप-धारा (2) में "सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

**धारा 2.-** (i) खंड (क) के बाद खंड (कख) अंतःस्थापित करें, अर्थात्,

'(कख)' प्रशासन से 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन' अभिप्रेत है;

(ii) खंड (द) का लोप करें।

(iii) खंड (ब) का लोप करें और

(iv) खंड (भ) के पश्चात् खंड (भक) अंतःस्थापित, अर्थात् -

'(कख) 'संघ राज्य क्षेत्र' से 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र' अभिप्रेत है।

धारा 3.-

धारा 3 के पश्चात्, परंतुक अंतःस्थापित करें, अर्थात् -

"परंतु प्रशासन, बोर्ड का कार्य सौंप सकता है या किसी अन्य राज्य या किसी अन्य निकाय के ऐसे बोर्ड को संबद्ध कर सकता है जो इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जाए।"

धारा 5-

"निम्नलिखित सदस्यों के लिए ... (द) सदस्य-सचिव, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा के स्थान पर 'ऐसे सदस्यों, जिन्हें प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा" शब्द रखें।

धारा 18.-

जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा विनियमों में उपबंधित "प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों" के स्थान पर "प्रशासन द्वारा विहित "प्रतिनियुक्ति की शर्तों" शब्द रखें।

धारा 19.-

राज्य विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए उचित विनियोजन के पश्चात्" का लोप करें।

धारा 22.-

(i) उप-धारा (2) में, "कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 226 के स्थान पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 रखें, तथा

(ii) उप-धारा (5) का लोप करें।

धारा 30.-

(i) "जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, संवत्, 1989" जहाँ भी हो वे आते हैं 'भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)'; रखें तथा

(ii) उप-धारा (2) में, 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1989' के लिए 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)' रखें।

धारा 32.-

उप-धारा (3) का लोप करें।

\*\*\*\*\*

## 142. जम्मू-कश्मीर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2011

(2011 का 6)

सम्पूर्ण अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, "सरकार", और "राजपत्र" के लिए क्रमशः "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" और "राजपत्र", शब्द रखें।

उद्देशिका में या अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पूरे अधिनियम में "जम्मू-कश्मीर" और "राज्य" के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" और "संघ राज्य क्षेत्र" रखें।

उद्देशिका. - 'जम्मू-कश्मीर राज्य में' के स्थान पर 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में' शब्द रखें।

खंड 2. - (i) खंड (क) के पश्चात् खंड (कख) अंतःस्थापित, रखें।

"(कख)" प्रशासन " से 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन;" अभिप्रेत है;

(ii) खंड (घ) का लोप करें; और

(iii) खंड (ज) में "राज्य" का अर्थ "जम्मू-कश्मीर राज्य है" के स्थान पर "केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ है लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखें।

\*\*\*\*\*

[फा. सं. 11012/21/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

## ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2020

**S.O. 3775 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Ladakh, namely:-

1. (1) This Order may be called the Union territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order 2020.  
(2) It shall come into force with immediate effect.
2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in territory of India.
3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed.
4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion.
5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31<sup>st</sup> day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances, as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case.
6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect—
  - (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
  - (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;
  - (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
  - (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued.

\*\*\*\*\*

**THE SCHEDULE**  
(See paragraph 3)

**STATE LAWS**

**1. THE JAMMU AND KASHMIR STATE AID TO INDUSTRIES ACT, 1961**  
(XXII of 1961)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**2. THE JAMMU AND KASHMIR ANATOMY ACT, 1959**  
(XXII of 1959)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, ‘State’ and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, ‘Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’, respectively.

Section 6. – For “five hundred rupees” substitute “five thousand rupees”.

Section 9. – For “Ranbir Penal Code” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

\*\*\*\*\*

**3. THE JAMMU AND KASHMIR ANCIENT MONUMENTS PRESERVATION ACT, SVT. 1977**  
(V of Samvat 1977)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, “Jammu and Kashmir”, “State Protected Monument”, “Minister” and ‘Government Gazette’, substitute respectively “Administration of Union territory of Ladakh”, “Union territory of Ladakh”, “Protected Monument”, “Administration of Union territory of Ladakh” and ‘Official Gazette’.

Throughout the Act, for “Director, Archaeology” substitute “the officer appointed by the Administration of Union territory of Ladakh”.

Throughout the Act, for “Archaeology Department” substitute “the Department entrusted for carrying out the purposes of this Act”.

Section 2.– (i) In clause (3), for “of the Archaeology Department, not below the rank of Deputy Director.” substitute “appointed by the Administration of Union territory of Ladakh.” ; and

(ii) omit clause (5-a).

Section 10. – in sub-section (1), for “Land Acquisition Act” substitute “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013)”.

Section 15. – In sub-section (2), for “one thousand rupees” substitute “ten thousand rupees”.

Section 17. – In sub-section (4), omit “not below the rank of Assistant Director”.

Section 20-A. –	Omit “or in the case of Ladakh District, the Deputy Commissioner of that District”.
Section 20-C. –	For “State Land Acquisition Act No. X of 1990” substitute “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013)”.
Section 22-A. –	For “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

\*\*\*\*\*

#### 4. THE JAMMU AND KASHMIR BRICK KILNS (REGULATION) ACT, 2010 (XVII of 2010)

Throughout the Act, for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Throughout the Act, for “Government”, substitute “Administration”.

Preamble1. –	For “in the State”, substitute “in the Union territory of Ladakh”.
Section 1. –	(i) in sub-section (1), for “Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh” ; and (ii) in sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 2. –	(i) in clause (a), for “State”, substitute “Union territory of Ladakh” ; and (ii) for clause (h), substitute- ‘(h) “Administration” shall mean Administration of the Union territory of Ladakh.’
Section 3. –	In sub-section (2), in the proviso, for “by a notified order”, substitute “by notification in the Official Gazette”.
Section 4. –	In clause (d), for “demarcated forest area of the State under the Jammu and Kashmir Forest Act, 1987”, substitute “forest land of Union territory of Ladakh under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)”.
Section 6. –	(i) in sub-section (1), for “State”, substitute “Union territory of Ladakh” ; and (ii) in sub-section (4), in clause (II), in sub-clause (ii), for “State Pollution Control Board”, substitute “Union territory of Ladakh Pollution Control Committee”.
Section 8. –	In sub-section (2), in clause (f), for “Pollution Control Board”, substitute “Union territory of Ladakh Pollution Control Committee”.
Section 12. –	In the Explanation, for “sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989”, substitute “section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 13. –	For “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 18. –	For “the Hoarding and Profiteering Prevention Ordinance, Samvat 2000 and any other law”, substitute “any law”.
Section 23. –	For “State Ranbir Penal Code”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.
Section 28. –	For “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

**5. THE JAMMU AND KASHMIR CAMPING AND MOORING SITES ACT, 2004**  
**(XII of Samvat 2004)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**6. THE JAMMU AND KASHMIR STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1997**  
**(XII of 1997)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**7. THE JAMMU AND KASHMIR CONTROL OF BUILDING OPERATIONS ACT, 1988**  
**(XV of 1988)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”, and “Official Gazette”, respectively.

Throughout the Act, for “Jammu and Kashmir” or “J&K” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” except in the preamble.

<b>Section 1. –</b>	In sub-section (2), for ‘State of Jammu and Kashmir’ substitute ‘Union territory of Ladakh’.
<b>Section 2. –</b>	(i) In clause (9), in sub-clause (i), omit “, commonly known as “PAND-PAND” in Kashmir Valley” ; (ii) in clause (10), for “Jammu and Kashmir Government” substitute “Administration of Union territory of Ladakh”. ; and (iii) omit clause (13).
<b>Section 3. –</b>	In sub-section (1), omit ‘State’.
<b>Section 4. –</b>	Omit ‘State’.
<b>Section 5. –</b>	In sub-section (3), omit ‘State’.
<b>Section 10. –</b>	For “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” and in sub-clause (a) of clause (ii), for “section 57” substitute “section 42”.
<b>Section 11. –</b>	For “Minister” wherever occurring substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

**8. THE JAMMU AND KASHMIR CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1989**  
**(X of 1989)**

Throughout the Act, for “Government Gazette”, and “the Transfer of Property Act, Samvat, 1997”, wherever occurring, substitute “Official Gazette” and “the Transfer of property Act, 1882” respectively.

Throughout the Act, other than in preamble unless otherwise provided, for “Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.

<b>Preamble —</b>	(i) for “in the State”, occurring at both the places, substitute “in the Union territory of Ladakh”. (ii) omit “in accordance with the directive principles of State policy enunciated in the Constitution of Jammu and Kashmir”.
<b>Section 1. –</b>	(i) In sub-section (1), for “Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”;

	(ii) in sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 2. –	In sub-clause (iii) of clause (f), for “Apex level”, substitute “Apex level of the Union territory of Ladakh”.
Section 3. –	In sub-section (1), for “whole of the State of Jammu and Kashmir”, substitute “whole of the Union territory of Ladakh”.
Section 10. –	In sub-section (1), for “programmes of the State”, substitute “programmes of Union territory of Ladakh”.
Section 16. –	In sub-section (1), in proviso, omit “and every such order shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State legislature.”.
Section 17. –	<p>In sub-section (1), –</p> <p>(i) in clause (a), –</p> <p>(a) in sub-clause (i), for “Jammu and Kashmir Contract Act, Samvat 1977”, substitute “Indian Contract Act, 1872 (21 of 1860) ;</p> <p>(b) omit sub-clause (ii) ; and</p> <p>(ii) in clause (c), for “the Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat 1998”, substitute “the Society Registration Act, 1860.”</p>
Section 35. –	<p>In the proviso to clause (i), –</p> <p>(a) for “State Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”; and</p> <p>(b) omit “subject to the provisions of section 140 of the Transfer of Property Act, Samvat, 1977”.</p>
Section 40. –	For “Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977”, substitute “Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.
Section 60. –	For “Trust Act, Samvat 1977”, substitute “Indian Trust Act 1882” (2 of 1882).
Section 79. –	In sub-section (1), for “the State”, occurring at both the places, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 91. –	In sub-section (1), omit “arising from a” and “under the Aid to Agriculturists and Land Improvement Act, Samvat 1993”.
Section 92. –	In sub-section (2), for “Nothing in the Big landed Estates Abolition Act, Samvat 2007”, substitute “Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force”.
Section 94. –	For “Registration Act, Samvat 1977”, substitute “Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.
Section 107. –	In sub-section (1), for “Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977”, substitute “Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.
Section 111. –	Omit “Notwithstanding anything contained in section 6 of the Jammu and Kashmir Land Alienation Act, Samvat 1995”.
Section 131. –	In sub-section (3), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
Section 132. –	In sub-section (1), for “section 89A”, substitute “section 69A”.
Section 134. –	In marginal head and sub-section (1), for “Jammu and Kashmir Houses and Shop Rent Control Act, 1966”, substitute “the

	Residential and Commercial Tenancy Act, 2012”.
Section 143. –	For “Jammu and Kashmir Land Acquisition Act, Samvat 1990”, substitute “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.
Section 153. –	In clause (c), for “Jammu and Kashmir Ranbir Penal Code”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.
Section 155. –	For “Article 182 of the First Schedule to the Limitation Act, Samvat 1995”, substitute “section 137 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963).
Section 171. –	For “Companies Act, 1956 (01 of 1956)”, substitute “Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.
Section 174. –	In sub-section (1), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
Section 176. –	In sub-section (1), for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

## 9. THE JAMMU AND KASHMIR DEBTORS RELIEF ACT, 1976 (XV of 1976)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Preamble. –	For “in the Jammu and Kashmir State”, substitute “in the Union territory of Ladakh”.
Section 1. –	<p>(i) in sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”; and</p> <p>(ii) in sub-section (3), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.</p>
Section 2. –	<p>(i) In clause (1), –</p> <p>(a) in sub-clause (ii), for “Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1960”, substitute “Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1989”;</p> <p>(b) in sub-clause (ii), omit “or section 140 of the Jammu and Kashmir Transfer of Property Act, 1977”;</p> <p>(c) in sub-clause (v), for “Government of Jammu and Kashmir”, occurring at both the places, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”; and</p> <p>(ii) in Explanation to clause (2), for “Government of Jammu and Kashmir”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”;</p> <p>(iii) in clause (9), for “Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1960”, substitute “Jammu and Kashmir Co-operative Societies Act, 1989”; and</p> <p>(iv) in sub-section (10), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.</p>
Section 3. –	<p>(i) in sub-section (1), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”;</p> <p>(ii) in sub-section (7), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”; and</p>

	(iii) in sub-section (11), for “Limitation Act, Svt. 1995”, substitute “Limitation Act, 1963 (36 of 1963)”.
Section 4. –	Omit proviso.
Section 12. –	For “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
Section 22. –	For “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
Section 30. –	For “Jammu and Kashmir Limitation Act, Svt. 1995”, substitute “Limitation Act, 1963 (36 of 1963)”.
Section 32. –	For “Ranbir Penal Code, Svt. 1989”, substitute “Indian Penal Code (Act 45 of 1860)”.
Section 34. –	(i) Omit “the Revenue Minister or”, occurring at both the places; and (ii) for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

\*\*\*\*\*

**10. THE JAMMU AND KASHMIR DEPUTY MINISTERS' SALARIES AND ALLOWANCES ACT, 1957  
(VI of 1957)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**11. THE JAMMU AND KASHMIR DEPUTY SPEAKER'S AND DEPUTY CHAIRMAN'S (EMOLUMENTS) ACT, 1956  
(XXII of 1956)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**12. THE JAMMU AND KASHMIR DEVELOPMENT ACT, 1970  
(XIX of 1970)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, “Government Gazette” and “State”, substitute “Administration”, “Union territory” and “Advisor to the Lieutenant Governor”, respectively.

Section 2. –	In clause (l), for “section 3 of Land Acquisition Act, 1990”, substitute “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.
Section 8. –	In sub-section (1), for “for each of the zones into which a Local Area may be divided” and “each zone”, substitute “for such zones which are declared as development areas under section 13” and “each such zone”, respectively.
Section 11. –	For “after the Master Plan and”, substitute “after the Master Plan or”.

Insertion of new section -

**Permitted land use and levy of land use charges.**

After section 11, insert –

**“11A. (1) Upon coming into operation of the Master Plan or the Zonal Development Plan, the land use permitted in the area covered thereunder shall only be as provided in terms**

of such Master Plan or Zonal Development Plan:

Provided that the provisions of any law for the time being in force in the Union territory of Ladakh requiring any permission to change the usage of any land shall not be applicable to any area so covered.

(2) The Administration of the Union territory of Ladakh may, by notification in the Official Gazette, notify a scheme for levy of charges for use of land as permitted in the Master Plan or the Zonal Development Plan, the proceeds of which shall form part of the fund of the Authority and may be used to meet the expenses incurred for acquisition of land required in terms of section 50.”.

For section 13, substitute —

**Declaration of development areas and permission for development, etc.**

“13 (1) After a notice approving the date of operation of the plan is published under section 11, the Authority may, with prior permission of the Ladakh Administration and by notification in the Official Gazette, declare any zone or part thereof as a development area for the purposes of this Act.

(2) Notwithstanding anything to the contrary in any law for the time being in force, consequent upon such notification, no person, including a Department of the Union territory of Ladakh, shall undertake or carry out development of any land or building in the zone or part thereof, as the case may be, unless permission for such development has been obtained in writing from the Authority in accordance with the provisions of this Act:

Provided that the development of any land commenced by a Department of the Administration of Union territory of Ladakh or any local authority before the 31<sup>st</sup> day of October, 2019 may be completed by that Department or local authority.

(3) No person or entity, whether private or public, including a Department of the Administration of the Union territory of Ladakh or any authority, shall undertake the implementation of any street or layout plan, in any form whatsoever, in any local area outside municipal limits, without prior written permission of the Authority:

Provided that for the purposes of such permission, the Authority shall follow the procedure laid down in the Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000 (XX of 2000):

Provided further that the restriction under this sub-section shall not apply to any development undertaken as part of a town planning scheme implemented under the provisions of the Jammu and Kashmir Town Planning Act, 1963 (XX of 1963)”.

Section 15.—

For “a plan in a zone”, substitute “Master Plan or a Zonal Development Plan in a zone”.

Section 16.—

In sub-section (1), for “Land Acquisition Act, Samvat 1990”, substitute “Right to Fair Compensation and

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.

Section 21. – In sub-section (4), omit “and Government shall cause a copy of the same to be laid before both Houses of the Legislature”.

Section 22. – In subsection (2), for “Provident Funds Act, Svt. 1998”, substitute “The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952)”.

Section 24. – (i) in sub-section (1), for “Rs. 5,000/-” and “Rs. 200/-”, substitute “Rs. 50,000/-” and “Rs. 2,000/-“, respectively; (ii) in sub-section (2), for “Rs. Three thousand rupees” and one hundred and fifty rupees“, substitute “Rs. 30,000/-” and “Rs. 1500/-”, respectively; (iii) in sub-section (3), for “one thousand rupees”, substitute “ten thousand rupees”.

Section 26. – In sub-section (4), for “two hundred rupees”, substitute “two thousand rupees”.

Section 31. – Omit “on terms and conditions agreed upon between the Authority and that local authority or the department, as the case may be”.

Section 34. – (i) in sub-section (2), for “Code of Civil Procedure, Svt. 1977”, substitute “Code of Civil Procedure., 1908 (5 of 1908)”; and (ii) in sub-section (6), for “Arbitration Act, Svt. 2002”, substitute “Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).

Section 43. – For “Ranbir Penal Code”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

Section 45. – For “section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 49. – In clause (c), for “Jammu and Kashmir State Canal and Drainage Act, Svt. 1963”, substitute “Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010”.

\*\*\*\*\*

### 13. THE EGRESS AND INTERNAL MOVEMENT (CONTROL) ORDINANCE, 2005

(Ord. V of Samvat 2005)

Throughout the Ordinance, unless otherwise provided, for ‘Government’, ‘State’ and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, ‘Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’, respectively.

Section 3-C.— For “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 5. – In sub-section (2), for “section 61 of the Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2

of 1974”.

Section 8. – In sub-section (1), for “Code of Criminal Procedure, 1989” and “section 30” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” and “section 29”, respectively.

Section 9. – In sub-section (2), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 10. – For “Code of Criminal Procedure, 1989” occurring at two places substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 12. – In sub-section (2), for “section 439 of the Code of Criminal Procedure, 1989 and “section 439 refers” substitute “section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and “section 401 refers” (2 of 1974)”.

Section 15. – For “Evidence Act, 1977” substitute “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”.

Section 16. – In sub-section (4), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 17. – For “Code of Criminal Procedure, 1989” occurring at both the places substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 18. – In sub-section (1), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 19. – In sub-section (1), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

\*\*\*\*\*

**14. THE JAMMU AND KASHMIR EXCISE ACT, SAMVAT 1958 (1901 A.D.)**  
**(State Council Resolution No. 9 of 1901)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government” substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Preamble. – For “Jammu and Kashmir State” occurring at both the places, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 1. – in sub-section (2), for “territories of the State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 3. – In section 3, –  
 (i) in clause (3), for “Government Gazette”, substitute, “Official Gazette” ;  
 (ii) in clauses (11), (12) and (13), for “State territory”, substitute “Union territory of Ladakh” ; and  
 (iii) in clause (18), for “State Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”.

Section 3A. – For “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Section 4. – In sub-section (2), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Section 5. – For “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 6. – For “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 7. – For “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Section 8. – For “State”, substitute “Union territory of Ladakh”

Section 11. –	In the second proviso, for the “territories of the State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 11A. –	In sub-section (2), for “State Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.
Section 12A. –	In clause (i) of the proviso, — (a) for “Jammu and Kashmir”, substitute “in the Union territory of Ladakh” ; and (b) for “at Jammu or Srinagar”, substitute “in the Union territory of Ladakh”.
Section 14A. –	For “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 16. –	For “in the territories of the State or imported into or exported from the State”, substitute “in the Union territory of Ladakh or imported into or exported from the Union territory”.
Section 16A. –	For “State” and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively.
Section 17 and 24.	For “State”, wherever occurring, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 32. –	(i) For “Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”; and (ii) omit the proviso.
Section 34. –	For “State”, occurring at both the places, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 38. –	For “Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 39. –	For “Chapter XXX of the Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Chapter XXXIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 56B. –	In sub-section (2), for “Schedule II of the Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Schedule I of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 61. –	(i) in sub-section (1), for the “Ranbir Penal Code”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”; and (ii) in sub-section (2), for “Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 62. –	For “Jammu and Kashmir Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.
Section 64. –	For “Jammu and Kashmir Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

#### **15. THE JAMMU AND KASHMIR EXTRACTION OF RESIN ACT, 1988 (IX of 1988)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

#### **16. THE JAMMU AND KASHMIR FERRY BOATS CONTROL ACT, 1971 (XVIII of 1971)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**17. THE JAMMU AND KASHMIR FISHERIES ACT, 2018**  
**(XVI of 2018)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, ‘Jammu and Kashmir’ and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, ‘Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’, respectively.

Preamble.—	For “in the State” substitute “in the Union territory of Ladakh”.
Section 2. —	(i) After clause (a), insert – ‘(aa) “Administration” means the Administration of Union territory of Ladakh’ ; and (ii) omit clause (g).
Section 12. —	In sub-section (3), for “Limitation Act, Svt. 1995” substitute “Limitation Act, 1963 (36 of 1963)”.
Section 17. —	For “Code of Criminal Procedure, Svt. 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 18. —	(i) In sub-section (1), for “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” ; and (ii) in sub-section (3), for “section 403 of the Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989” substitute “section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 19. —	For the “State Government” substitute “Administration”.
Section 21. —	For “Ranbir Penal Code, Svt. 1989” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.
Section 22. —	Omit sub-section (2).
Section 27. —	In sub-section (2), for “State territories” occurring at both the places substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 28. —	For “Code of Criminal Procedure” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

\*\*\*\*\*

**18. THE JAMMU AND KASHMIR STATE FOREST CORPORATION ACT, 1978.**  
**(XII of 1978)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**19. THE JAMMU AND KASHMIR GOLF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT AUTHORITY ACT, 2013**  
**(VII of 2013)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**20. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT GAZETTE ACT, SVT. 1945 (1888 A.D.)  
(XII of Svt. 1945)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, ‘State’, ‘Jammu and Kashmir’ and ‘Government Gazette, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, ‘Union territory of Ladakh’, ‘Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’, respectively.

**Section 10. –** Insert, –

“Explanation. — Publication in Official Gazette shall mean online publication on the official website of the Administration of Union territory of Ladakh.”.

\*\*\*\*\*

**21. THE JAMMU AND KASHMIR HANDICRAFTS (QUALITY CONTROL) ACT, 1978  
(IV of 1978)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**22. THE JAMMU AND KASHMIR HIGHWAYS ACT, 2007  
(XXVII of Samvat 2007)**

Throughout the Act, for “Government roads”, “Government road” and “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh roads”, ‘Union territory of Ladakh road’ and ‘Union territory of Ladakh”, respectively.

Throughout the Act, other than in the preamble, for “Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

**23. THE JAMMU AND KASHMIR HOUSING BOARD ACT, 1976  
(VII of 1976)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**24. THE JAMMU AND KASHMIR INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS (NATIONAL AND FESTIVAL) HOLIDAYS ACT, 1974  
(XIII of 1974)**

Throughout the Act, for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Throughout the Act, other than in clause (c) of sub-section (1) of section 10, for “Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Preamble. –	For “in the State”, substitute “in the Union territory of Ladakh”.
Section 1. –	In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 2. –	In clause (a), for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 3. –	Omit sub-section (2).
Section 6. –	In sub-section (2), for “Ranbir Penal Code, 1989”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.
Section 8. –	For “twenty-five rupees” and “two hundred and fifty rupees”, substitute “two thousand and five hundred rupees” and “twenty-five thousand

rupees”, respectively.

Section 9. – For “five hundred rupees”, substitute “five thousand rupees”.

**25. THE JAMMU AND KASHMIR KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ACT, 1965**  
**(XVI of 1965)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**26. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S EMOLUMENTS ACT, 1956**  
**(IV of 1956)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**27. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN'S (EMOLUMENTS) ACT, 1962**  
**(XXVIII of 1962)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**28. THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE MEMBERS' PENSION ACT, 1984**  
**(II of 1984)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**29. THE JAMMU AND KASHMIR LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1962**  
**(XVI of 1962)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**30. THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) ACT, 1960**  
**(XXXVII of 1960)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**31. THE JAMMU AND KASHMIR METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITIES ACT, 2018.**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**32. THE JAMMU AND KASHMIR MINISTERS AND MINISTERS OF STATE SALARIES ACT, 1956**  
**(VI of 1956)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**33. THE JAMMU AND KASHMIR MINISTERS AND PRESIDING OFFICERS MEDICAL FACILITIES ACT, 1975**

## (XXII of 1975)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**34. THE JAMMU AND KASHMIR MONEY LENDERS AND ACCREDITED LOAN PROVIDERS ACT, 2010  
(XXIII of 2010)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for the words “Government”, substitute “Administration”.

Preamble. –	For “State of Jammu and Kashmir”, occurring at both the places, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 1. –	(i) in sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”; and  (ii) in sub-section (3), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.
Section 2. –	(i) In clause (4), for “Jammu and Kashmir Co-operative Societies Registration Act, 1989”, substitute “Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)”;  (ii) for clause (5) substitute-  ‘(5) “Administration” means Administration of Union territory of Ladakh.’;  (iii) in clause (8),-  (a) in sub-clause (i), omit “or the State Legislature”;  (b) in sub-clause (n), for “Jammu and Kashmir Societies Registration Act, Samvat 1998”, substitute “Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)”;  (iv) in clause (9), for “Jammu and Kashmir Legal Services Authority Act, 1997”, substitute “Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987)”.
Section 3. –	For “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.
Section 8. –	in sub-section (2), for “Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 10. –	(i) in sub-section (5), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”;  (ii) in sub-section (6), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
Section 26. –	For “State Ranbir Penal Code”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.
Section 28. –	(i) In sub-section (1), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”; and  (ii) omit sub-section (3)
Section 29. –	For “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.
Section 30. –	Omit

\*\*\*\*\*

**35. THE JAMMU AND KASHMIR MOTOR SPIRIT AND DIESEL OIL (TAXATION OF SALES) ACT, 2005**

## (V of 2005)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government” substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Section 2. –	In clause (hh), for “Appellate Tribunal constituted under section 21 A of the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962”, substitute “Tribunal or authority designated by the Administration of Union territory of Ladakh”.
Section 3. –	(i) For “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”; and (ii) omit the second proviso.
Section 3A. –	In sub-section (1), for “State” and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” and “Official Gazette” respectively.
Section 7. –	In the proviso to sub-section (5), for “into the Government Treasury”, substitute “to such authority as may be prescribed by the Administration of Union territory of Ladakh”.
Section 10. –	In sub-section (1), for “Government Gazette”, substitute, “Official Gazette”.
Section 11. –	For “Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 12. –	For “Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 13. –	For “section 61 of the Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “section 57 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 15. –	For “Code of Criminal Procedure, 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
Section 20. –	For “Minister-in-charge”, substitute “Advisor to the Lieutenant Governor”.
Section 22B. –	Omit sub-section (3).
Section 22C. –	For “Limitation Act, Samvat, 1995”, substitute “Limitation Act, 1963 (36 of 1963)”.
Section 22D. –	For “the same powers as are exercisable by it under the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962”, substitute “all the powers of a civil court for the purposes of – (a) proof of facts by affidavit ; (b) summoning and enforcing and attendance of any person and examining him on oath or affirmation ; (c) compelling the production of documents ; and (d) issuing commissions for the examination of witnesses.”.
Section 22E. –	Omit.

\*\*\*\*\*

**36. THE JAMMU AND KASHMIR MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1957 (XXVI of 1957)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government” substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Preamble. –	For “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 1. –	<p>(i) in sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territories of Ladakh”; and</p> <p>(ii) in sub-section (3), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.</p>
Section 2. –	In clauses (i), (vi), (vii) and (viii), for “Jammu and Kashmir Motor Vehicle Act, Samvat, 1998”, substitute “Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
Section 3. –	<p>(i) in sub-section (1), for “Government Gazette” and “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Official Gazette” and “Union territory of Ladakh”; and</p> <p>(ii) in sub-section (2), omit the proviso.</p>
Section 4. –	<p>(i) in sub-section (1), –</p> <p>(a) in clause (c), omit “(not exceeding the maximum specified in the Schedule II)”; and</p> <p>(b) in clause (c), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”; and</p> <p>(c) in clause (d), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute, “Union territory of Ladakh”; and</p> <p>(ii) in sub-section (3), –</p> <p>(a) in sub-clause (i) of clause (a), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”; and</p> <p>(b) in sub-clause (ii) of clause (a), for “Jammu and Kashmir Motor Vehicle Act, Samvat, 1998”, substitute “Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); and</p> <p>(c) in clause (b), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”</p>
Section 9. –	For “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.
Schedule -	Omit Schedule I and Schedule II to the Act.

\*\*\*\*\*

**37. THE JAMMU AND KASHMIR MUNICIPAL CORPORATION ACT, 2000**  
**(XXI of 2000)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**38. THE JAMMU AND KASHMIR MUSLIM MARRIAGES REGISTRATION ACT, 1981**  
**(XXII of 1981)**

Section 1. –	<p>(i) in sub-section (2), for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”; and</p> <p>(ii) in sub-section (3), for “Government Gazette” and “State”, substitute “Official Gazette” and “Union territory of Ladakh”.</p>
Section 2. –	In clauses (b) and (c), for “Registration Act, Samvat 1977”, substitute “Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.

Section 6. – For “Evidence Act, 1977”, substitute “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”.

\*\*\*\*\*

**39. THE JAMMU AND KASHMIR NATURAL CALAMITIES DESTROYED AREAS IMPROVEMENT ACT, 2011  
(XXXVIII of 2011)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, “Government Gazette” and “State”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”, “Official Gazette” and “Union territory” respectively.

Section 1. – In sub-section (1), for “Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory”.

Section 2. – In clause (a), for “Jammu and Kashmir Municipal Act, 1988”, substitute “Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000”.

Section 4. – In clause (o), for “Jammu and Kashmir Municipal Act, 1998, the Town Area Act, 1997 and the Jammu and Kashmir Village Panchayat Act, 2008”, substitute “Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000 and the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989”.

Section 7. – For “Minister-in Charge Rehabilitation Department”, occurring in two places and “Minister”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Section 9. – (i) In the marginal heading, for “sections 4 and 6 of the Land Acquisition Act, 1990”, substitute “sections 11 and 19 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”; and  
(ii) for “Land Acquisition Act, Svt. 1990” and “sections 4 and 6”, substitute “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)” and “sections 11 and 19”, respectively.

Section 10. – (i) In the marginal heading, for “Sections 15, 23 and 24 of the Land Acquisition Act, 1990”, substitute “Sections 15, 23 and 24 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”; and  
(ii) for “sections 15, 23 and 24 of the Land Acquisition Act, Svt. 1990”, substitute “sections 26, 27 and 28 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.

Section 12. – Omit.

\*\*\*\*\*

**40. THE JAMMU AND KASHMIR NON-BIODEGRADABLE MATERIAL (MANAGEMENT, HANDLING AND DISPOSAL) ACT, SVT. 2007  
(XII of 2007)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act, for ‘Jammu and Kashmir’ substitute ‘Union territory of Ladakh’ except in the preamble.

Throughout the Act, including Preamble unless otherwise provided, for ‘State’ substitute ‘Union territory of Ladakh’.

**Section 1. –** In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Ladakh”

**Section 2. –** (i) After clause (a), insert –

‘(ab) “Administration” means Administration of Union territory of Ladakh.’ ; and

(ii) omit clause (c).

**Section 6. –** In sub-section (4), for “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” and for “section 98” substitute section 94”.

**Section 9. –** In sub-section (1), for “clause (iv)”, substitute “(iv) damage the lakes, rivers or wetland or other water channel, water-course or water source as defined in the Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010”.

**Section 10. –** (i) In sub-section (1), for “Rs. 5000” substitute “Rs. 50,000”; and

(ii) in sub-section (2), for “may extend up to Rs.10,000” substitute “not less than Rs.10,000”.

**Section 12. –** For “sections 260 to 265 of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989”, substitute “sections 260, 262 to 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

**Section 13. –** In sub-section (3), for “remitted in the Government Treasury” substitute “remitted in a manner as prescribed by the Administration”

\*\*\*\*\*

#### **41. THE JAMMU AND KASHMIR PARAMEDICAL COUNCIL ACT, 2014 (VII of 2014)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “State Register” or “state register”, substitute “Medical Register”.

Throughout the Act, for ‘Jammu and Kashmir’ substitute ‘Union territory of Ladakh’, unless otherwise provided, except in the preamble and section 55.

Throughout the Act, for “State” substitute ‘Union territory of Ladakh’, unless otherwise provided, except in the preamble.

**Section 2. –** (i) After clause (a), insert —

‘(aa) “Administration” means the Administration of Union territory of Ladakh’ ;

(ii) omit clause (c);

(iii) in clause (d), –

(a) in sub-clause (ii), for “clause (d) of section 2 of the Jammu and Kashmir Homeopathic Practitioners Act, 2003 (Act No. VIII of 2003)” substitute “clause (d) of section 2 of the Homeopathic Central Council Act, 1973 (59 of 1973)”;

(b) in sub-clause (iii), for “clauses (2) and (3) respectively of section 2 of the Jammu and Kashmir Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1959 (Act No. XXVI of 1959)” substitute “provisions of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970)” ; and

(iv) omit clause (q).

Section 4. – For sub-section (1), substitute —  
“(1) The Council shall consist of members appointed by the Administration”.

Section 5. – Omit clause (a).

Section 31. – In sub-section (3), for “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 32. – In sub-section (4), for “State Ranbir Penal Code” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

Section 38. – In sub-section (3), for “Evidence Act, Samvat 1977” substitute “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”.

Section 42. – For “Evidence Act, Samvat 1977”, “the Public Services (Inquiries) Act, Svt. 1977” occurring at both the places and “Code of Civil Procedure, Samvat 1977” substitute respectively “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”, “the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850)” and “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

\*\*\*\*\*

#### **42. THE JAMMU AND KASHMIR PASSENGERS TAXATION ACT, 1963 (XII of 1963)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government” substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Section 1. – in sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 2. – In clause (hhh), for “Appellate Tribunal constituted under section 21A of the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962”, substitute “Tribunal or authority designated by the Administration of Union territory of Ladakh”.

Section 3. – in sub-section (1), omit “subject to a maximum of two Naya Paise in any one case, the amount of tax being calculated to the nearest Naya Paise”.

Section 9. – in sub-section (1), for “of Twenty-five rupees”, substitute “as may be prescribed by the Administration of Union territory of Ladakh”.

Section 12. – in sub-section (5), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”

Section 16. – (i) in sub-section (1), for the words “Deputy Sales Tax Commissioner (Adm.)”, occurring at both the places, substitute

	“Deputy Commissioner”; and
	(ii) omit sub-section (2).
Section 16B. –	For “Limitation Act Samvat 1995”, substitute “Limitation Act, 1963 (36 of 1963)”.
Section 16C. –	For “the same powers as are exercisable by it under the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act, 1962”, substitute “all the powers of a civil court for the purposes of –
	(a) proof of facts by affidavit ;
	(b) summoning and enforcing and attendance of any person and examining him on oath or affirmation ;
	(c) compelling the production of documents ; and
	(d) issuing commissions for the examination of witnesses.”.
Section 16D. –	Omit.
Section 17. –	Omit sub-section (3).
Section 19A. –	In the third proviso, for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

**43. THE PLYBOARD INDUSTRIES (ACQUISITION OF SHARES AND OF THE INDUSTRIAL UNDERTAKINGS) ACT, 1987  
(VI of 1987)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**44. THE JAMMU AND KASHMIR PRESERVATION OF SPECIFIED TREES ACT, 1969  
(V of 1969)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**45. PREVENTION OF RIBBON DEVELOPMENT ACT, 2007  
(XXVI of 2007)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for the words “Government”, “State” and “Jammu and Kashmir State” other than in the words “Central Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”, and “Union territory of Ladakh” respectively.

Section 3. –	For “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.
Section 6. –	For “Minister-in-charge Public Works Department”, substitute “Ladakh Administration”.

\*\*\*\*\*

**46. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION ON MANUFACTURE OF SPECIFIED COPPER UTENSILS (BY MACHINE) ACT, 2006  
(XIII of 2006)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**47. THE JAMMU AND KASHMIR STATE PROHIBITION OF SMOKING (CINEMA AND THEATRE HALLS) ACT, SVT. 2009  
(XVIII of 2009)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**48. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION OF SMOKING AND NON-SMOKERS HEALTH PROTECTION IN PUBLIC SERVICE VEHICLES ACT, 1997 (XX of 1997)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**49. THE JAMMU AND KASHMIR PROPERTY RIGHTS TO SLUM DWELLERS ACT, (XI of 2012)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**50. THE JAMMU AND KASHMIR PROPERTY TAX BOARD ACT, 2013  
(XI of 2013)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**51. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UN-AUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 1988  
(XVII of 1988)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act, for ‘Jammu and Kashmir’ substitute ‘Union territory of Ladakh’ except in the preamble and section 34.

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘State’ substitute ‘Union territory of Ladakh’ except in the preamble.

**Section 1. –** In sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 2. –** In clause (d), –

(i) in sub-clause 2(i), for ‘Companies Act, 1956’ substitute ‘Companies Act, 2013’ ;

(ii) in sub-clause 2(ii), for ‘Companies Act, 1956’ substitute ‘Companies Act, 2013’ and for “a State or Central” substitute ‘any’; and

(iii) in sub-clause 2(ii), omit ‘State’.

**Section 11. –** For “Code of Civil Procedure Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

**Section 14. –** In sub-section (1), for ‘five thousand rupees’ substitute ‘fifty thousand rupees’.

**Section 15.**— For ‘Code of Criminal Procedure Samvat 1989’, substitute ‘Code of Criminal Procedure, 1973 (20 of 1974)’.

**Section 23.**— Omit sub-section (3).

\*\*\*\*\*

## 52. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC SAFETY ACT, 1978

(VI of 1978)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act including Preamble, unless otherwise provided, for ‘State’, substitute ‘Union territory of Ladakh’.

Preamble. — For “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 1.**— (i) In sub-section (1), for “Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh” ; and  
(ii) in sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 2.**— In sub-section (1), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

**Section 8.**— In sub-section (3),—  
(a) in clause (b), in sub-clause (iii), for “Ranbir Penal Code” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)” ; and  
(b) in clause (c), for “Forest Act, Samvat 1987” substitute “the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927)”.

**Section 10.**— Omit the proviso.

**Section 12.**— In clause (a), for “sections 87, 88 and 89” substitute “sections 82, 83, 84 and 85”

**Section 14.**— (i) In sub-section (1), insert –  
“Provided that the Administration of Union territory of Ladakh may, if it deems fit, by order, designate any such authority in the adjoining State or Union territory as the Advisory Board for the purposes under this Act.” ;  
(ii) in sub-section (3),—  
(a) omit “in consultation with the Chief Justice of the High Court” ; and  
(b) insert — “Provided that no sitting Judge of the High Court or sitting District and Sessions Judge shall be appointed as Chairman or member of the Board except in consultation with the Chief justice of the High Court.”.

**Section 19.**— For “General Clauses Act, Samvat 1977” substitute “General Clauses Act, 1897 (10 of 1897)”.

\*\*\*\*\*

## 53. THE JAMMU AND KASHMIR REGISTRATION OF CONTRACTORS ACT, 1956

(XVI of 1956)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’, and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act, for ‘Jammu and Kashmir’ and ‘State’ substitute ‘Union territory of Ladakh’ except in the preamble.

**Section 5.**— (i) in sub-section (2), for “Minister-in-Charge of the Department” substitute “Administration of Union territory of Ladakh” ; and  
(ii) omit sub-section (3).

**Section 7.**— For “Rs. 30” substitute “Rs. 100”.

**Section 8.**— For “Stamp Act, 1977” substitute “Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)”.

\*\*\*\*\*

**54. THE JAMMU AND KASHMIR, REGISTRATION OF TOURIST TRADE ACT, 1978  
(IX of 1978)**

Throughout the Act, for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Throughout the Act, other than in section 24, for “Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Throughout the Act, for “Ranbir Penal Code, Samvat 1989”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

Section 1. — In sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 2. — (i) in clause (g), in Explanation 1, for “Jammu and Kashmir”, substitute ‘Union territory of Ladakh’.  
(ii) in clause (o), for “State” occurring at both the places, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 27. — For “Minister-in-Charge”, occurring at both the places, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Section 28. — In sub-section (2), for “Code of Criminal Procedure Svt 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 34. — For “Code of Criminal Procedure Samvat 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 35. — For “Evidence Act Samvat 1977”, substitute “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”

Section 37. — For “Code of Civil Procedure Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

\*\*\*\*\*

**55. THE JAMMU AND KASHMIR (RESIDENTIAL AND COMMERCIAL TENANCY) ACT, 2012  
(V of 2012)**

(i) In sub-section (2), —

Section 1. — (a) for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”;  
(b) in the proviso for “Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively; and  
(ii) in sub-section (3), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Section 2. — (i) In clause (b), for “Special Tribunal established under the Jammu and Kashmir Special Tribunal Act, 1988”, substitute “tribunal or authority notified by the Ladakh Administration” ;

(ii) for clause (e), substitute—

‘(e) “Administration” means Administration of Union territory of Ladakh.’;

(iii) in clause (h), omit “a Municipal Corporation or”;

(iv) in clauses (i) and (k), for “Government”, substitute “Administration”;

(v) in clause (l), for “Government Hospital”, substitute “Hospital owned or run by Administration” ; and

(vi) in clause (u), omit “Municipal Corporation,” .

Section 3. –

(i) In clause (a), for “State Government” and “government”, substitute “Union territory of Ladakh” and “Administration”;

(ii) in clause (e), for “Government”, substitute “Administration”; and

(iii) in clause (f), for “Jammu and Kashmir Wakfs Act, 2001” and “Trust Act, Samvat 1977”, substitute “Wakf Act, 1995” and “Indian Trust Act, 1882”, respectively.

Section 14. –

In sub-section (4), for “Government”, substitute “Administration”.

Section 29. –

(i) For “Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration” and “Official Gazette” ; and

(ii) in the proviso, omit clause (i).

Section 30. –

(i) For “Transfer of Property Act, Samvat 1977”, substitute “Transfer of Property Act, 1882”;

(ii) in the proviso,—

(a) for “Transfer of Property Act, Samvat 1977” occurring at both the places, substitute “Transfer of Property Act, 1882”; and

(b) for “Contract Act, Samvat 1977”, substitute “Indian Contract Act, 1872”.

Section 31. –

In sub-section (1), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

Section 32. –

(i) in sub-section (1), for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)” ; and

(ii) in sub-section (2), for “Ranbir Penal Code” and “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989”, substitute Indian Penal Code (45 of 1860)” and “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)” respectively.

(iii) in sub-section (6), for “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989”, substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 37. –

(i) In the marginal heading, omit “consolidated fund of the State”; and

(ii) for “consolidated fund of the State”, substitute “such authority as may be prescribed by the Administration”.

Section 40. –

For “Government”, occurring at both the places, substitute “Administration”.

Section 41. –

For “Government”, substitute “Administration”.

\*\*\*\*\*

**56. SALARIES AND ALLOWANCES OF THE MEMBERS OF JAMMU AND KASHMIR STATE  
LEGISLATURE ACT, 1960  
(XIX of 1960)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**57. SALARIES AND ALLOWANCES OF LEADER OF OPPOSITION IN THE STATE  
LEGISLATURE ACT, 1985  
(XVI of 1985)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**58. THE JAMMU AND KASHMIR SELF-RELIANT COOPERATIVES ACT, 1999 (X of 1999)**

Throughout the Act, for “Government Gazette” and “Government” substitute “Official Gazette” and “Administration of Union territory of Ladakh”, respectively.

Throughout the Act, for “Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 1. – In sub-section (2), for “State Of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 2. – (i) in clause (23), for “a permanent resident of the State as defined in section 6 of the Constitution of the Jammu and Kashmir”, substitute “any person”;

(ii) in clause (27), for “permanent resident of the State”, substitute “any person”; and

(iii) in clause 30, omit “whose members are permanent residents of the State.”.

Section 3. – In sub-section (1), omit “comprise of permanent residents of the State and”.

Section 16. – (i) In clause (a), –

(a) in sub-clause (i), for “Jammu and Kashmir Contract Act, Samvat 1977”, substitute “Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872); and

(b) omit sub-clause (ii);

(ii) in clause (c), for “Jammu and Kashmir Society Registration Act, Samvat 1998”, substitute “Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860)”.

Section 59. – For “Jammu and Kashmir Registration Act, Samvat 1977”, substitute “Registration Act, 1908 (16 of 1908)”.

\*\*\*\*\*

**59. THE JAMMU AND KASHMIR SINGLE WINDOW (INDUSTRIAL INVESTMENT AND  
BUSINESS FACILITATION) ACT, 2018.**

**(X of 2018)**

Throughout the Act, except in sub-sections (14) and (17) of section 2 or as otherwise provided, for “Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”.

Throughout the Act, except as otherwise provided, for “Government Gazette” and “Jammu and Kashmir” and “State”, respectively, substitute “Official Gazette”, “Union territory of Ladakh”, “Union territory”.

<b>Preamble.—</b>	For “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.
<b>Section 2. –</b>	<p>(i) After clause (1), insert —</p> <p>‘(ab) “Administration” means the Administration of Union territory of Ladakh ;”</p> <p>(ii) omit clause (16);</p> <p>(iii) omit clause (23); and</p> <p>(iv) after clause (25), insert –</p> <p>“(25a) “Union territory” means the Union territory of Ladakh”.</p>
<b>Section 3. –</b>	<p>(i) For sub-section (1) substitute –</p> <p>“(1) The Administration may constitute a District Level Single Window Clearance Committee for each district by notification in the Official Gazette.”;</p>
<b>Section 4. –</b>	<p>For sub-section (1) substitute –</p> <p>“(1) The Administration may constitute a Divisional Level Single Window Clearance Committee by notification in the Official Gazette.”.</p>
<b>Section 5. –</b>	In sub-section (1), for “Chief Secretary”, “Chairman, Pollution Control Board” and “Director, Industries and Commerce, concerned Member” substitute “Advisor” and “Chairman, Pollution Control Committee” and “Director, Industries and Commerce, Member-Secretary”, respectively, and omit “9. Managing Director, J&K, SIDCO Member-Secretary”.
<b>Section 6. –</b>	For “Kashmir/Jammu” substitute “Union territory of Ladakh”.
<b>Section 8. –</b>	In sub-section (2), for “State Acts” substitute “State Acts, as adapted for application in Union territory of Ladakh”.
<b>Section 9. –</b>	For “State Government” substitute “Union territory of Ladakh”.
<b>Section 26. –</b>	<p>(i) Omit sub-sections (3) ; and</p> <p>(ii) in sub-section (4), for “so made by the State Legislature” substitute “in the rules”.</p>
<b>Section 27. –</b>	Omit sub-section (2).

\*\*\*\*\*

## 60. THE JAMMU AND KASHMIR STATE ROAD SAFETY COUNCIL ACT, 2018

**(V of 2018)**

Throughout the Act, for “Government Gazette” and “State Road Safety Council”, substitute “Official Gazette” and “Union territory of Ladakh Road Safety Council”.

Throughout the Act, other than in clause (iii) of sub-section (2) of section 4, for “Government”, substitute “Administration”.

Throughout the Act, for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Throughout the Act, other than in section 37, for “Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 2. –	In sub-section (2), – (a) for clause (i) substitute– (i) “Administration” shall mean Administration of the Union territory of Ladakh.’ ; and (b) in clause (k), omit “and the Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act, 2000 as the case may be”.
Section 3. –	In sub-section (1), for “Chairman, who shall be Incharge Minister of Transport Department, Chief Secretary of the State as Vice-Chairman and such other members”, substitute “such members”.
Section 4. –	In clause (ii) of sub-section (3), for “State Government”, substitute “Administration”.
Section 10. –	In sub-section (1), for “Jammu and Kashmir Road Safety Fund”, substitute “Union territory of Ladakh Road Safety Fund”.
Section 22. –	Omit sub-section (2).
Section 23. –	(i) In sub-section (3), omit “and the Government shall lay the same before the State Legislature”;
Section 29. –	(ii) for “Ranbir Penal Code, Samvat 1989”, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.
Section 34. –	Omit sub-section (3).

\*\*\*\*\*

**61. THE SAPPHIRE ACT, SVT. 1989  
(XVI of 1989)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**62. THE JAMMU AND KASHMIR STATE SHEEP AND SHEEP PRODUCTS DEVELOPMENT BOARD ACT, 1979  
(IX of 1979)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**63. THE JAMMU AND KASHMIR SPECIAL TRIBUNAL ACT, 1988  
(XIX of 1988)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**64. THE JAMMU AND KASHMIR STATE TOWN PLANNING ACT, 1963  
(XX of 1963)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, “Government Gazette”, “State”, and “Minister”, substitute “Administration”, “Official Gazette”, “Union territory” and “Advisor to the Lieutenant Governor”, respectively.

Section 2. –	For clause (b), substitute – (b) “Administration” means Administration of the Union territory of Ladakh.’;
Section 3. –	In clause (o), for “Jammu and Kashmir Municipal Act, Svt. 2008’ or the Jammu and Kashmir Town Area Act, Svt. 2011”, substitute “Jammu and Kashmir Municipal Act, 2000”.
Section 18. –	In sub-section (6), for “Jammu and Kashmir Arbitration Act, Svt. 2002”, substitute “Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)”.
Section 26 . –	For “State Land Acquisition Act, Svt. 1990”, substitute “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.
Section 27. –	(i) In the marginal heading, for “sections 4 and 6 of Land Acquisition Act, 1990”, substitute “sections 11 and 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)” ; (ii) for “ sections 4 and 6 of State Land Acquisition Act, Svt. 1990”, occurring at both the places, substitute “sections 11 and 19 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.
Section 28. –	(i) In the marginal heading, for “sections 15, 23 and 24 of the Land Acquisition Act, 1990”, substitute “sections 26, 27 and 28 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)” ; and (ii) in sub-section (1), for “sections 15, 23 and 24 of the State Land Acquisition Act, Svt. 1990” substitute “sections 26, 27 and 28 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.

**65. THE JAMMU AND KASHMIR TREASURE TROVE ACT, SVT. 1954**  
**(Council Resolution No. 37 of 1897)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**66. THE JAMMU AND KASHMIR URBAN PROPERTY (CEILING) ACT, 1971 (XII of 1971)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**67. THE JAMMU AND KASHMIR WILLOW (PROHIBITION ON EXPORT AND MOVEMENT) ACT, 2000 (XVI of 2000)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**68. THE JAMMU AND KASHMIR SCHOOL EDUCATION ACT, 2002**  
**(XXI of 2002)**

Throughout the Act, except as otherwise provided, for “Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration” and “Official Gazette”, respectively.

Throughout the Act, except in preamble or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively.

**Section 1. –** In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Ladakh”.

**Section 2. –** (i) After clause (a), insert, –

‘(aa) “Administration” means the Administration of the Union territory of Ladakh’;

(ii) omit clause (c);

(iii) in clause (e), for “District Education Officer” substitute “Chief Education Officer”;

(iv) omit clause (h); and

(v) for clause (o), substitute –

‘(o) “Union territory” means the Union territory of Ladakh’.

**Sections 6,7,8,9 and 10. – Omit.**

**Insertion of new section – After section 20, insert. –**

**Constitution of Fee Fixation and Regulation Committee of Private School.** “20A. (1) The Administration shall constitute a Committee to be known as the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools for the purposes of regulating and determining the fee in private schools in the Union territory.

(2) The Committee shall be headed by a Chairperson who has been a Judge of a High Court or an officer of the Administration not below the rank of a Secretary of the Union territory or above.

(3) The members of the Committee shall be such as may be prescribed by the Administration of the Union territory.

(4) The Chairperson may co-opt any other independent person of repute or a representative of a recognised School Association as an expert member, but the total number of members of the Committee shall not exceed five.

**Term of office and other conditions of service Chairperson.**

20B. The term of office and other conditions of service of the Chairperson of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be such as may be prescribed by the Administration.

**Powers and functions**

20C. (1) Subject to the provisions of this Act or any other law for the time

**of the Committee.**

being in force, the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Administration to ensure that the private schools are not indulging commercialisation of education and undue profiteering.

- (2) The Administration may by notification, delegate any of the powers vested in the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools to the Chairperson of the said Committee, to the extent as may be prescribed.
- (3) Orders passed by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be deemed to have been duly passed by a public servant and its violation or non-compliance shall amount to disobedience under the provisions of section 188 of Indian Penal Code (45 of 1860).

**Determination of fee.**

- 20D. (1) The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall while determining the fee to be charged by the private schools established after August, 2014 take into account inter alia the location, available infrastructure, expenditure on administration, aid, assistances and support in any form received by the private school from the Administration or any other person or agency or any other factors as may be prescribed.
- (2) The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may from time to time issue notification for fixing maximum ceiling of the fee to be charged under various categories.

**Fee to be charged by private Schools.**

- 20E. (1) The private schools shall not charge any fee from the students or guardians, except tuition fee, annual fee, transport fee and voluntary special purpose fee such as the picnic, tour and excursions, etc. completely voluntary in nature or any other fee as may be approved by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools after following the procedure prescribed:

Provided that private schools shall not charge in any manner, any other fee including admission fee or any amount, by whatever name called than the fee mentioned above.

**Power to call for records.**

- 20F. The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may at any stage call the record of any school for scrutiny if it comes to the conclusion that the private school has violated or is not adhering to its directions.

**Staff of Committee.**

- 20G.(1) The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall, for the purpose of assisting it in the discharge of its functions, be provided by the Administration, such officers and employees as may be determined from time to time by the Administration in consultation with the Chairperson of the Committee.
- (2) All establishment charges of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be borne by the

Administration.

- (3) The terms and conditions of service of the officers and employees referred to in sub-section (1) shall be such as may be determined by the Administration from time to time.
- (4) In the discharge of their functions under this Act, the officers and employees referred to in sub-section (1) shall be subject to the exclusive administrative control and direction of the Committee.

**Sub-committees.**

**20H.** The Administration may constitute such other sub-committees at Union territory level or Districts level with such powers and functions as it may deem fit to effectively regulate the fee in private schools.

**Power to make regulations.**

**20-I.** The Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools may, by notification, make such regulations as it may deem necessary for carrying out the purpose of the said Committee.

**Powers of Civil Court.**

**20J.** The Committee for Fixation and Regulation of Fee of private Schools shall for the purposes of making any inquiry or initiating any proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)".

**Section 22. –**

Omit.

**For section 25, substitute –**

**Bar of jurisdiction.**

“25. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or any other law for the time being in force, no court shall grant any injunction or make any interim order restraining any proceedings which is being or is about to be taken under this Act.

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairperson or any member of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools or any officer or other employee or any person acting under the direction either of the Administration or of the said Committee, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules or orders made there under.”.

**For section 27, substitute –**

**Penalties.**

“27.(1) Whosoever contravenes any of the provisions of this Act or rules made there under except the violation of directions issued by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be liable to a fine of not less than fifteen thousand rupees for first offence and fifty thousand rupees for every subsequent offence by the Director School

Education.

(2) Any person or private school which contravenes the directions of the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools shall be liable to a fine of not less than fifty thousand rupees for first offence and one lakh rupees for every subsequent offence including recommendation for disaffiliation of such private school by the said Committee.".

**For section 28, substitute –**

**Revision and appeal.**

“28.(1) Any person aggrieved of any order passed by the authority under sub-section (1) of section 27 may file a revision petition before the Director School Education within a period of thirty days from the date of the order in such form and manner as may be prescribed.

(2) Any person or private school aggrieved by any order made by the Committee for Fixation and Regulation of Fee of Private Schools in exercise of its powers conferred under sub-section (2) of section 27 may prefer an appeal against such order to the High Court of Jammu and Kashmir within a period of thirty days from the date of the order.”.

**Section 29.–** In sub-section (2), omit clause (g).

\*\*\*\*\*

**69. THE JAMMU AND KASHMIR BOARD OF SCHOOL EDUCATION ACT, 1975**  
**(XXVIII of 1975)**

Throughout the Act, except as otherwise provided, for “Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively.

Throughout the Act, except in preamble and in section 44 of the Act or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively.

**Preamble.–** For “State” and “in the State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory” and “in the Union territory of Ladakh”, respectively.

**Section 1.–** In sub-section (2), for “whole of the State of Jammu and Kashmir” substitute “whole of the Union territory of Ladakh”.

**Section 2.–** (i) For clause (a), substitute–

‘(a) “Affiliated” with its grammatical variations and cognate expressions used with reference to an institution means affiliated or deemed to be affiliated to the Board for the purposes of admission to the privileges of the Board; ;

(aa) “Board” means the Board of School Education established under section 3; ;

(ii) for clause (c), substitute—

‘(c) "Elementary Education" means education at the elementary stage in a school corresponding to Grades I to VIII as per courses of study prescribed by a competent academic authority;’;

(iii) after clause (d), insert—

‘(da) "Head of the institution" means Headmaster or Principal or any other Principal or Academic Officer, by whatever designation called, of an affiliated institution;’;

(iv) for clause (h), substitute—

‘(h) "Recognised" with its grammatical variations and cognate expressions, used with reference to institutions means recognised schools or institutions by the Administration of the Union territory of Ladakh for imparting education to the students at Pre-primary, Elementary, Secondary, Higher Secondary or Teachers Training level;’; and

(v) for clause (m), substitute—

‘(m) “Training Institution” means a training institution run privately or by the Administration of the Union territory of Ladakh and recognised by the Administration of the Union territory of Ladakh and affiliated to such Board as may be prescribed by the said Administration’.

**Section 3. –**

(i) In sub-section (1), for "Elementary Education" substitute "Pre-primary Education, Elementary Education" ;

(ii) in sub-section (1), insert,—

“Provided that the Administration may entrust job of the Board or affiliate to such Board of any other State or any other Union territory or Central Board of Secondary Education or any other body as may be notified for this purpose.”; and

(iii) in sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State Board” substitute “Union territory of Ladakh Board”.

**Section 4. –**

For section 4, substitute,—

**Composition of Board**

“4. The Board shall consist of such members as may be appointed by the Administration.”.

**Section 9. –**

(i) In the marginal heading, omit “and its two Divisions”;

(ii) for “at Srinagar and Jammu for such periods as the Chairman from time to time determine” substitute “as prescribed by the Administration of the Union territory of Ladakh”; and

(iii) omit the proviso.

**Section 10. –**

(i) In clause (i), for "Elementary", substitute "Pre-primary and Elementary"; and

(ii) after “examinations” insert “and Elementary Teachers Training Course” ;

(iii) in clause (ii), after "courses", insert "and Teacher Training Education Courses";

(iv) in clause (iii), after "Board", insert "through electronic and print media";

(v) in clause (v), after "Higher Secondary Courses", insert "and Teachers Training Courses, etc.>";

(vi) in clause (xiii), for "University of Jammu, University of Kashmir" substitute "University of Ladakh";

(vii) for clause (xv), substitute—  
"(xv) to call for reports from the concerned Director of School Education about the working and facilities available in a school applying for affiliation with the Board";

(viii) in clause (xvi), insert "Pre-primary" after "relating to" and insert "Teacher Training Courses" after "education";

(ix) for clause (xviii), substitute—  
"(xviii) to frame regulations for implementing various provisions of the Act.>";

(x) for clause (xxvii), substitute—  
"(xxvii) (a) to constitute or appoint different Boards of Studies for different subjects of studies at different stages including elementary teacher education;  
(b) to undertake printing and publication of textbooks prepared or developed and approved by the concerned Courses Committee"; and

(xi) for clause (xxviii), substitute—  
"(xxviii) to liaise with different sister organisations at the national level including the Council of Boards of Secondary Education (COBSE), the National Council of Educational Research and Trainings (NCERT) and the National Council for Teacher Education (NCTE) for furthering the objectives of this Act.".

**Section 11. –**

Omit sub-section (3).

**Section 13. –**

For sub-section (4), substitute—

"(4) If in the opinion of the Chairman any emergency has arisen which requires that immediate action should be taken, he shall take such action as he deems appropriate and shall thereafter, report the action taken to the Board at its next meeting or a meeting convened for the purpose:

Provided that the Chairman shall as soon thereafter as may be, report his action together with reasons thereof to the office, authority or other body of the Board or the Board, as the case may be, who or which would ordinarily have dealt with the matter:

Provided further that no appointment of any nature, whatsoever, shall be made under these powers:

Provided also that no promotions of any nature, whatsoever, shall be made under these powers.”.

**Section 16 and 17.**

Omit.

**Insertion of new section – After section 17, insert –**

**Director  
Academics.** “17A. The Director Academics shall be appointed by the Administration of the Union territory of Ladakh from amongst senior and competent academicians or educationists having a deep understanding on various issues including that of curriculum making, teaching-learning methodology, contemporary advances in cognitive learning and all such related matters.

**Powers and  
functions of  
Director  
Academics.** 17B. Subject to the control and regulations of the Board, the Director Academic, shall head such Divisions of the Board as may be provided in the regulations for realisation of various educational objectives of the Board including that of-

- (a) preparation of curricula for different stages of education;
- (b) preparation of curricula for various Teacher Education Courses;
- (c) preparation of curricula for Vocational Courses and Physical Education;
- (d) development of material or books for various stages of education, promotion and development of quality education in the Union territory;
- (e) review, revision or preparation of scheme or schemes of examinations;
- (f) conduct of orientation courses in new methods of evaluation;
- (g) conduct refresher courses of teachers in new schemes or teaching new curricula.”.

**Insertion of new  
section – After Section  
22, insert-**

**Financial Advisor** “22A.(1) The Administrative Secretary, Finance Department, or any officer nominated by the Administration of the Union territory of Ladakh shall be the ex officio Financial Advisor to the Board.

(2) The Financial Advisor shall be an ex officio member of the Board and its Finance Committee.

(3) The Financial Advisor shall exercise such powers and performs such duties as may be prescribed by the Statutes and regulations made under this Act.”.

**Section 33.-** In sub-section (2), in clause (d), for “recognition” occurring at both the places substitute “affiliation”.

**Section 34. –** Omit.

**For section 35,  
substitute—**

**Copies of regulations  
and alterations** “35. A copy of every regulation made by the Board under section 33 and of

**thereof.** every modification or revision thereof shall be submitted to the Administration of the Union territory of Ladakh for information.".

**Section 36.** For "High School and Higher Secondary School Education" substitute—  
"High School, Higher Secondary School and Elementary Teacher Training Education".

**For Section 37**  
**substitute—**

**Admission of institutions to privileges of Board.**

"37. (1) Any Institution, in or outside the Union territory, may apply to the Board for being admitted to the privileges of the Board and the Board may, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, admit such institution to the privileges of the Board.

(2) Where the Board is satisfied that its privileges are being abused by any affiliated institution or that the prescribed conditions or restrictions are not being complied with by such institution, the Board may withdraw its privileges from the institution, and thereon the institution shall cease to be an affiliated institution:

Provided that before withdrawing the privileges, the Board shall require the institution to showcase why such action should not be taken and consider any explanation which may be furnished by it.”.

**Section 38.-** Omit.

**For section 40,**  
**substitute—**

**Meetings of Board.**

"40.(1) The Board shall hold its meetings at least four times in a year but three months shall not intervene between its last meeting and the next following meeting.

(2) The Chairman shall preside every meeting of the Board.

(3) All matters in a meeting of the Board shall be decided by the vote of the majority of the members present and voting:

Provided that in the case of equality of votes, the Chairman, in addition to his vote as a member, have a casting vote.

(4) Two-third of the total membership shall form a quorum at a meeting of the Board:

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for transacting the same business.

(5) Copy of the proceedings of every meeting of the Board shall be sent to the Administration of the Union territory of Ladakh by the Secretary as soon as the meeting is held.

(6) No action taken, or proceedings taken, under this Act by the Board shall

be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy amongst members, or by reason of defect or irregularity in its constitution or any irregularity in procedure not affecting the merits of the case.”.

**For section 43,  
substitute—**

**Legal proceedings.**

“43. No suit shall be instituted against the Board, or any member thereof, or any of its officers or other employees, or any person acting under the directions of the Board or any member or any officer or other employees of the Board in respect of any act done or purporting to have been done in pursuance of this Act or any rule or regulation made there under until the expiration of two months after notice, and in any other case, delivered to, or left at the office or place of abode of, the person to be sued and unless such notice state explicitly the cause of action, the nature of relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of residence of the intending plaintiff and unless the plaint contains a statement that such notice has been so left or delivered.”.

**Insertion of new  
section – After section  
43, insert—**

**Copy right.**

“43A. (1) Copy right of all materials developed, printed and published by the Board shall vest with the Board itself.

(2) The Board may get material pertaining to School Education developed, published or printed from any agency as it may consider appropriate in the public interest.

**Summary powers of  
recovery.**

43B. In case any sum is recoverable by the Board of School Education from any person on account of purchase, sale transportation, printing, storage or transit shortage of books and printing material or other sums found to have been misappropriated by the officials of the Board, the said sum of money shall be recoverable from such a person and the procedure of recovery shall be the same as prescribed under section 90 of the Land Revenue Act, 1996.”.

\*\*\*\*\*

**70. THE JAMMU AND KASHMIR BOVINE BREEDING (REGULATION OF PRODUCTION,  
SALE OF BOVINE SEMEN AND ARTIFICIAL INSEMINATION SERVICES) ACT, 2018**

**(LI of 2018)**

Throughout the Act, except as otherwise provided, for “State”, “Jammu and Kashmir” and “Government Gazette”, substitute “Union territory”, “Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively.

Throughout the Act, except in sub-section (I) of section 21 or as otherwise provided, for “Government”, substitute “Administration of the Union territory of Ladakh”.

<b>Section 2. –</b>	(i) After clause (a), insert, – ‘(aa) “Administration” means the Administration of the Union territory of Ladakh’ ; (ii) in clause (j), omit “”Kashmir and Livestock Development Board Jammu” ; (iii) omit clause (o); and (iv) in clause (p), for “Jammu and Kashmir State” substitute “Union territory of Ladakh”.
<b>Section 5. –</b>	In section 5, for “at the office of the Chairman, Jammu and Kashmir State Implementing Agency/Administrative Secretary, Animal Sheep Husbandry and Fisheries Department”, substitute “such as notified by the Administration”.
<b>Section 9. –</b>	In sub-section (1), for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.
<b>Section 17. –</b>	(i) In sub-section (1), for “the tribunal established under the Jammu and Kashmir Special Tribunal Act, 1988 (Act No 19 of 1988)” substitute “such authority as may be notified by the Administration” ; and (ii) in sub-section (2), for “The Tribunal” substitute “Such authority”.
<b>Section 18. –</b>	In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir Code of Criminal Procedure Svt, 1989 (1933 A.D)” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
<b>Section 29. –</b>	For “Ranbir Penal Code, Samvat 1989” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.
<b>Section 32. –</b>	Omit sub-section (3).
<b>Section 34. –</b>	For “Jammu/Kashmir” substitute “Ladakh”.

\*\*\*\*\*

## 71. THE JAMMU AND KASHMIR AERIAL ROPEWAYS ACT, 2002

**(XII of 2002)**

Throughout the Act, except in preamble or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively,

Throughout the Act, except in clause (ix) of sub-section (4) of section 6 or as otherwise provided, for “Government” substitute “Administration”.

Throughout the Act, for State Ranbir Penal Code Samvat 1989”, substitute Indian Penal Code (45 of 1860).

<b>Section 1. –</b>	In sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.
<b>Section 2. –</b>	(i) After clause (a), insert, – ‘(aa) “Administration” means the Administration of the Union territory of

Ladakh’;

(ii) after clause (c), insert –

‘(cc) “Collector” means Collector as defined under the Land Revenue Act, Svt. 1996’;

(iii) omit clause (d);

(iv) for clause (f), insert, –

‘(f) “Inspector” means an officer, a Committee or an Agency so appointed by the Administration under this Act’;

(v) in clause (k), in sub-clause (iv), for “Companies Act, 1956” substitute “Companies Act, 2013”(18 of 2013); and

in sub-clause (v) for “Indian Railway Act, 1980” substitute

“The Railways Act, 1989 (24 of 1989)”.

**For sections 3 and 4  
substitute—**

**Declaration for concessions.** “3. Every declaration by an intending promoter other than the Administration in regard to a proposed aerial ropeway for undertaking the necessary preliminary investigations shall be submitted on an application to the Divisional Commissioner.

**Contents of Declaration.** 4. Every such application shall be supported by a duly sworn affidavit and shall include—  
(i) a description of the undertaking and of the route to be followed by the proposed aerial ropeway;  
(ii) a description of the system of construction and management and the advantages to the community to be expected from the aerial ropeway;  
(iii) an approximate estimate of the cost of construction thereof; and  
(iv) such maps, plans, sections, diagrams and other information as the Administration of the Union territory of Ladakh may require in order to form an idea of the proposal.”.

**For section 18  
substitute.—**

**Promoter to fix rates.** “18. The promoter shall, for the purposes of working an aerial ropeway, have powers to fix the rates for the carriage of passengers, animals or goods on the aerial ropeway:

Provided that such rates shall be subject to such maximum and minimum rates as may be prescribed or ordered in case where concession, guarantee, or financial assistance have been granted by the Administration or any local authority.”.

<b>Section 30. –</b>	For “State Land Acquisition Act, Samvat 1990” substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”.
<b>Section 32. –</b>	Omit sub-section (4).
<b>Section 34. –</b>	For “one thousand rupees” substitute “five thousand rupees”.

**72. THE JAMMU AND KASHMIR FOREST (PROTECTION) FORCE ACT, 2001**  
**(VI of 2001)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**73. THE PREVENTION OF RUM RASUM ACT, 1977**  
**(I of 1997)**

Throughout the Act, for “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

<b>Section 4. –</b>	For “five hundred rupees” substitute “five thousand rupees”.
---------------------	--

\*\*\*\*\*

**74. THE PROBATE AND ADMINISTRATION ACT, S.V.T. 1977 (1920 A.D.)**  
**(XXIX of Svt. 1977)**

Throughout the Act, except as otherwise provided, for “Government” and “Government Gazette”, “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Administration” and “Official Gazette”, “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively.

Throughout the Act, for “Code of Civil Procedure, Samvat 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

Throughout the Act, for “Ranbir Penal Code”, wherever occurring, substitute ‘Indian Penal Code (45 of 1860)”.

<b>Section 1. –</b>	In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State” substitute “Union territory of Ladakh”.
<b>Section 3. –</b>	(i) For “Province- Province means the province of Jammu or the province of Kashmir” substitute “Province- Province means Union territory of Ladakh”; and (ii) in the definition of “Mines” for “the Majority Act, 1977,” substitute “the Majority Act, 1875 (9 of 1875)”.
<b>Section 59. –</b>	For “the whole of state” substitute “the whole of the Union territory”.
<b>Section 60. –</b>	In sub-section (2), in example, for “the whole of the State” substitute “the whole of the Union territory”.

\*\*\*\*\*

**75. THE JAMMU AND KASHMIR NATIONAL LAW UNIVERSITY ACT, 2018**  
**(II of 2019)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**76. THE SRINAGAR AND JAMMU CLUSTER UNIVERSITIES ACT, 2016**  
**(III of 2016)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**77. THE JAMMU AND KASHMIR MIGRANT IMMOVABLE PROPERTY (PRESERVATION, PROTECTION AND RESTRAINT ON DISTRESS SALES) ACT, 1997**  
**(XVI of 1997)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**78. THE JAMMU AND KASHMIR MIGRANTS (STAY OF PROCEEDINGS) ACT, 1997**  
**(XVII of 1997)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**79. THE JAMMU AND KASHMIR FLOOD PLAIN ZONES (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2005**  
**(XVII of 2005)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**80. THE JAMMU AND KASHMIR BABA GHULAM SHAH BADSHAH UNIVERSITY ACT, 2002**  
**(XVI of 2002)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**81. THE KASHMIR AND JAMMU UNIVERSITIES ACT, 1969**  
**(XXIV of 1969)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**82. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA VAISHNO DEVI UNIVERSITY ACT, 1999**  
**(XII of 1999)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**83. THE JAMMU AND KASHMIR PREVENTION AND SUPPRESSION OF SABOTAGES ACT, 1965**  
**(XXII of 1965)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

#### 84. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL COURTS ACT, SVT. 1977

(XLVI of Samvat 1977)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, “and ‘Government Gazette, substitute ‘Administration of the Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’ respectively.

Throughout the Act for “Code of Civil Procedure” substitute “Code of Civil Procedure 1908(5 of 1908).

Throughout the Act, for “the State” substitute ‘the Union territory of Ladakh’.

Section 1.—	In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 2. —	(i) Omit clause (i); (ii) after clause (i), insert - ‘(ia) “High Court” means the common High Court for the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh created under Part VIII of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019)’.
Section 3. —	Omit.
Section 4.—	Omit.
Section 8. —	In sub-section (1), in clause (d), for “sued” substitute “used”.
Section 13. —	Omit “ the Courts of Small Causes established under the Small Cause Court Act, and”
Section 24.—	Omit.
Section 25. —	(i) In sub-section (2), - (a) in clause (a), for “Probate and Administration Act” and “fifth paragraph of the Third Schedule” substitute “Indian Succession Act,1925 (39 of 1925)” and “paragraph 3 of Schedule III” ; and (b) for “Guardian and Wards Act” substitute “Guardians and Wards Act, 1890( 8 of 1890)”.
Section 39. —	In sub-section (2), omit “in paragraph 17 of the second Schedule or”.
Section 43. —	For “High Court of Judicature, Jammu and Kashmir State” substitute “High Court”.

\*\*\*\*\*

#### 85. THE JAMMU AND KASHMIR PREVENTION OF BEGGARY ACT, 1960

(XL of 1960)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**86. THE JAMMU AND KASHMIR BOARD OF PROFESSIONAL ENTRANCE EXAMINATION ACT, 2002**  
**(XXV of 2002)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**87. THE JAMMU AND KASHMIR (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) EXAMINATIONS ACT, 1987**  
**(XX of 1987)**

Throughout the Act except as otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration’ and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act except in the preamble or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively.

**Section 1.** – In sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 2.** – (i) In clause (a), for “Jammu and Kashmir State” substitute “Union territory of Ladakh”, and for “Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975”, substitute “Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975 or any other Board notified by the Administration”;

(ii) after clause (a), insert –

‘(ab) “Administration” means the Administration of the Union territory of Ladakh ;’ ;

(iii) in clause (h), for “Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975” substitute “Jammu and Kashmir Board of School Education Act 1975 or any other Board notified by the Administration”; and

(iv) in clause (l), for “an university established under any act passed by the State Legislature” substitute “any University notified by the Administration for the purposes of this Act”.

**Section 7.** – For “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

**Section 8.** – (i) For “Code of Criminal Procedure, Samvat 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”; and

(ii) in clause (iii), for “section 259-A of the Code of Criminal Procedure, Samvat 1989” substitute “Chapter XIX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

**Section 10.** – For “Ranbir Penal Code” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

\*\*\*\*\*

**88. THE JAMMU AND KASHMIR PRIVATE COLLEGES (REGULATION AND CONTROL) ACT, 2002**  
**(XXII of 2002)**

Throughout the Act except in the clause (2) of section 17 or as otherwise provided, for ‘Government’, substitute ‘Administration of Union territory of Ladakh’.

Throughout the Act except as otherwise provided, for ‘Government Gazette’, substitute ‘Official Gazette’.

Throughout the Act except in section 24 of the Act or as otherwise provided, for ‘Jammu and Kashmir’ substitute ‘Union territory of Ladakh’.

Throughout the Act including the preamble or as otherwise provided, for ‘State’ substitute ‘Union territory of Ladakh’.

**Section 1.** – In the sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 2.** – (i) After clause (a), insert—

‘(ab) “Administration” means the Administration of the Union territory of Ladakh ;’ ;

(ii) in clause (c), –

(a) for “affiliated to the University of Kashmir or the University of Jammu” substitute “affiliated to University of Ladakh or any other university notified by the Administration” ;

(b) in sub-clause (i), for “University of Kashmir or University of Jammu” substitute “any university notified by the Administration for the purposes of this Act”.

(iii) omit clause (f) ;

(iv) in clause (i) for “State” means the State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory means the Union territory of Ladakh” ;

(v) in clause (j), for “University of Kashmir or the University of Jammu as established under the Kashmir and Jammu University Act, 1969” substitute “University of Ladakh or any other Universities as may be notified by the Administration”.

**Section 3.** – In sub-section (2), for “Kashmir and Jammu University Act, 1969” substitute “University of Ladakh Act, 2018”.

**Section 9.** – In the sub-section (2) for “Government Services”, substitute “services under Administration of Union territory of Ladakh”.

**Section 17.** – In clause (1), for “Kashmir and Jammu University Act, 1969” substitute “University of Ladakh Act, 2018”.

**Section 19.** – For “Code of Civil Procedure, Samvat 1977” substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

\*\*\*\*\*

## 89. THE POLICE ACT, 1983

(II of Samvat 1983)

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, ‘State’ and ‘Jammu and Kashmir Government Gazette’, substitute ‘Administration of the Union territory of Ladakh’, ‘Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’, respectively.

Section 2. — For “of its third publication”, substitute “its publication”.

Section 4. — At the end, insert “All references in this Act to “Inspector General”, “Deputy Inspector General”, “Assistant Inspector General”, “Superintendent”, “Deputy Superintendent”, “Assistant Superintendent”, or any other post in the police force shall, if such post does not exist in the Union territory of Ladakh, be deemed to refer to an equivalent post or to such post which has been notified for this purpose by the Administration of the Union territory of Ladakh.”.

Section 8. — For “provisions of section 126 of the Constitution of Jammu and Kashmir” substitute “provisions of article 311 of the Constitution of India”.

Section 17. — In sub-section(1), for “section 386 and 387 of the Code of Criminal Procedure” substitute “sections 421 and 422 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 27. — In sub-section (2), for “section 525 of the Code of Criminal Procedure 1989” substitute “section 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

\*\*\*\*\*

**90. THE JAMMU AND KASHMIR ISLAMIC UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY KASHMIR ACT, 2005**

**(XVIII of 2005)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**91. THE JAMMU AND KASHMIR DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS (PUBLIC LIBRARIES) ACT, 1961**

**(XIII of 1961)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**92. THE JAMMU AND KASHMIR HERITAGE CONSERVATION AND PRESERVATION ACT, 2010**

**(XV of 2010)**

Throughout the Act, except as otherwise provided, for “Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration of the Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively.

Throughout the Act, except in the preamble or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively.

**Section 2. —** (i) After clause (a), insert —

‘(aa) “Administration” means the Administration of Union territory of Ladakh’; and

(ii) omit clause (h).

**Section 15.**— In sub-section (I) for “five thousand rupees” substitute “fifty thousand rupees”.

\*\*\*\*\*

**93. THE JAMMU AND KASHMIR VACCINATION ACT, 1967**  
**(XXI of 1967)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**94. SHER-I-KASHMIR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (GRANT OF DEGREES) ACT, 1983**  
**(XIII of 1983)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**95. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIC LAWS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2014**  
**(XIII of 2010)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**96. THE JAMMU AND KASHMIR FRUIT NURSERIES (LICENSING) ACT, 1987**  
**(XXII of 1987)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of the Union territory of Ladakh’, and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act, unless otherwise provided for ‘Jammu and Kashmir’ substitute ‘Union territory of Ladakh’, except in the preamble.

Preamble.— For “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 1.— In sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 7.— For “State”, wherever occurring, substitute “Union territory of Ladakh”.

Section 17.— For “Code of Criminal Procedure, Samvat, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

Section 18.— For “State Ranbir Penal Code” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

Section 21. – Omit sub-section (3).

\*\*\*\*\*

**97. THE AGRICULTURISTS RELIEF ACT, 1983**  
**(I OF SAMVAT 1983)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**98. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT AID TO AGRICULTURISTS AND LAND IMPROVEMENT ACT**  
**(VII of Samvat 1993)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**99. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC SERVICES GUARANTEE ACT, 2011 (IX of 2011)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of the Union territory of Ladakh’, and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act, for ‘Jammu and Kashmir’ and ‘State’ substitute ‘Union territory of Ladakh’ except in the preamble or as otherwise provided.

**Preamble.** – For ‘the State’ substitute ‘Union territory of Ladakh’.

**Section 2. –** (i) After clause (a), insert –

‘(ab) “Administration” means Administration of the Union territory of Ladakh.’ ;  
 and

(ii) Omit clauses (e), (j) and (l).

**Section 9. –** For “Code of Civil Procedure” substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.

**Section 15. –** For “the Special Tribunal” substitute “the authority as may be designated by the Administration of the Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

**100. THE LADAKH BUDDHISTS SUCCESSION TO PROPERTY ACT, 2000 (XVIII of Samvat 2000)**

**Preamble.** – For “Buddhist of Ladakh” substitute “Buddhist of the Union territory of Ladakh”.

**Section 1. –** In the sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State” substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 2. –** In clause (b), for ”means the District of Ladakh” substitute “means the Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

**101. THE JAMMU AND KASHMIR CIVIL SERVICES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2010**  
**(XIV of 2010)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**102. THE NATIONAL DEFENCE FUND DONATION OF IMMOVABLE PROPERTY (EXEMPTION FROM STAMP DUTY AND REGISTRATION) ACT, 1963**  
**(V of 1963)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, substitute “Administration”.

**Section 4. –** In sub-section (1), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

\*\*\*\*\*

**103. THE STAMP ACT, SVT. 1977**  
**(XL of Samvat 1977)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**104. THE JAMMU AND KASHMIR GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017**  
**(V of 2017)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**105. THE KASHMIR SILK PROTECTION ACT, 1964**  
**(Notification No. 14 of Samvat 1964)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**106. THE JAMMU AND KASHMIR SILK (DEVELOPMENT AND PROTECTION) ACT, 1988**  
**(XXVIII of 1988)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

---

**107. THE JAMMU AND KASHMIR NAMDHA QUALITY CONTROL ACT, SVT. 2010**  
[VI of Samvat 2010 (1953 A.D)]

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**108. THE JAMMU AND KASHMIR OBSOLETE LAWS (REPEAL) ACT, 2010**  
(XXVII of 2010)

**Preamble.**— For ‘in the State’ substitute ‘in the Union territory of Ladakh’.

\*\*\*\*\*

**109. THE JAMMU AND KASHMIR STATE FINANCE COMMISSION ACT, 2006**  
(XVIII of 2006)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**110. THE JAMMU AND KASHMIR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2006**  
(XII of 2006)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**111. THE LEVY OF TOLLS ACT, SVT. 1995**  
(VIII of 1995)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**112. THE JAMMU AND KASHMIR PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENT TAX ACT, 2005**  
(IX of 2005)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**113. THE JAMMU AND KASHMIR STATE EMERGENCY RELIEF FUND ACT, 1960 (XIII of 1960)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**114. THE USURIOUS LOANS ACT, SVT. 1977**  
(XLVII of Samvat 1977)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**115. THE JAMMU AND KASHMIR PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 2018**  
**(XIII of 2018)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**116. THE JAMMU AND KASHMIR REGULATION OF ACCOUNTS ACT, SVT. 2001**  
**(XIV of Samvat 2001)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**117. THE JAMMU AND KASHMIR URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX (REPEAL AND SAVING) ACT, 2002**  
**(XXVIII of 2002)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**118. THE JAMMU AND KASHMIR TENANCY ACT, 1980**  
**(II of Samvat 1980)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**119. THE JAMMU AND KASHMIR TENANCY (STAY OF EJECTMENT PROCEEDINGS) ACT, 1966**  
**(XXXIII of 1966)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**120. THE JAMMU AND KASHMIR RESTITUTION OF MORTGAGED PROPERTIES ACT, 1976**  
**(XIV of 1976)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**121. THE JAMMU AND KASHMIR MULBERRY PROTECTION ACT, SVT. 2006** (X of 2006)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**122. THE INSPECTOR GENERAL OF PRISONS (CHANGE IN DESIGNATION) ACT, 2001**  
**(XIII of 2001)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**123. THE JAMMU AND KASHMIR SIKH GURDWARAS AND RELIGIOUS ENDOWMENT ACT, 1973**

(XV of 1973)

Throughout the Act, for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Throughout the Act, other than in clause (vi) of section 4, for “Government”, substitute “Administration of the Union territory of Ladakh”.

Preamble. –	For “in Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 1. –	(i) in sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”; and (ii) in sub-section (2a), for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 2. –	In clause (a), for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 2A. –	For “Jammu and Kashmir Houses and Shops Rent Control Act, 1966”, substitute “Jammu and Kashmir Residential and Commercial Tenancy Act, 2012”.
Section 4. –	(i) In clause (v), for “Jammu and Kashmir State”, substitute “Union territory of Ladakh”; (ii) omit clause (vi).
Section 6. –	Omit “by rotation at Srinagar and Jammu”.
Section 7. –	For “offices in Jammu and Srinagar”, substitute “an office in Ladakh”.
Section 8. –	Omit the proviso.
Section 12. –	Omit clause (vi).

\*\*\*\*\*

**124. THE JAMMU AND KASHMIR GIFT GOODS (UNLAWFUL POSSESSION) ACT  
(XL of 1963)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**125. THE JAMMU AND KASHMIR KAHCHARAI ACT, 2011  
(XVIII of 2011)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for “Government”, “Jammu and Kashmir” or “State”, and ‘Government Gazette’, substitute ‘Administration of the Union territory of Ladakh’, “Union territory of Ladakh” and ‘Official Gazette’, respectively.

Section 1. –	In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State” substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 3. –	(i) In sub-section (4) for “Jammu and Kashmir Forest Act, 1987” and “Minister-in-charge of the Forest Department” substitute “Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927” and “Administration of the Union territory of Ladakh”;

	(ii) in sub-section (9), omit “such that the territories comprising Kashmir Valley and”
Section 12. –	Omit clause (ii).
Section 22. –	In sub-section (1), for “Minister-in-charge of the Forest Department” substitute “Administration of the Union territory of Ladakh”.
Section 25. –	For “Code of Criminal Procedure” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 32. –	For “Code of Criminal Procedure” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

\*\*\*\*\*

**126. THE JAMMU AND KASHMIR VEGETABLE SEEDS ACT, SVT. 2009.**  
**(XIV of 1973)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**127. THE ENEMY AGENTS ORDINANCE, 2005**  
**(Ord. No. VIII of Samvat 2005)**

Throughout the Ordinance, unless otherwise provided, for ‘Government’ and ‘State’, substitute ‘Administration of the Union territory of Ladakh’, and ‘Union territory of Ladakh’, respectively.

Section 1. –	In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State” occurring at both places, substitute “Union territory of Ladakh”.
Section 9. –	In sub-section (2), for “section 439 occurring at both places” substitute “section 401”.
Section 12. –	For “Evidence Act, 1977” substitute “Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”.
Section 13. –	In sub-section (4), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 15. –	For “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.
Section 16. –	For “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

\*\*\*\*\*

**128. THE JAMMU AND KASHMIR CHOWKIDARI ACT, 1956.**  
**(XXXVII of 1956)**

Throughout the Act except as otherwise provided, for “Government” and “Government Gazette” substitute “Administration of the Union territory of Ladakh”, and “Official Gazette” respectively.

Throughout the Act except in the preamble or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively.

**Preamble.**— For “in the Jammu and Kashmir State” substitute “in the Union territory of Ladakh”

**Section 1.**— In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir State” substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 11.**— For “Ranbir Penal Code, 1989” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

\*\*\*\*\*

**129. THE JAMMU AND KASHMIR PLANT DISEASE AND PESTS ACT, 1973**  
(XIV of 1973)

Throughout the Act, except as otherwise provided, for “Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration of the Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively.

**Preamble.**— For “State” substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 1.**— In sub-section (2), for “State of Jammu and Kashmir”, substitute “Union territory of Ladakh”.

**Section 10.**— In sub-section (3), for “five hundred rupees” substitute “five thousand rupees”.

**Section 16.**— Omit sub-section (4).

\*\*\*\*\*

**130. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI AMARNATH JI SHRINE ACT, 2000**  
(XVIII of 2000)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**131. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA SUKHLALA DEVI JI SHRINE AND SHRI MATA BALA SUNDARI SHRINE ACT, 2013**

(III of 2013)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**132. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE ACT, 1988**  
(XVI of 1988)

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**133. THE JAMMU AND KASHMIR SHRI SHIV KHORI SHRINE ACT, 2008**  
**(IV of 2008)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**134. THE JAMMU AND KASHMIR GOVERNOR'S SPECIAL SECURITY FORCE ACT, 2018**  
**(XLII of 2018)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**135. THE JAMMU AND KASHMIR SPECIAL SECURITY GROUP ACT, 2000**  
**(VI of 2000)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**136. THE JAMMU AND KASHMIR SAFFRON ACT, 2007**  
**(V of 2007)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**137. THE JAMMU AND KASHMIR STATE VIGILANCE COMMISSION ACT, 2011 (I of 2011)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**138. THE JAMMU AND KASHMIR HABITUAL OFFENDERS (CONTROL AND REFORM) ACT, 1956**  
**(XI of 1956)**

Repeal as a whole.

\*\*\*\*\*

**139. THE JAMMU AND KASHMIR HOME GUARDS ACT, 2006**  
**(III of Samvat 2006)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for 'Government', 'State' and 'Government Gazette', substitute 'Administration of the Union territory of Ladakh', 'Union territory of Ladakh' and 'Official Gazette', respectively.

**For Section 2  
substitute –**

**Constitution of Home  
Guards and  
appointment of  
Commandant  
General and  
Commandants.**

“2. (1) The Administration of the Union territory of Ladakh shall constitute a volunteer body called the Home Guards, the members of which shall discharge such functions and duties in relation to the protection of persons, the security of property and public order, public safety and for such other functions as may be assigned to them in accordance with the provisions of this Act and the rules made there under.

(2) The Administration of the Union territory of Ladakh shall appoint an officer of suitable seniority of the Home Guards in whom shall vest general supervision and control of the Home Guards in the Union territory of Ladakh.

(3) The Administration of the Union territory of Ladakh may also appoint such number of additional officers as may be required to whom the officer referred to in sub-section (2) may delegate such of his powers as he may consider necessary for supervision, control and training of the Home Guards.

(4) The Administration of the Union territory of Ladakh shall also appoint a Commandant for the Home Guards in each district.”.

**Section 6-B. –**

(i) In sub-section (1), for “Ranbir Penal Code 1989” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”; and

(ii) Omit sub-section (2).

**Section 6-C. –**

In sub-section (2), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of Sa mvat 1974)”.

\*\*\*\*\*

**140. THE JAMMU AND KASHMIR FIRE FORCE ACT, 1967  
(XII of 1967)**

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘Government’, and ‘Government Gazette, substitute ‘Administration of the Union territory of Ladakh’ and ‘Official Gazette’, respectively.

Throughout the Act, unless otherwise provided, for ‘State’, substitute ‘Union territory of Ladakh’, except in preamble.

**Section 2. –**

In clause (d), for “Jammu and Kashmir State Fire Force” substitute “Ladakh Fire and Rescue Service”.

Section 3. –	For “Jammu and Kashmir State Fire Force” substitute “Ladakh Fire and Rescue Service”.
Section 14. –	For “Consolidated Fund of the State” substitute “Consolidated Fund of India”.
Section 17. –	In sub-section (2), in clause (f), for “Jammu and Kashmir Arbitration Act, Samvat 2002” substitute “Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)”.
Section 19. –	For “The Code of Civil Procedure, Samvat, 1977”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”.
Section 21. –	For “Jammu and Kashmir State Ranbir Code, Samvat 1989” substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”.

\*\*\*\*\*

**141. THE JAMMU AND KASHMIR STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 2002**  
**(XXIV of 2002)**

Throughout the Act except as otherwise provided, for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”.

Throughout the Act except in the preamble and section 4 or as otherwise provided, for “State”, substitute “Union territory of Ladakh”.

Throughout the Act except in the preamble, sections 4 and 36 or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” substitute “Union territory of Ladakh”.

Throughout the Act except in the phrase ‘Government of India’ referred to in clause (o) of section 2, for “Government” substitute “Administration”.

**Preamble.–** For ‘State board’ and ‘in the State’ substitute ‘Union territory Board’ and ‘in the Union territory’.

**Section 1.–** In the sub-section (2), for ‘whole of the state of Jammu and Kashmir’ substitute ‘whole of the Union territory of Ladakh’.

**Section 2.–** (i) After clause (a) insert –

‘(ab) ‘Administration’ means Administration of Union territory of Ladakh’;

(ii) omit clause (n) ;

(iii) omit clause (w) ; and

(iv) after clause (x), insert –

‘(xa) ‘Union territory’ means Union territory of Ladakh’

**Section 3.–** After section 3, insert –

“Provided that the Administration may entrust job of the Board or affiliate to such Board of any other State or any other Union territory or any other body as may be notified for this purpose.”.

**Section 5.–** For “the following members ... (r) Member-Secretary, to be appointed by the Government” substitute “such members as may be appointed by the Administration”.

**Section 18.–** For ‘standard terms of deputation provided in the Jammu and Kashmir Civil Services Regulations’ substitute ‘terms of deputation as may be prescribed by the Administration’.

**Section 19.–** Omit “,after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf”.

**Section 22.—** (i) In sub-section (2), for ‘section 226 of the Companies Act, 1956’ substitute ‘section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 20130’ ; and  
(ii) omit sub-section (5).

**Section 30.—** (i) For “Jammu and Kashmir State Ranbir Penal Code, Samvat, 1989”, wherever occurring, substitute “Indian Penal Code (45 of 1860)”; and  
(ii) in sub-section (2), for “Code of Criminal Procedure, 1989” substitute “Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”.

**Section 32.—** Omit sub-section (3).

\*\*\*\*\*

#### **142. THE JAMMU AND KASHMIR PROHIBITION OF RAGGING ACT, 2011 (VI of 2011)**

Throughout the Act except as otherwise provided, for “Government”, and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively.

Throughout the Act except in the preamble or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively.

**Preamble. –** For “in the State of Jammu and Kashmir” substitute “in the Union territory of Ladakh”.

**Section 2. –** (i) After clause (a), insert –  
‘(ab) “Administration” means the Administration of the Union territory of Ladakh ;’ ;  
(ii) omit clause (d); and  
(iii) in clause (h), for “State means the State of Jammu and Kashmir” substitute “Union territory means the Union territory of Ladakh”.

\*\*\*\*\*

[F. No. 11012/21/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.